राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का छठा दिवस संख्या 6

सोमवार, दिनांक 8 मई, 1967

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.03 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

(तारांकित प्रश्नोत्तर)

(सार्वजनिक निर्माण, खाद्य, पशुपालन, जनस्वास्थ्य, आयुर्वेद, यातायात, सहकारिता विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न

श्री केसरीसिंह

बूंदी-नैनवा सडक को पक्की बनवाने की योजना

21. श्री **केसरीसिंह** (हिन्डोली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:--

(1) तहसील हिन्डोली (जिला बूंदी) में जो कच्ची सडक बूंदी से नैनवा दबलाना होती हुई जाती है उसे कब तक पक्की करने की योजना है ?

(2) क्या इस सड़क की कभी मरम्मत भी हुई थी ?

(3) इस सड़क पर अब तक सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन): (1) यह सडक योजना में शामिल नहीं है ।

(2) यह कच्चा रास्ता है और इस विभाग की देख रेख में नहीं है ।

(3) क्योंकि यह सडक इस महकमे की नहीं है लिहाजा देख रेख पर कुछ खर्च नहीं किया गया ।

श्री केसरीसिंह: क्या यह समझा जाए कि किसी विभाग की देखरेख में नहीं है तो क्या पाकिस्तान की देखरेख में है ?

श्री अमीनुद्दीन : अगर आपको इसमें कोई शक है तो मैं इसकी जाच कर लूंगा कि कहां तक यह सही है कि यह हमारी देख रेख में नहीं है ।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर): यह सडक किस एजेन्सी द्वारा बनाई गई है ?

श्री अमीनुद्दीन : यह भी मालूम करने की बात है क्योंकि यह बहुत पहले की सडक है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): जिन सडकों पर मोटरें चलती हैं और रोड टैक्स लिया जाता है और ऐसी बसें पचायत क्षेत्र में से गुजरती हैं इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री अमीनुद्दीन: वैसे तो मोटरों पर टैक्स लिया जाता है तो वह सभी जगहों से गुजरती हैं । किसी खास सडक पर चलना निर्भर नहीं है । यह कच्चे रास्तों पेर भी चलती हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल: क्या सरकार अनुभव करती है कि पंचायतों के पास सडकों के लिए

Page No.2

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
इतने फण्ड्स नहीं है जिनके आधार पर इन सड़कों को वह मेन्टेन कर सके ऐसी स्थिति में जहां यह मोटरें चलती हैं सरकार विशेष सहायता देकर पंचायतों को इन सड़कों को सुधारने के लिए सहयोग देगी ?

श्री अमीनुद्दीन: इसकी पूरी कोशिश की जायेगी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल: क्या यह सही है कि जनरल इलेक्शन से पहले कुछ पंचायती क्षेत्रों के अन्दर सरकार ने स्वयं की ओर से सड़कें बनवाई हैं ।

श्री अमीनुद्दीन: इसकी डिटेल हैं नहीं मालूम कर ली जायेगी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल: अध्यक्ष महोदय, हम स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि सरकार ने ऐसी कोई स्पष्ट नीति बनाई है कि जो सड़कें पंचायती क्षेत्रों के अन्दर कच्ची हैं उनके ऊपर सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं करेगी या यह सरकार की इच्छा पर है कि कहीं पर पैसा लगाये और कहीं पर नहीं लगाए ?

श्री अमीनुद्दीन: हमारा तो ऐसा ताल्लुक है जो पी. डब्लू. डी. की सड़कें हैं उनको देखते हैं और दूसरे सवालों का मालूम कर लिया जाएगा ।

श्री केसरीसिंह: पी. डब्लू. डी. की सड़कें भी तो किसी न किसी इलाके में से गुजरती होंगी कोई हवा में तो होती नहीं होंगी ?

श्री अध्यक्ष: नेक्सट ....

श्री कृष्णकुमार गोयल: अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टतया जानना चाहूंगा कि उत्तर में उन्होंने टालने की कोशिश की है । अधिकतर सड़कें ऐसी हैं कि जो पंचायतों के क्षेत्र में से गुजरती हैं वहां पर सड़कों की हालत यह है कि थोड़ा सा भी पानी बरस जाता है तो सड़कें बन्द हो जाती हैं तो इन सड़कों को सरकार बनवा सकती है क्योंकि पंचायतों के पास इतने फण्ड्स तो हैं नहीं तो इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ? क्या यह नीति है कि कहीं पर तो सरकार पैसा लगाए और कहीं पर नहीं ? कोई इसके लिए प्रोग्राम निश्चित है क्या ?

श्री अमीनुद्दीन: पंचायत समितियों को सरकार 100 रुपया फी मील के हिसाब से देती है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल: अगर पंचायतों को सरकार लिखे कि उनके क्षेत्र के अन्दर इस प्रकार की अमुक इम्पारटेन्ट सड़क है और उसके लिए इतना तखमीना माना है तो क्या सरकार उस हिसाब से सहायता देने की सोचेगी ?

श्री अध्यक्ष: This is hypothetical.

श्री भीमसेन: आप जो कह रहे हैं कि पंचायत समितियों को 100 रुपया फी मील के हिसाब से दिया तो यह कौनसी जगह पैसा दिया है ?

श्री अमीनुद्दीन: पंचायत समिति को दिया है ।

श्री केसरीसिंह : किस समिति को दिया है ? आप कह रहे हैं कि 100 रुपया फी मील सड़कों पर दिया है तो किस को दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है ।

Page No.3

(श्री अध्यक्ष)

नेक्स्ट, श्री खेतसिंह ।

राज्य में चीनी का वितरण

22. **श्री खेतसिंह** (शेरगढ़) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को चीनी का कोटा जितना पहिले मिलता था, उतना अब नहीं मिल रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य की देहाती जनता को अलग अलग जिलों में भिन्न भिन्न मात्रा में चीनी दी जाती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

(3) क्या जैसलमेर के ग्रामीण व जोधपुर जिले के ग्रामीण को बराबर चीनी दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां ।

(2) जी हां, देहाती जनता को अलग अलग जिलों में भिन्न-भिन्न मात्रा में चीनी दी जाती है जिसका कारण यह है कि प्रत्येक जिले में शहरी क्षेत्र की आबादी हेतु, चीनी काम में लेने वाले कारखानों हेतु अलग अलग मात्रा में चीनी दी जाती है, इनके बाद जो चीनी बचती है उसे ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित कराया जाता है। चूंकि उपरोक्त परिस्थितियां समस्त जिलों में समान नहीं होती । अत: इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी के वितरण की विभिन्न मात्राओं में होना अनिवार्य हो जाता है ।

द्वितीय ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी के वितरण की मात्रा वहां की जनता की रुचि को देखकर भी निर्धारित की जाती है यानि यह देखा जाता है कि अमुक ग्रामीण जनता चीनी उपभोक्ता है या गुड़ उपभोक्ता ।

(3) जी नहीं, जैसलमेर व जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों को बराबर चीनी नहीं दी जाती है। भाग 3 के खण्ड 2 का उत्तर भाग 2 में अभी दिया जा चुका है ।

श्री देवीदत्त (बारां) : यह चीनी महीने की कौनसी तारीख तक वितरित कर देनी चाहिए ?

श्री परसराम मदेरणा: महीने की कौनसी तारीख तक यह मैं अभी नहीं बता सकता। अलग अलग सेन्टर्स के अन्दर चीप ग्रेन शाप्स हैं और ज्योंही चीनी पहुंच जाये और उपभोक्ता लेने के लिए आये तो चीनी मिल जानी चाहिए और सब लोग एक साथ आते नहीं हैं। एक चीप शुगर शाप पर कई गांव होते हैं और ज्योंही उपभोक्ता आते हैं चीनी ले जाते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि देहात की जनता को चीनी दी जाती है वह शहरों से कम चीनी दी जाती है यह भेदभाव क्यों बरता जाता है ?

श्री परसराम मदेरणा : शहरों के लोग चीनी खाने के ज्यादा आदी होते हैं और ग्रामीण जनता को चीनी खाने की आदत पहले तो कम थी पर अब बढ़ती जा रही है क्योंकि उनकी भी पर्चेजिंग पावर बढ़ रही है। जैसा कि माननीय सदस्य खुद जानते हैं जिन्होंने प्रश्न पूछा है क्योंकि जिस इलाके के वह रहने वाले हैं उसी का मैं हूं, 15–20 साल पहले गांवों में चीनी के उपभोक्ता कितने कम थे और अब क्योंकि चाय पीने की आदत बढ़ रही है उसको देखते हुए पहले जो गांव में

Page No.4

(श्री परसराम मदेरणा)
चीनी दी जाती थी उसकी मात्रा हमने बढाई। भारत सरकार से कोशिश करने के बाद 7 हजार से 9360 टन बढवाई उसी हिसाब से गांवों में चीनी का कोटा बढाया गया है लेकिन मार्च से भारत सरकार जो कोटा राजस्थान को प्रतिमास अलाट करती है उसमें 2360 टन की कमी करदी है इसलिए उसी के अनुपात से चीनी के अनुपात में शहरों और गांवों में मात्रा घटा दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह।

श्री खेतसिंह : यह अरबन और रूरल का डिस्क्रिमिनेशन क्या मंत्री महोदय ठीक समझते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होना चाहिए लेकिन हमारे पास चीनी की कमी है और चीनी की कमी को देखते हुए यह राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर में रूरल पोपुलेशन और अरबन पोपुलेशन के बीच में 1:3 और 1:4 का रेश्यो है वही रेश्यो हमने राजस्थान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रखा है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ): अगर चीनी की कमी है तो ब्लैक में कहां से आती है ?

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन): क्या यह सही है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर ! मंत्री महोदय श्री सारण का जवाब दें।

श्री दौलतराम सारण : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब चीनी की कमी है तो ब्लैक में चीनी कहां से आ जाती है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उस ब्लैक का ठिकाना बता दीजिए ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) किसी कांग्रेसी की दुकान पर चले जायं, चीनी मिल जायेगी।

श्री खेतसिंह : चीनी की दुकानें तो जनसंघ वालों के पास ही ज्यादा हैं।

श्री परसराम मदेरणा: जहां तक चीनी के वितरण का प्रश्न है, एन्फोर्समेन्ट स्टाफ को इस बात की हिदायत दी गई है कि ज्योंही चीनी रिटेलर के पास पहुंचती है वह प्रोपर्ली डिस्ट्रिब्यूट होती है, इस पर पूरा चैक रखा जाए। जो चीनी आज ब्लैक में मिलती है तो यह हो सकता है कि कंज्यूमर्स के अलावा जो हलवाई हैं, फैक्ट्रीज हैं जिनको कि चीनी मिलती है वे चीनी का ठीक उपयोग करते हैं या नहीं उसके बारे में भी निगरानी रखी जाती है। मैं सदन को विश्वास में लेना चाहता हूं कि जो कुछ भी कोटा चीनी का इनको दिया जाता है उसका ठीक तरह से उपयोग हो और उसका ब्लैक मार्केट न हो इस पर पूरी निगरानी रखूंगा कि चीनी का ब्लैक किसी भी तरह से नहीं होने पाए।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष: श्री खेतसिंह, श्री खेतसिंह।

श्री भैरोंसिंह: ये खेतसिंह हैं या खेत सिंह हैं।

श्री अध्यक्ष : ये दोनों ही सिंह हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, on a point of order चेयर की इस तरह की नकल किया जाना

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

कहां तक उचित है ? क्या इस तरह से शासन की नकल करना उचित है ?

श्री अध्यक्ष : उचित और अनुचित मैं सम्भाल लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : आपसे तो कोई गुण ले ही लें, लेकिन इन से क्या लें ?

श्री अध्यक्ष : आप तो लेते हैं ।

श्री खेतसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो चैरिटेबल फण्ड होता है चीनी की सेल से, उसको कौन आपरेट करता है ? उस पैसे का क्या यूटिलाईजेशन होता है और उसके मेम्बर कौन कौन हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : इस फण्ड को जिले का कलेक्टर आपरेट करता है । सन् 1961 में राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन के द्वारा उस फंड को किस तरह से उपयोग किया जाएगा इसके लिए रूल्स बना दिए हैं । कलेक्टर ने अपनी एडवाईज के लिए, जो लोग उनके पास आवेदन पत्र देते हैं और पब्लिक यूटिलिटि के लिए जो यह चेरिटेबल फण्ड का पैसा खर्च होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बना रखी है । उस कमेटी की रिपोर्ट कलेक्टर के पास आती है । उसका एडवाईजरी बोडी का स्टेटस है लेकिन अलग अलग उसमें रकम खर्च कर सकते हैं । कुछ हद तक कलेक्टर सेंक्शन कर सकता है । उससे ज्यादा रकम हो तो फूड कमिश्नर सेंक्शन कर सकता है । उससे भी ज्यादा हो तो राज्य सरकार खर्च करती है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि चीनी की कमी को देखते हुए उत्तर प्रदेश से खाण्डसारी आयात करने का सरकार का विचार है ?

श्री परसराम मदेरणा : खाण्डसारी पर कोई रोक टोक नहीं है ।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि जो स्पेशल परमिट दिया जाता है वह बिना रिश्वत दिए उपलब्ध नहीं होता है ?

श्री परसराम मदेरणा : स्पेशल परमिट से माननीय सदस्य का क्या मतलब है मैं नहीं समझा ?

श्री श्रवणलाल : स्पेशल परमिट शादी विवाह के अवसर पर दिया जाता है । इस तरह की व्यवस्था सब जगह पर है लेकिन बिना रिश्वत दिए वह परमिट मिलता नहीं है । खास तौर से हिण्डौन तहसील के बारे में निवेदन करूं कि जब कभी इस प्रकार का परमिट लेना होता है तो कम से कम पांच रुपये एक परमिट के क्लर्क को दिए बिना परमिट नहीं मिल पाता है, यह बिल्कुल सही है ।

श्री परसराम मदेरणा : यदि जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं वह सही है तो मैं इसको बिल्कुल अनुचित समझता हूं । लेकिन मैं इतना अर्ज कर दूं कि शादी विवाह के मामले में स्पेशल कोटा कलेक्टर्स को दिया जाता है । शादियों के कुछ स्पेशल टाईम होते हैं और उन टाईमिंग्स पर स्पेशल कोटा दिया जाता है और वह कोटा स्पेशल परमिट्स से बंटता है । तो जब स्पेशल परमिट दिए जाते हैं तो यह राज्य सरकार का भी कर्तव्य हो

(श्री परसराम मदेरणा)

जाता है कि वह देखे और जांच करे कि अच्छी तरह से उसका उपयोग हो । लेकिन मैं यह विचार रखता हूं कि जनता के रिप्रेजण्टेटिव और पब्लिक की तरफ से भी बारबार यह शिकायत आती रहती है कि राज्य सरकार की तरफ से यह स्पेशल कोटा देने के संबंध में सख्ती बर्ती जाती है और कई फार्मेलिटीज ओब्जर्व करने के बाद जो ऐसे मौकों के लिए 15 या 20 किलो शक्कर दी जाती है, उसमें उनका तीन चार दिन जाया हो जाता है । तो जहां पर लिबरल रहते हैं वहां पर इस तरह की शिकायतें आती हैं और जहां स्ट्रिक्टनेस की जाती है तो हरेसमेंट होने की बात कही जाती है । फिर भी मैं निवेदन कर दूं कि मैं इस पर दुबारा गौर करूंगा और इस तरह का रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा ताकि जो राज्य कर्मचारियों के द्वारा रिश्वत लेने की बातें होती हैं उन पर पाबन्दी लगे और जो परमिट मिलें वे सही उपभोक्ताओं को सही उपयोग के लिए मिलें, इस बात का ध्यान रखा जाएगा ।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने फरमाया था कि ग्रामीणों की चीनी खाने की आदत कम है इसलिये उनका कोटा कम रखा जाता है । क्या मंत्रीजी का यह बयान खुद लोकतंत्र की स्प्रिट के खिलाफ नहीं है ? बीस साल पहले तो ग्रामीण विधान सभा में नहीं आते थे तो क्या उनका कोटा भी कम किया जा सकता है, या बीस साल पहले जोधपुर में आप भेड़ बकरी चरवाया करते थे तो अब भी भेड़ बकरी ही चराएं, यह बहुत ही अजीब बात है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने वक्तव्य को दुरुस्त करें और यह जो सारी व्यवस्था है इससे गांवों में बड़ा असंतोष है । वे महसूस करते हैं कि सुख के लिए तो शहर वाले हैं और दुख के लिए गांव वाले । फौज के लिए ग्रामीण हैं और आनन्द के लिए शहर वाले । तो सुरक्षा और समानता दोनों की दृष्टि से यह खतरनाक बात है । जो कुछ भी दुख या सुख है वह समान होना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, ग्रामों के साथ किसी दूसरी तरह का व्यवहार करने का मेरा तात्पर्य नहीं था । राज्य सरकार द्वारा सत्ता के विकेन्द्रीकरण और दूसरी तरह के कदम जो उठाए गए हैं वे इस बात के द्योतक हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को राज्य सरकार तरजीह देती है । राजस्थान में आज भी अरबन पोपुलेशन को जो कोटा अलाट होता है वह 2200 टन है और रूरल पापुलेशन को 3200 टन अलाट होता है । . . . . . .

श्री रामकिशन : पोपुलेशन का भी तो फर्क है ।

श्री परसराम मदेरणा : ठीक है, पोपुलेशन में फर्क है । मैं इस समय इतना ही अर्ज कर देना चाहता हूं कि अभी अरबन पोपुलेशन को जो कोटा दिया जाता है उस कोटे में किस हिसाब से क्या किया जा सकता है, इस मामले को मैं दुबारा रिव्यू करूंगा ।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि विवाह शादियों के लिये जो 15-20 या

Page No.7

(श्री श्रवणलाल)

50 किलो चीनी दी जाती है वह सब को बराबर नहीं देकर किन्हीं को तो इतनी भी नहीं मिलती है और कहीं पर व्यक्ति विशेष को एक एक बार में ही एक एक बोरी, दो बोरी या पांच बोरी तक चीनी दे दी गई है ? तो क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : ऐसी कोई शिकायत राज्य सरकार के सामने आएगी तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

श्री देवीदत्त : अध्यक्ष महोदय, मैं ....

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह।

श्री खेतसिंह : क्या मंत्री महोदय इसका भी कारण बतायेंगे कि जैसलमेर में तो एक किलो और जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में सौ ग्राम। इस तरह से क्यों है ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसलमेर में जो टोटल अलाटमेंट है, रूरल और अरबन और दूसरे एस्टीमेंट्स के लिए वह सिर्फ 98 टन है। और जोधपुर का अलाटमेंट 377 टन है। लेकिन जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग दूर दूर जगहों पर रहते हैं और सब के सब चीनी नहीं लेते इससे चीनी इकट्ठी हो जाती है और इसलिये जब दूसरे महीने में चीनी वितरित की जाती है तो वह उन्हें दूसरे महीने में ज्यादा मिल जाती है।

श्री खेतसिंह : उनको ज्यादा मिलती है और जोधपुर में कम मिलती है तो ग्रामीणों में आपस में बड़ा द्वेष फैल रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरजीराम।

श्री परसराम मदेरणा : पापुलेशन के अनुपात में तो बराबर है। वहां पर 98 टन और 377 टन है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : स्पेशल परमिट देने का क्या प्रमाण है ? अगर है तो कौन प्रमाणित करता है ? कोटा दिया जाता है सब के लिए ?

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : प्रश्न सं० 23।

श्री अध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य मंत्री।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार को अन्य राज्यों के मुकाबले में चीनी का कोटा कम मिलता है और उसका प्रमुख कारण यह है कि राजस्थान के सिविल सप्लाइज विभाग ने समय पर भारत सरकार को राजस्थान सरकार की ओर से एप्रोच किया और उसके बारे में पैरवी की।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इस सदन के आगे पहले भी कई बार उठाया गया है और मेरे प्रैडिसेशर ने राजस्थान सरकार की तरफ से उत्तर भी दिया था। जैसी कि मुझे जानकारी है कि 60-61 के आसपास जब चीनी का कन्ट्रोल हुआ उस वक्त अलग अलग राज्यों में जो आफटेक था उस आफटेक को आधार मानकर राज्यों को यह कोटा एलाट किया गया है। राजस्थान में उस वक्त के आफटेक को देखते हुए उस वक्त जो होलसेल डीलर्स थे वे सब के सब प्राइवेट आदमी थे तो जितनी चीनी एलाट की गई वह 7 हजार टन के आसपास थी तो यह कोटा 4 और सवा पांच टन के

Page No.8

(श्री परसराम मदेरणा)
बीच में रहा जैसे कि आंकड़े मैंने परसों देखे थे तो उस वक्त जो चीनी एलाट की गई थी तो उसी आधार को मानकर की गई थी और दूसरे राज्यों में चीनी का आफटेक ज्यादा था इसलिये राजस्थान की पापुलेशन और उनकी पापुलेशन बराबर होते हुए भी उनको कोटा ज्यादा दिया गया है। राजस्थान सरकार का भारत सरकार के साथ डिसकशन हुआ और दूसरी चिट्ठी-पत्री भी उनको लिखी गई और इस मामले को उठाया भी है जिसके फलस्वरूप 7 हजार टन मिलता था 64 के अन्त में और 65 के अन्दर यह जाकर 9360 टन हुई। लेकिन इस साल पूरे देश भर में गन्ने की फसल खराब हुई है और देश के अन्दर करीब करीब 30-40 परसेन्ट चीनी कम है इसलिये भारत सरकार ने सभी राज्यों का कोटा अनुपात से कम किया है जिससे राजस्थान में अभी युनिफार्मली कम कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री स्वास्थ्य मंत्री।

पंचायत समिति लाडनूं के गावों की जल-प्रदाय योजनाएं

23. श्री **हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

निम्बोजोधा ग्राम के अलावा पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर के किन किन ग्रामों की वाटर सप्लाई स्कीमें सरकार के विचाराधीन है और उनकी स्वीकृति कब तक हो जावेगी ?

उपमंत्री, स्वास्थ्य विभाग (श्री धीरसिंह) : कोई नहीं। (1) रताउ (2) लेडो ग्राम के लिए जल-वितरण योजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं। रोड ग्राम की जल-प्रदाय योजना बनाये जाने के लिये सर्वेक्षण का कार्य हाथ में ले लिया गया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : दोनों ही नहीं रोड और रताउ ?

श्री धीरसिंह : आवाज नहीं आई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपकी भी नहीं आती है।

श्री हरजीराम बुरड़क : उत्तर जो दिया वह साफ नहीं सुनाई दिया।

श्री धीरसिंह : दुबारा सुन लीजिये।

(दुबारा उत्तर पढ़ा गया)

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट !

बूंदी जिले में सड़क निर्माण कार्य

24. श्री **केसरीसिंह** (हिन्डोली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हिन्डोली तहसील (जिला बूंदी) में जो कच्ची सड़क संथूर से जहाजपुर वाया आंवन, बसोली, कनिया होकर जाती है उसकी मरम्मत पर सरकार ने अब तक कितनी रकम खर्च की है ?

(2) क्या सरकार इसे पक्की करने का विचार रखती है ?

(3) इस पंचवर्षीय योजना में इस जिले की किन-किन सड़कों को पक्की बनाया जायेगा ?

Page No.9

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन): (1) यह सडक इस महकमें की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(2) यह काम योजना में शामिल नहीं है।

(3) चौथी योजना अभी मन्जूर नहीं की गई है।

श्री केसरीसिंह : क्या सरकार यह बता सकेगी कि 20 साल के दौरान में बूंदी जिले के अन्दर कोई भी नई सडक बनाई गई है ?

श्री अमीनुद्दीन : यह तो मालूम करके आपको बता सकूंगा।

श्री केसरीसिंह : तो इसका अर्थ यह हुआ कि बूंदी जिले के लिए राजस्थान बड़ा ही दुखित रहा है। वहां पर न कोई सडक, न कोई पानी कार्य और न कोई अन्य नया कार्य हुआ है। जब भी पूछते हैं तो सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि योजना में नहीं लिया गया है तो मैं यह जानना चाहूँगा कि किसी रोज भी ऐसा दिन या तिथि आयेगी जब कि बूंदी जिले के लिए कोई योजना हाथ में ली जायगी। क्या किसी दिन माननीय बृजसुन्दरजी मुख्य मंत्री बनेंगे उस दिन की आशा लेकर चलें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या यह सही है कि इसके लिए कोई इस प्रकार की योजना बनी है जो यह योजना में आ सके ? कोई कार्यक्रम ऐसा बनाया है कि कभी तो यह योजना में आ सके ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ऐसी योजनाएं जब भी बनती हैं तो किसी हिसाब से बनती हैं। कमेटी उसकी होती है वह प्लान करके बनाती है।

श्री श्रवणलाल : अभी तक योजना नहीं लेने के क्या कारण थे ?

श्री अमीनुद्दीन : बनाने वालों को मालूम होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री खेतसिंह !

श्री श्रवणलाल : इनको यह भी पता नहीं कि सरकार कब बनी।

पशुपालन विभाग द्वारा सांडों का वितरण

25. **श्री खेतसिंह** (शेरगढ) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले के विभिन्न पंचायत समितियों में कौन कौन सी नस्ल के सांड वितरित किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि विभागीय मंजूरी के पूर्व ही कुछ सांड पंचायत समितियों ने खरीद लिए थे ?

(3) क्या यह सही है कि थारपारकर नस्ल पाकिस्तान में जाने के फलस्वरूप इस वंश के सांड राजस्थान में बहुत कम उपलब्ध हैं ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जोधपुर जिले में थारी, कांकरेज एवं नागौरी तथा पंचायत समिति आप के थोडे से हिस्से में राठी नस्ल विभाग द्वारा अनुमोदित है। वास्तव में कौन कौन सी नस्ल के स

(श्री परसराम मदेरणा)

वितरित किये गये हैं यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(2) पंचायत समितियों के क्षेत्र के लिए विभाग द्वारा स्वीकृत नस्लों के सांड बिना विभाग की पूर्व स्वीकृति के खरीद सकती है।

(3) जी हां।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सरकार बतायेगी कि जो सांडों का वितरण वे करते हैं तो क्या पंचायत समिति गायों की नस्ल भी देख लेती है उसके बाद में सांडों की नस्ल का ख्याल रखती है या यों ही।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक सांडों के खरीदने का प्रश्न है तो कुछ गवर्नमेंट के फार्म हैं वहां पर प्रोजेनी मल्टीप्लाई की जाती है और वे जो सांड दिये जाते हैं वे फ्री दिये जाते हैं। दो प्रकार की स्कीम है कुछ पंचायत समितियों के पास पैसा है उनको फ्री देने के लिए और कुछ को जो सी० डी० की तरफ से सब्सिडी दी जाती है 400 रुपये के आसपास, तो एक कमेटी गवर्नमेंट ने बना रखी है वह सिलेक्ट करती है और वे सिलेक्टेड ब्रीड के सांड खरीद सकते हैं दूसरों के नहीं, लेकिन राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री खेतसिंह!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He is not interested.

जोधपुर शहर व जिले में चीनी का वितरण कार्य

26. **श्री खेतसिंह** (शेरगढ) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर में प्रति व्यक्ति चीनी किस हिसाब से दी जाती है ?

(2) जोधपुर जिले के अन्य गावों को चीनी प्रति व्यक्ति किस हिसाब से दी जाती है ?

(3) जिले में चीनी के वितरण का कार्य किसके अधिकार में है ?

(4) क्या इस वितरण के संबंध में गैर सरकारी व्यक्तियों को भी पूछा जाता है ? यदि हां, तो कैसे ?

(5) गांवों में चीनी वितरण का कार्य किसके हाथ में है ? क्या तहसील स्तर पर भी कोई कमेटी इस बाबत है ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) माह मई, 1967 के पहिले चीनी की मात्रा एक किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह दी जाती थी। अब यह मात्रा 700 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दी गई है।

(2) माह मई, 1967 के पहिले जोधपुर के अन्य गावों में चीनी की मात्रा 200 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह दी जाती थी। अब यह मात्रा 150 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दी गई है।

(3) जिले में चीनी वितरण का कार्य जिलाधीश के अधिकार में है।

(4) जी हां, जिले में खाद्य सलाहकार समिति गठित है और इस समिति की बैठक में चीनी वितरण की व्यवस्था पर भी चर्चा होती है।

(श्री परसराम मदेरणा)

(5) गांवों में चीनी वितरण की व्यवस्था तहसीलदार द्वारा की जाती है तथा तहसील स्तर पर कोई भी समिति गठित नहीं है।

श्री खेतसिंह : क्या यह सही है कि जिला स्तर पर ऐसी कमेटी की कोई मीटिंग जोधपुर में नहीं हुई ?

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : क्या यह सही है कि राजस्थान में ही नहीं हुई ?

श्री परसराम मदेरणा : हर जिले के लिए खाद्य सलाहकार समिति का गठन किया हुआ है। उसकी मीटिंग हुई या नहीं हुई और अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है इसकी जानकारी प्राप्त करके आपको इत्तला दे सकता हूं, लेकिन आर्डिनरिली उनको ऐसी मीटिंग बुलानी चाहिए और जो उस कमेटी के सदस्य हैं उनको बुलाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं अपनी जानकारी के आधार पर कि ऐसी हर जिले में कमेटी तो बना रखी है, लेकिन किसी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई और जो भी सुझाव आते हैं तो उस पर चर्चा नहीं की गई, जैसे चीप ग्रेन की राशन शाप्स हैं उनके बारे में और चीनी के वितरण के बारे में कि किस प्रकार से उसका वितरण किया जाय उसके लिए राय नहीं ली जाती है। कमेटी बना रखी है तो उसका कोई सेन्स नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कमेटी की मीटिंग क्रियान्वित करने के लिए या कार्य करते रहने के लिए ऐसे स्टेप सरकार को लेने चाहिए नहीं तो उससे कोई फायदा नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार तुरन्त आदेश प्रसारित कर देगी कल कि ऐसी सलाहकार समितियों को जल्दी ही बुलाया जाय और थोड़ी थोड़ी अवधि के अन्दर बुलाया जाय और उनको खास तौर से हिदायत कर देंगे कि चीनी वितरण के संबंध में सलाहकार समिति की राय ली जाय।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इस सदन में आश्वासन दिया गया था पिछली सरकार द्वारा और उनके आदेशों की अवहेलना करके जब जिलाधीशों ने मीटिंगें नहीं बुलाई और जिन्होंने सलाहकार समिति की सलाह को नहीं माना और जिन्होंने नहीं बुलाई तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया सरकार ने। इस प्रकार की सूचना इस सदन में देने की कृपा करें।

श्री परसराम मदेरणा : किन किन कलेक्टर्स ने खाद्य सलाहकार समिति की मीटिंग नहीं बुलाई या बुलाई है--इसको मैं तुरन्त जानकारी प्राप्त कर लूंगा और जानकारी प्राप्त करने के बाद जिन लोगों ने नहीं बुलाई है उन्होंने क्यों नहीं बुलाई है--इसकी पूरी जानकारी करने के बाद में विचार करूंगा कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि इसी सदन में खाद्य मन्त्री ने आश्वासन दिया था और मुख्य मन्त्रीजी ने भी आश्वासन दिया था कि वह स्वयं इस बात का तकाजा करेंगे जिलाधीशों को कि इस प्रकार की खाद्य सलाहकार समितियों की बैठक वे बुलायें और बुलाकर मीटिंग में निर्णय लें कि खाद्य वितरण की व्यवस्था

Page No.12

(श्री भैरोंसिंह)

किस प्रकार से करें। मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी अधिकारी इस बात को अपनी शान के खिलाफ समझते हैं कि लेजिस्लेटर्स को, जिला प्रमुख को और पंचायत समिति के प्रधानों की मीटिंग बुला कर उनसे इस प्रकार की सलाह लें। वह चाहते हैं कि केवल उनका हुक्म चले और वह किसी को भी सलाह लेने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि या तो मन्त्री महोदय इस सदन में इस प्रकार की बात न करें, इस प्रकार के आश्वासन न दें और इस प्रकार के हुक्म न निकालें। और अगर वे हुक्म निकालते हैं तो वे देखें कि उनके हुक्म की तामील होती है। मैं इतना कहना आवश्यक समझता हूं कि अधिकारी वर्ग मन्त्री महोदय के इस प्रकार के हुक्मों के अनुसार कार्यवाही नहीं करते हैं, वे उन हुक्मों को बेपरवाही से तामील नहीं करते हैं और आज तामील कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना आश्वासन दे सकता हूं कि राज्य सरकार के हुक्म नीचे के अधिकारियों को मानने चाहिये और उनका पालन करना चाहिये। अगर हुक्म का पालन करने में कोई कमी रही है तो मैं यह देखूंगा कि सख्ती के साथ उनका पालन करने की पाबन्दी होती है और अगले सत्र में जब मिलेंगे तो मैं एक विस्तृत जानकारी माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में दूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं आवश्यक समझता हूं कि सरकार को अनिवार्य रूपेण ऐसे आदेश देने चाहिये जिलाधीशों को कि अमुक समय में अनिवार्य रूप से वितरण कमेटी की मीटिंग बुलानी और निश्चित रूप से उनकी सलाह लेनी चाहिये। तब तो आपके पास कोई न कोई मुद्दा रहेगा और आप जांच भी कर सकते हैं। नहीं तो आप केवल मात्र यह आदेश दे दें कि यह अधिकार दिये जाते हैं और आवश्यकता के अनुसार खाद्य सलाहकार समिति की मीटिंग बुलाई जाय तो मेरे खयाल में तो यह अपर्याप्त है और सरकार के लिये मेरे खयाल में यह शर्मनाक बात है कि शक्कर जैसी जीवन की आवश्यकता की चीज की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। आप कुछ न कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कीजिये और शक्कर के वितरण की व्यवस्था को सुधारिये और कोई ढंगसर काम तो करिये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाने का सवाल है उसके सम्बन्ध में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी विचार व्यक्त किये, मैं सोचता हूं कि एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के इन्टरवल का पीरियड क्या होना चाहिये, यह मेरे दिमाग····

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पीरियोडिकल !

श्री भैरोंसिंह : वह निर्धारित है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : You should improve the situation. The things are going from bad to worse.

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार ने यह पहले ही तय कर दिया है कि इतने समय में मीटिंग बुलाई जाय।

श्री परसराम मदेरणा : सरकार ने कर दिया है और उसका पालन नहीं हो रहा है तो मैं देखूंगा कि क्यों नहीं हुआ है। और मैं उसके लिये एक पीरियड मुकर्रर कर दूंगा कि अमुक पीरियड के बाद में लाजिमी तौर पर निर्दिष्ट बुलाई जानी चाहिये, जैसा कि विरोधी पक्ष के नेता महोदय कह रहे हैं। अब जहां तक वितरण व्यवस्था का सवाल है तो जो वितरण व्यवस्था में कमी है उस कमी को राज्य सरकार दूर करने का प्रयास करेगी। एक बात मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को वितरण में कहीं भी कोई गडबडी मालूम हो या कहीं उनको लूप होल मालूम हो तो उनको कैसे दूर किया जाय, इसके सम्बन्ध में वह कोई कन्स्ट्रक्टिव सजेशन देंगे तो राज्य सरकार उनका स्वागत करेगी और उन पर अमल करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम!

ग्राम निम्बी जोधां की जल प्रदाय योजना

27. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निम्बी जोधां जिला नागौर में वाटर सप्लाई स्कीम का कार्य कब चालू किया गया और कब तक पूरा हो जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 20-2-67 को पानी की सप्लाई शुरू की गई थी? यदि हां, तो बाद में बन्द क्यों करदी गई?

(3) इस ग्राम में पानी की नियमित सप्लाई कब तक चालू हो जायेगी?

उप मंत्री जन स्वास्थ्य (राव श्री धीरसिंह): (1) ग्राम निम्बी जोधां में वाटर सप्लाई स्कीम का कार्य अगस्त, 1965 में चालू किया गया, योजना का कार्य प्रायः पूर्ण हो चुका है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) स्कीम को मेन्टीनेन्स पंचायत द्वारा करने के लिये 3 माह का खर्चा अग्रिम जमा करा देने पर नियमित जल वितरण चालू कर दिया जायगा जिसके लिए पंचायत को लिख दिया गया है।

श्री हरजीराम बुरडक : क्या 20-2-67 को पानी चालू नहीं किया गया था?

राव श्री धीरसिंह : 20-2-67 को केवल टैस्ट किया गया था। वितरण चालू नहीं किया गया था।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह!

श्री विजयसिंह (नसीराबाद) : मैं जानना चाहूंगा कि 20-2-67 को कितने दिनों के लिए पानी चालू किया गया था?

श्री अध्यक्ष : आर्डर! आर्डर!! श्री खेतसिंह!!

शेरगढ़ तहसील के गांवों में आयुर्वेदिक औषधालय

28. **श्री खेतसिंह** (शेरगढ़) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील शेरगढ़ के काफी गांवों में एक स्थान पर ही

Page No.14

(श्री खेतसिंह)
आयुर्वेदिक औषधालय है और प्राथमिक चिकित्सालय का सब-सेन्टर अथवा चिकित्सालय भी?

(2) क्या यह सही है कि दोनों एक स्थान पर होने से अन्य गांवों को, जहां कुछ भी नहीं है, राहत मिलने में कठिनाई होती है?

(3) दोनों केन्द्र एक ही गांव में रखने से राज्य सरकार का क्या प्रयोजन है?

(4) पंचायत समिति, शेरगढ व बालेसर के कई बार अनुरोध करने पर भी आयुर्वेद विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

(5) क्या राज्य सरकार विभिन्न गांवों में अलग अलग सहूलियत देने के बारे में कोई निर्णय लेने वाली है?

आयुर्वेद मन्त्री (राव श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) जी हां, शेरगढ तहसील के सोमसर, भुवालिया और खेतरावा इन तीनों गांवों में पहले से ही आयुर्वेद औषधालय चालू थे और बाद में चिकित्सा केन्द्र सोमेसर और बालेसर में भी खुले हैं।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय जरा जोर से बोलिये। नोट ओडिबल!

श्री नारायणसिह मसूदा : (2 व 3) अन्य गांवों को भी राहत मिले अतः सरकार की यह नीति है कि दोनों संस्थाएं औषधालय व प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एक स्थान पर न चलें। औषधालय को हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

दूसरे गांव में औषधालय को शिफ्ट (परिवर्तन) करने में विलम्ब का कारण वहां उपयुक्त स्थान नहीं मिलने का है। जिसके लिए प्रयत्न जारी है।

(4) पंचायत समिति शेरगढ व जिला परिषद् जोधपुर के प्रस्ताव पर सोमेसर से मुगरा आयुर्वेदिक औषधालय बदलने के आदेश दिये जा चुके हैं। पर उपयुक्त भवन अब तक भी अप्राप्त है। भवन मिलते ही औषधालय वहां परिवर्तित कर दिया जायेगा।

(5) भाग 2 में इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री खेतसिह : माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खतरावा कौनसी तहसील का गांव है? खतरावा नाम का गांव है नहीं।

राव श्री नारायणसिह मसूदा : संतरावा है।

श्री खेतसिह : कृपा कर यह बतलाने का कष्ट करें कि उपयुक्त स्थान से क्या मतलब है? उपयुक्त स्थान कौनसा होगा? जो डाइरेक्टर की निगाह में उपयुक्त हो या मंत्री महोदय जिसको उपयुक्त समझें?

राव श्री नारायणसिह मसूदा : उपयुक्त से मतलब यह है कि उसमें आबादी को दे[illegible] जाता है। गवर्नमेंट द्वारा पालिसी डिसीजन यह लिया गया है कि जहां प्राइमरी हेल्थ

Page No.15

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा)

सेन्टर हो वहां पर औषधालय स्थापित न किया जाय। दूसरे यह कि जहां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर काफी दूर है और आबादी इतनी है कि जिसको कवर करने के लिये औषधालय वहां होना चाहिये और उपयुक्त समझ कर किसी स्थान पर स्थापित करना चाहिये। जिस तरह भंगरा का प्रश्न आया तो वहां पर परिवर्तित कर दिया जायगा।

श्री खेतसिंह : इस प्रकार के प्रपोजल्स जोधपुर जिले की पूरी पंचायत समितियों के आपके अधिकारियों के पास भेजे लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें उपयुक्त क्यों नहीं समझा ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : इसमें यह है कि जिस वक्त प्रपोजल्स भेजे तो भंगरा के लिए सोमेसर वालों ने अजीज किया, उसका विरोध किया। उसके बाद में सोमेसर में प्राथमिक चिकित्सालय हो गया तो फिर यह बात हुई कि फिर भंगरा के लिए औषधालय के लिये कोई स्थान ढूंढा जाय। अब वह स्थान ढूंढने में, आप स्वयं समझ सकते हैं, कितनी कठिनाई हो सकती है। वह कठिनाई यहां पर प्रस्तुत है। वहां स्थान मिलते ही वहां औषधालय खोलने जा रहे हैं।

श्री खेतसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां कोई कठिनाई नहीं है। गांव वाले मकान देने को तैयार हैं और आपके जो वैद्य आयें उनको पूरी सुविधायें देने को तैयार हैं। केवल आपकी तरफ से ही कठिनाई है।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का प्रयत्न करेंगे कि वहां कठिनाई नहीं हो और तुरन्त स्थान मिल जाय तो मैं समझता हूं कि अवश्य ही शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री रामकिशन (बैर) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर जहां हैं वहां औषधालय नहीं हो। यह प्राइमरी हैल्थ सेन्टर और डिस्पेंसरी सबके लिये यह नीति है या केवल प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिए है ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : नीति यह बनाई गई है......

श्री रामकिशन : वह तो मैं समझ गया। प्रश्न यह है कि डिस्पेंसरी जहां है वहां औषधालय रहेगा या दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : डिस्पेंसरी जहां खोली गई है वहां औषधालय नहीं हो इस प्रकार का प्रयत्न किया जाय केवल खर्च में किफायत करने के लिए।

श्री रामकिशन : जहां दोनों हैं वहां सरकार की क्या व्यवस्था होगी ? क्या दोनों प्रकार की सुविधायें मिल पायेंगी ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : इस तरह की स्थिति है उसका अवलोकन किया जा रहा है और प्रयत्न किया जा रहा है कि दो प्रकार के चिकित्सालय एक स्थान पर न रहें। और चिकित्सालय के साधन इस प्रकार से वितरित कर दिये जांय कि जहां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर एलोपैथी का न हो वहां लोकल वैद्य अथवा हकीम—उसका कुछ कार्य

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा)

चालू हो जाय— इस प्रकार का प्रयत्न किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम !

जोधपुर-बीकानेर व किशनगढ़-सुजानगढ़ बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण

29. **श्री हरजीराम बुरडक** : (लाडनूं) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार जोधपुर-बीकानेर (वाया नागौर, नोखा मण्डी) व किशनगढ़-सुजानगढ़ (वाया परबतसर कुचामन, डीडवाना, लाडनूं) दोनों बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण कब तक हो जावेगा।

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (1) अभी सन् 1967 में इन मार्गों के राष्ट्रीयकरण करने का कोई विचार नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : राष्ट्रीयकरण करने में सरकार की क्या नीति है और किस नीति के आधार पर इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसके मुतल्लिक एक कमेटी बन चुकी है जो झाला कमेटी के नाम से है।

श्री केसरीसिंह (हिन्डोली) : कृपया इस सम्बन्ध में सरकार की नीति बताई जावे।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह तो कोरपोरेशन है इसके प्रोग्राम बनते हैं वे तो उनकी सहूलियतों के मुताबिक बनते हैं। कितनी गाडियें हैं और कितने रुपये हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या इसके लिये सरकार की ओर से कोई फेजड् प्रोग्राम है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : हां बने हुए हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या इसका फेजड् प्रोग्राम में उल्लेख है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह फोर्थ प्लान में नहीं है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : चौथी योजना में कितने रखे गये हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह मैं आपको बाद में बता दूंगा।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकरण करना उन्नति की निशानी है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री खेतसिंह।

मार्केटिंग सोसाइटीज का गठन

30. **श्री खेतसिंह** (शेरगढ) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मार्केटिंग सोसाइटी किस आधार पर खोली जाती है ?

Page No.17

(श्री खेतसिंह)

(2) क्या यह सही है कि कहीं कहीं तो दो मार्केटिंग सोसायटी एक तहसील में गठित की गई हैं और कहीं कहीं एक तहसील में एक भी मार्केटिंग सोसाइटी कार्य नहीं कर रही है? यदि हां, तो ऐसा क्यों है?

(3) जोधपुर मार्केटिंग सोसाइटी के तहत कितनी तहसीलों की समितियां आती है?

सहकारी मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) मार्केटिंग सोसायटी के गठन का आधार वह मन्डी होती है जहां पर किसान अपनी उपज को बेचने के लिये लाते हैं।

(2) मार्केटिंग सोसाइटी तहसील स्तर पर नहीं बनाई जाती। यदि किसी तहसील में मन्डी है और उसमें आस पास के गांवों की उपज बिकने को आती है और ऐसे काश्तकारों की सहकारी समितियां गांवों में गठित हो चुकी होती हैं तो वे समितियां मिल कर एक मार्केटिंग सोसाइटी गठित करती हैं।

(3) जोधपुर कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का कार्य क्षेत्र उसके बाईलाज के अनुसार जोधपुर व शेरगढ तहसील के गांवों तक सीमित है।

श्री खेतसिंह : रिकोगनाइज्ड मन्डियां किस आधार पर मानी जाती हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उन मन्डियों में कितना लाख मन धान उस मन्डी में बेचा जाता है यह उसका क्राईटेरिया है।

श्री खेतसिंह : बालेसर का आपने सर्वे कराया?

श्री परसराम मदेरणा : रिकोगनाइज्ड मन्डियें तीन प्रकार की होती हैं। ए, बी और सी।

जिसमें 10 लाख मन से अधिक अनाज बिके वह ए।

जिसमें 5 लाख और दस लाख मन के बीच में अनाज बिके उसको बी, जिसमें 5 लाख से नीचे अनाज बेचा जाता है उसको सी।

जहां तक हमारे पास में आंकडे हैं, आपके शेरगढ तहसील में अभी तक कोई ऐसा मार्केटिंग सेन्टर नहीं है जो इन तीनों केटेगरीज में केटेगराइज किया जावे।

इसके लिये पहले सर्वे हुई है। उसके बाद फिर राजस्थान में 131 मन्डियें हैं जहां इस प्रकार क्रय विक्रय होता है। शेरगढ में बालेसर है उसको सरकार प्राइवेट डीलर्स के द्वारा कलेक्टिंग सेन्टर मानती है मगर मन्डी जोधपुर को मानते हैं। अगर कोई आधार आता है तो मैं दुबारा जांच कराऊंगा।

एक माननीय सदस्य : क्या 113 मन्डियां रिकोगनाइज्ड हैं उनमें सब में मार्केटिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने 131 बताया है।

श्री केशरी सिंह (हिन्डोली) : क्या सरकार सब जगह मार्केटिंग सोसाइटीज खोलने का प्रयास करेगी।

श्री परसराम मदेरणा : करीब करीब सभी जगह पर हैं और जहां नहीं है तो वहां सहकारिता अवश्य प्रयत्न करेगी।

एक माननीय सदस्य : कितनी जगह नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(11.37 म. पू.)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री दामोदरलाल व्यास (चिकित्सा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 2/2(13)एच. ए./2/एम. पी. एच./66 दिनांक 8/13 सितम्बर, 1966 की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा राजस्थान उपहार वस्तुएं (व्यापार तथा अवैध कब्जा) अधिनियम, 1964 से संलग्न अनुसूची में संशोधन किया गया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (ख) विभाग की अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:—

(क) अधिसूचना संख्या एफ. 6(9) रे. व. बी।64 दिनांक 26 अप्रेल, 1966.

(ख) अधिसूचना संख्या एफ. 6(117) रे.व. बी।ग्रुप 1।64 दिनांक 16 जून, 1966

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी कर अधिनियम, 1950 की धारा 71 (3) के अन्तर्गत, वित्त (राजस्व एवं अर्थ कार्य) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1 (57) एफ. डी.। एक्स.।65 दिनांक 13 मार्च, 1967 को सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 की धारा 79 (2) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायत समिति ऋण नियम, 1966 की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर यह अधिनियम, सूचनाएं रखी जा रही हैं मगर इनकी डेट बहुत पहले की हैं। सदन में बहुत जल्दी रखी जानी चाहिये थी। इसको रखने में डिले हुआ है वह क्यों हुआ है इसका कारण तो पता लगना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं इनकी तारीखों को देख लेता हूं।

श्री भैरोंसिंह : तारीखें तो इनकी सामने हैं। आप देख लें या मैं पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : मैं देख रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो एसेम्बली शुरू होते ही रखने चाहियें। इसमें लिखा है कि पिछले साल के अप्रेल के हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं इस ओर सतर्कता रखने के लिये कहूंगा और भविष्य में अधिक सतर्कता रखेंगे और जल्दी रखेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने तो जल्दी ही रखा है। यह पहले सेशन का शुरूआत ही है।

एक माननीय सदस्य : पहले सेशन के शुरूआत में ही रखा जाना चाहिये।

श्री अमीनुद्दीन (यातायात मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं गृह (ख) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं।

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

(क) अधिसूचना संख्या एफ. 1(3) (29)गृह(ख-1)166 दिनांक 18 नवम्बर, 1966।

(ख) अधिसूचना संख्या एफ. 1(3) (8)गृह ख 1।66 दिनांक 14 दिसम्बर, 1966।

(ग) अधिसूचना संख्या एफ. 1(3) 15 गृह ख 1/66 दिनांक 14 दिसम्बर, 1966।

(घ) अधिसूचना संख्या एफ. 1(1) (11)गृह ख 1/65दिनांक 31-12-66 ।

श्री श्रवण कुमार (हिन्डौन) :-अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल का तहसील किशनगंज में पेय जल कष्ट का स्थगन प्रस्ताव है। इस स्थगन प्रस्ताव पर राव श्री नारायण-सिंह मसूदा अपना वक्तव्य देंगे।

(तहसील किशनगंज में पेय जल के सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य)

श्री नारायण सिंह मसूदा (आयुर्वेद मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, तहसील किशनगंज में कुल तीन ग्रामों (1) भंवरगढ (2) किशनगंज (3) एवं नाहरगढ ऐसे हैं जिनकी जन संख्या 2000 से ऊपर है और वहां पाइप्ड जल प्रदाय योजनाएं बनाई जा सकती हैं।

इसी प्रकार शाहबाद तहसील में केवल कस्बा शाहबाद ही ऐसा ग्राम है जिसकी आबादी 2000 से ऊपर है और वहां पाइप्ड जल प्रदाय योजना बनाई जा सकती है। इसके साथ ही शाहबाद तहसील हेड क्वार्टर होने की वजह से जन संख्या 2000 से कम होने पर भी योजना बनाई जा सकती है।

सन् 1964 में वाटर बोर्ड की तरफ से प्रत्येक जिला प्रमुखों, प्रधान पंचायत समितियों एवं जिलाधीशों से उन ऐसे 10 ग्रामों की सूची मांगी गई थी जिन्हें योजना बनाने में प्राथमिकता दी जाय, किन्तु शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में से किसी भी ग्राम का नाम प्राथमिकता सूची में प्राप्त नहीं हुआ।

किशनगंज व भंवरगढ तहसील किशनगंज की जल प्रदाय योजना बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

हाल ही में राजस्थान के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का समाधान करने हेतु एक मास्टर प्लान तैयार किया जाकर भारत सरकार को भेज दिया गया है। इस मास्टर प्लान की कुल लागत 70 करोड रुपये है। इस मास्टर प्लान में तहसील किशनगंज एवं तहसील शाहबाद के क्षेत्र में पीने के पानी की कमी दूर करने के लिये योजना शामिल है जिसकी कुल लागत 19 लाख रुपये होगी। किन्तु, आवश्यक धन राशि उपलब्ध होने पर ही कार्य हाथ में लिया जा सकेगा।

श्री नन्द लाल (किशनगंज) : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा था वह किसी पर्टीक्यूलर जगह के लिये नहीं रखा था. मैंने तो जनरल उस इलाके के सभी गांवों में पीने के पानी की भयंकर समस्या है. उसके लिये रखा था. जिन गांवों के अन्दर सभी लोगों को आठ-आठ, दस-दस, बारह-बारह मील दूरी से

(श्री नन्दलाल)

पानी लाना पड़ रहा है और जो लोग इतनी दूर से पानी लाने में असमर्थ हैं उन लोगों को एक रुपये में एक घड़ा पानी का खरीदना पड़ रहा है। इसके लिये आप क्या कर रहे हैं····

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : यही आपका समाजवाद है, 20 साल की आजादी का समाजवाद है ?

श्री नन्दलाल : आपने किशनगंज, शाहाबाद और भंवरगढ़ के नाम लिये हैं, इनके लिये ही जल प्रदाय योजना के बारे में मैंने नहीं पूछा, इस सारे क्षेत्र के बारे में मेरा सवाल था। एक जनरल भयंकर स्थिति मैंने सामने रखी है कि उस क्षेत्र में पीने के पानी का भयंकर संकट है। आदमियों की बात ही नहीं, मवेशियों की तो और भी भयंकर दुर्दशा है। मवेशी यदि पानी का रास्ता भटक जाता है तो वह खत्म हो जाता है। आप जाकर देखेंगे तो रास्ते में कई मवेशी मरे पड़े मिलेंगे, राज्य सरकार जांच करवाले कि कितने जानवरों की मौतें हो रही हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : पशुओं में बीमारी आ गई होगी।

श्री नन्दलाल : बीमारी नहीं, पानी न मिलने की कारण मर रहे हैं।

मैंने एक और प्रश्न रखा था, वहां कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कुछ ही दिन पहले ओला वृष्टि हुई थी, खड़ी फसलें पूरी की पूरी नष्ट हो गई थी। न तो वहां के लोगों के पास खाने के लिये अन्न है और न ही पीने के लिये पानी है और न मवेशियों के खाने के लिये चारा ही बचा है। जहां ओला वृष्टि हुई वह स्कारबेंड एरिया घोषित कर रखा है, वहां के लोग बारां से अनाज नहीं ले जा सकते, उनके लिये इस कानून को पूरी तरह लागू कर रखा है, एक मन अनाज भी वे नहीं ले जा सकते, मेरे पास पांच सात लोगों की चिट्ठियां आई हुई पड़ी हैं। यह बतावें कि इसके लिये जल्दी से जल्दी क्या प्रबन्ध कर रहे हैं।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : अभी जो एडजार्नमेन्ट मोशन है वह तो शाहाबाद, किशनगंज, भंवरगढ़ के ग्रामों के जल के संकट के बारे में है, मैं इस पर प्रकाश डालूंगा कि हम इसके लिये कितने चिन्तित हैं और कितने प्रयास कर रहे हैं। पर सारे फेमीन को इसमें लाना·····

श्री नन्दलाल : केवल पानी के संकट के निवारण के संबंध में बता दीजिये।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं पानी के बारे में अर्ज करता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि इधर तो बढ़ती हुई आबादी, हमारी काश्त भी बढ़ रही है, जंगल कम हो रहे हैं। जितना पोटेन्शियल बनना चाहिए, वर्षा से और दूसरे से, उसकी भी कमी आती है, यह सारी एक साइकिल है, इसको आज देखते हैं तो हम स्वयं घबराते हैं, वन इधर बढ़ते नहीं, बढ़ती हुई आबादी, घटती हुई वर्षा, हमारी बढ़ती हुई जरूरतों के कारण और भी वनों को काश्तकारी के काम में ले सकें तो बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, वाटर लेवल भी कम हो गया है। चम्बल योजना जिस समय बनाने लगे पानी प्राप्त करने के लिये उसके बाद कितने परिवर्तन हुए·········

Page No.21

श्री भैरोंसिंह : इन क्षेत्रों के लोगों को पीने के लिये पानी कैसे मिलेगा यह बताइये आप तो योजनाओं पर चले गये।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : वही अर्ज कर रहा हूं। यह जो समस्या पैदा हुई, उसके हल के लिये 70 करोड़ की योजना बनाई गई कि गांवों में जहां तक हो सके पेय जल के संकट को दूर कर के पेय जल की व्यवस्था कर सकें। इसका रुटीन कोर्स चल रहा है, प्रायोरिटी वगैरह है उसके मुताबिक प्रयत्न किये जा रहे हैं कि इस वर्ष जितनी योजनाओं को हाथ में लिया जा सकता है उन्हें हाथ में लें ......

श्री भैरोंसिंह : यह राजस्थान सरकार के मंत्री जवाब दे रहे हैं, 3 दिन के नोटिस के बाद। उनके सामने इस प्रकार की अवस्था पैदा हो गई है तो चम्बल योजना की और दूसरी बातें सामने क्यों लाते हैं, साफ साफ कह दें कि शाहाबाद, किशनगंज के गांवों में जो पीने के पानी का भयंकर संकट है, वहां हम पानी का कोई प्रबन्ध नहीं कर सकते, हम तो घबरा रहे हैं, वर्षा नहीं हो रही है, बिजली कम आ रही है, आबादी बढ़ रही है, यह सब समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, इसलिये हम पानी का प्रबन्ध नहीं कर सकते।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : शाहाबाद का प्रश्न आया था पर सारे विषय राजस्थान के ....

श्री भैरोंसिंह : सारे राजस्थान का नहीं, शाहाबाद के क्षेत्र में पीने के पानी का संकट है, उसके बारे में कह दीजिये।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : शाहाबाद के बारे में निवेदन करूं, सरकार को इसके बारे में योजना भेज दी गई है और शीघ्रातिशीघ्र प्रयत्न किये जायेंगे कि इस संकट को दूर किया जा सके। एक दम तो नहीं हो सकता ....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह शीघ्रातिशीघ्र यहां सदा सुनने को मिलता है। मैं यह निवेदन कर दूं कि वह सहरिया क्षेत्र है, डाकुओं से त्रस्त क्षेत्र है, डाकुओं के कारण उस क्षेत्र के लोग वैसे ही भयभीत हैं, आबादी वहां से भागती चली आ रही है। माननीय सदस्य ने उस क्षेत्र की भयंकर समस्या की ओर स्पेसिफिक ध्यान आकर्षित किया है। राजस्थान सरकार योजनाओं के नाम पर इस महत्वपूर्ण प्रश्न को टालना चाहती है, इससे अधिक शर्म की बात सरकार के लिये नहीं हो सकती। या तो सरकार स्पष्ट रूप से कहे कि हमारे पास साधन नहीं हैं, हम वहां पानी का प्रबन्ध करने में असमर्थ हैं। आपकी योजनाओं को लेकर क्या चाटेंगे। मई के महीने में आज वहां पानी की कमी के कारण जानवरों की मौतें हो रही हैं। आदमी पांच-पांच, सात-सात माइल दूर से पानी लाते हैं, आपकी योजनायें दो साल बाद, 5 साल बाद आयेंगी, योजनायें कागज के टुकडों पर लिखी जाती हैं, फाड़ कर फैंक दी जायेंगी।

आप तो यह बताइये कि वहां जो पीने के पानी की भयंकर समस्या आज पैदा हो गई है उस समस्या के हल के लिये आज इमीजियटली सरकार क्या करना चाहती है ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं सारी व्यापक योजना की तरफ चला गया, इस पर्टीक्यूलर बात के लिये निवेदन करता हूं कि जो कलेक्टर कन्सर्न्ड हैं उनको तकाजा किया जायगा कि ट्रक्स के द्वारा या और तरीकों से इस संकट को इमीजियेटली दूर करने का पूरा प्रयास करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह शाहाबाद क्षेत्र है, इससे मैं अनभिज्ञ नहीं हूं, यह बिल्कुल नेग्लेक्टेड क्षेत्र है, यह निर्विवाद सत्य है, यह विस्तृत क्षेत्र है जहां सहरिया लोग रहते हैं। 20 साल की आजादी के बाद भी उस क्षेत्र की यह दुर्दशा है। चार-पांच गांवों के बीच में एक भी निवाणी कुआ नहीं है। बीस वर्ष की आजादी की राजस्थान सरकार की वहां के लोगों के लिये यह बख्शीस है कि उन लोगों के चार पांच गांवों के बीच में एक भी कुआं नहीं है। कुए बने हैं तो मेरी कमर कमर खड्डे खोद कर कुआ नाम दे दिया है, उनके अन्दर लोग लघुशंका करते हैं और मवेशियां उन खडडों के अन्दर गिर कर मरती हैं।

(12 मध्यान्ह)

कम से कम आपका यह पुनीत कर्त्तव्य है या नहीं, यह मुझे बताएं। बेसिकली हरएक क्षेत्र में आप कोई न कोई अमुक धनराशि कुआं खुदवाने के लिये देंगे या नहीं। आप एक क्षेत्र को, जो आपका प्यारा क्षेत्र है और समर्थक क्षेत्र है, उस पर करोडों रुपये खर्च कीजिये लेकिन जनता का प्रश्न है। सारे राजस्थान के क्षेत्र में इकाई के सिद्धान्त पर अमुक धनराशि कुओं के लिए अवश्य दें, आपको वितरित करनी चाहिए नहीं तो मैं कहूंगा कि discrimination is the name Congress.

तो मंत्री महोदय को मैं अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 5 कुओं में या 4 कुओं में योजनाबद्ध रूप से आप एक एक निवानी कुआ तो बनवाइये नहीं तो बेचारे 5-5, 6-6 मील चलकर एक घडा पानी के लिये जाते हैं, यह क्या आजादी है, क्या समाजवाद है, यह बिल्कुल बरबादी है। आपको कुछ न कुछ करना चाहिए। वन के लिए जो कुछ कर रहे हैं मंत्री महोदय स्वयं विचार करें, उनसे मेरी सहानुभूति है लेकिन काश्तकारी में जंगल की उपज तक लगाते हैं। यह कोटा, परमिट सब ठेकेदारों के अन्दर सब चटाचट हो गए। जंगल से कोयले बनाकर अहमदाबाद भेजते हैं। इसलिये जनता के हित में आप निर्णय लें।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मुझे तो केवल इतना निवेदन करना है कि क्योंकि इसके साथ में दूसरे प्रश्न भी जुड गए, मैंने भूमिका के रूप में कह दिया। पेय जल की जो समस्या है, पब्लिक हेल्थ से डाइरेक्टली संबंधित नहीं है। मैंने जितनी जानकारी दूसरे विभाग से होनी चाहिए, देने का प्रयत्न किया है और इस विषय में अवगत कराया कि जन स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से इसपर जागरूक है कि पेय जल की सारी समस्या है इस के लिए 70 करोड प्राप्त करके किस प्रकार से यह समस्या हल की जाय। पीने के पानी के लिये जो मंत्री महोदय डाइरेक्टली संबंधित हैं, वह इस विषय में कहेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : जहां तक पीने के पानी का सवाल है, यह आवश्यक है कि प्रत्येक गांव में कम से कम एक कुआ ऐसा हो जिसको गहरा करके पीने के पानी की व्यवस्था की जाए और हमने यह निश्चय किया है और मैं स्वयं कल के बाद 2-4 दिन में हरेक डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अन्दर जाकर, जिसमें कोटा भी शामिल होगा, पर्सनली जाकर असेस कर रहा हूं कि कहां कहां पानी की आवश्यकताएं कितनी हैं, कितने कुओं को गहरा करवाने की जरूरत पडेगी और शाहबाद में किसी भी गांव में अगर एक कुए में भी पानी नहीं होगा तो वहां पर जल्दी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

से जल्दी बोरिंग की व्यवस्था करके कम से कम प्रत्येक गांव में पीने के पानी की व्यवस्था की जायगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: आपके तथाकथित आदर्श कुए हैं, उनको भी वास्तविक आदर्श कुआ बनवाइए। आपके अधिकांश आदर्श कुओं में कबूतर घुटरघू बोल रहे हैं, साफ पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: अभिभाषण पर वाद-विवाद श्रीमती सुमित्रा।

श्री नन्दलाल (किशनगढ): हमें इस बात के लिए आश्वासन तो दिया जाय कि···

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सुमित्रा।

श्री भैरोंसिंह: मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री नन्दलाल: कोई आश्वासन नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव आ चुके हैं। फैक्ट्स एसर्टेन करने के लिए भेजे हैं। कल उस पर निर्णय दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह: जयपुर के लिए जो दिया है पानी के संकट को लेकर, उसमें तो तथ्य एसर्टेन करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं भी भुक्तभोगी हैं।

श्री दुर्गालाल बाढदार: संभवतः वहां पानी वक्त पर मिल जाता होगा, लेकिन जनता तो भुक्तभोगी है।

श्री भैरोंसिंह: इस सदन में सभी माननीय सदस्य कुछ न कुछ भुक्तभोगी हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं समझ गया। स्थान ग्रहण कीजिए। जयपुर में जल संकट वाले प्रस्ताव पर कल स्टेटमेन्ट दिया जायगा।

(12.07 म. प.)

(राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद)

श्रीमती सुमित्रा (झुन्झुनू): अध्यक्ष महोदय पिछले दो दिन से लगातार, चतुर्थ आम चुनाव के बाद इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है। मैं समझती हूं कि पिछले दो दिन तक जिन माननीय सदस्यों के भाषण सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसमें से एक भी माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंतिम पैरा को पढने का कष्ट नहीं किया। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के अन्त ही अन्त में कहा है:—

"गत एक वर्ष में हमारी सफलता एवं असफलताओं तथा आने वाले वर्ष में हमें क्या कुछ करना है, उसका एक लेखा-जोखा मैंने मोटे तौर पर आपके सामने रखा है। मुझे विश्वास है कि राज्य की समस्याओं के समाधान हेतु आप जो भी विचार-विमर्श करेंगे वो लोक-कर्तव्य एवं जनहित की भावनाओं से परिपूर्ण होंगे। राज्य को चहुंमुखी विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए आपके सद्प्रयत्न सफल होंगे, यहीमेरी कामना है।"

अध्यक्ष महोदय, यह अन्तिम पैरा यदि अच्छी तरह से पढ लेते तो बहुत सी बातें जो सदन में कही हैं, शायद नहीं कहते। मैं यह महसूस करती हूं कि विरोधी दल में बैठने वाले जो सदस्य हैं, वे बडी आकांक्षाएं और स्वप्न संजोए बैठे थे जो उनके पूरे नहीं हुए। इसलिए उनको अफसोस होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं कि ····

श्री देवीदत्त (बारां) : आपके स्वप्न पूरे हो गए ?

श्रीमति सुमित्रा : मेरे स्वप्नों से आपको क्या मतलब है ? जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में काफी हद तक दुःख प्रकट किया था कि शाहू जैन की गाड़ियां, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जयपुर की सड़कों पर दौड़ रही थीं। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं कि यदि शाहू जैन की गाडियां राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की स्थापना के लिए दौड़ रही होगी तो बिरला की एम. पी. एफ. गाडियां जयपुर की सड़कों पर और राजस्थान के तमाम हिस्सों में, राजस्थान में कांग्रेस सरकार न बन पाए, इसलिए भी दौडी थीं ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : ऐसा तो नहीं था ।

श्रीमति सुमित्रा : माननीय सदस्य को एम. पी. एफ. की गाडियों के अन्दर मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है ।

(शोरगुल)

माननीय सदस्य को स्वयं मैंने अपनी इन आंखों से एम. पी. एफ. बिरला की गाडियों में जाते हुए देखा।

श्री दौलतराम सारण : गलत ।

श्रीमति सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले वर्षों की हमारी उपलब्धियों का और आने वाले वर्ष में राजस्थान के अन्दर क्या कुछ करना चाहते हैं, इसकी एक मोटी रूप रेखा राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में दे दी । विरोधी दल में बैठने वाले सदस्य और इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को महसूस करते हैं और इस बात को दोहराते हैं और कहते हैं और मैं भी बड़े गर्व और गौरव के साथ कहना चाहती हूं कि सुखाडियाजी ने पिछले 12 सालों के समय राजस्थान को स्थायित्व दिया, सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि जितने भी क्षेत्र हैं, शिक्षा क्या सडकें क्या चिकित्सा क्या बिजली क्या ....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) भ्रष्टाचार क्या, महंगाई क्या ....

श्रीमति सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रकार बीच बीच में टोकते रहेंगे तो मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगी । इस प्रकार बाधा पहुंचाकर विघ्न न डाला जाए ।

अध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन कर रही थी कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के पृष्ठ 2 पर स्वयम् ने स्वीकार किया है कि हमारी योजनाओं में जितनी प्रगति हम करना चाहते थे, जितनी सफलता हमें मिलनी चाहिये थी वह सफलता हमें नहीं मिली ।

इसके साथ साथ मैं माननीय सदस्यों की और खास तौर से विरोधी दल के माननीय सदस्यों को यह भी कहना चाहूंगी कि उनमें जितने भी बोलने वाले माननीय सदस्य थे उन्होंने इस बात की चर्चा की, उन्होंने इस बात को दोहराया कि राज्यपाल महोदय ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन होने की बात का अपने भाषण में उल्लेख नहीं किया । मैं सोचती हूं वह अच्छा ही किया । क्योंकि राष्ट्रपति शासन की चर्चा वे करते, उसके बाद किस प्रकार की लोकप्रिय सरकार बनने

Page No.25

(श्रीमती सुमित्रा)

को प्रक्रिया को चर्चा वे करते तो मैं समझती हूं कि उसमें वह बात शामिल हो जाती कि उन्होंने 109 को लिस्ट दी वह एक झूठी लिस्ट थी वह इस राजस्थान को ऐतिहासिक प्रोसिडिंग्स में नहीं आ पायी।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्य में कृषि उत्पादन का सवाल है, मैं समझती हूँ कि पिछले दस वर्षों के अवसर पर यह पहला ही राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है कि जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य और समाजवाद कि प्राप्ति के लिये कुछ क्रान्तिकारी घोषणायें की गयी हैं। मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहती हूं कि चुनाव के बाद में किस प्रकार से अखबार पब्लिसिटी कर रहे थे यदि हमारी सरकार बन गयी तो अनआर्थिक जोतों पर भू-राजस्व खत्म कर देंगे। इसको ताईद एक भी विरोधी दल के माननीय सदस्य ने अपने भाषण में नहीं की। यह पहला मौका है कि राजस्थान का किसान कांग्रेस सरकार से आकांक्षा लगाये बैठा है। वह इस बात से खुश है कि छोटी जोतों वाले जो किसान हैं उनको राहत देकर सचमुच में राजस्थान सरकार ने स्वागत योग्य बात की है। साथ साथ यह भी अपील करूंगी कि अनआर्थिक जोतों पर से हटाये भू-राजस्व पर जिन लोगों के पास छोटी भूमि है और जो छोटे किसान हैं उन लोगों को राहत मिलेगी ही लेकिन राजस्थान के जो रेगिस्तानी इलाके हैं जो इस लाभ से वंचित रह जायेंगे उनको भी थोडी बहुत राहत पहुंचाने के लिये, मैं सोचती हूं, राज्य सरकार इस पर सोचेगी और इसमें स्पष्टीकरण करके साफ और ऐसा कानून और ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे डेजर्ट में रहने वाले किसानों को भी यह राहत मिल सके।

जहां तक कृषि के उत्पादन का सवाल है, सब ही माननीय सदस्यों को पता है कि तीन वर्ष से लगातार जिस प्रकार के भयंकर अकाल की छाया पड रही है, जिस प्रकार राज्य सरकार को अकाल राहत कार्यों में करोड़ों रुपये खर्च करने पड रहे हैं, सब जानते हैं कि पिछले तीन वर्षों में इतना भयंकर अकाल होने पर भी सब को रोजगार दिया गया है, जहां पीने के पानी का संकट था वहां पेय जल मोहैया किया गया, पशुओं के लिये चारा और घास उपलब्ध कराया गया और इस प्रकार राज्य सरकार इस अकाल की समस्या के लिये जितना जो कुछ कर सकती थी वह राज्य सरकार ने किया। लेकिन मैं राज्य सरकार को बार बार याद दिलाती हूं और फिर याद दिलाना चाहूंगी कि इस अन्नदाता किसान को हम कुदरत की महरबानी पर नहीं छोड सकते। अनाज की समस्या और अकाल की समस्या के लिये अकाल राहत के नाम पर करोडों रुपया खर्च करते हैं उसके समाधान के लिये कोई न कोई योजना ऐसी बनानी पडेगी जिससे हमारे किसान को बरबादी नहीं भोगनी पडे। हम हर साल पांच छः करोड रुपया अकाल राहत कार्यों पर खर्च करते हैं। गहरे नल कूप, एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वेल्स खुदवाये जा सकते हैं। जमना पर डेम बना कर उससे लिफ्ट इरीगेशन योजना से राज्य के उन भागों में पानी दे सकते हैं जहां पर नहीं दे पाये हैं। इसलिये मैं राज्य सरकार से और खास तौर से सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि अकाल राहत पर करोडों रुपया खर्च होता है उसको किसी न किसी सिंचाई योजना पर खर्च करके राजस्थान के उन रेगिस्तानी इलाकों के लिये सिंचाई की व्यवस्था की जाय।

(श्रीमती सुमित्रा)

पेय जल की व्यवस्था के लिये हर बार इसका जिक्र होता है और मैं स्वयम् भी महसूस करती हूं कि 17-18 वर्ष में इस समस्या का जिस तरह से हल निकलना चाहिये था वह हल नहीं निकल पाया। बड़ी खुशी की बात है कि राज्यपाल महोदय ने 70 करोड की जल योजना के लिये अपने भाषण में जिक्र किया है जिससे राज्य सरकार इस जल योजना से गांव के लोगों को स्वच्छ पीने का पानी दे सके। राज्य सरकार ने यह योजना बना कर भारत सरकार की स्वीकृति के लिये भेजी है और भारत सरकार को स्वीकृति आवेगी तो यह समस्या शीघ्रातिशीघ्र सुलझ जावेगी।

खाद्य समस्या का जहां तक सवाल है राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में स्वयम् ने स्वीकार किया है कि खाद्य समस्या को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। हालांकि पिछले वर्ष सिंचाई की सुविधाओं और खाद्य समस्या को हल करने के लिये, कृषि के लिये 77 प्रतिशत बजट का रुपया खर्च किया गया। लेकिन उस सब के बावजूद खाद्य समस्या बनी हुई है। इस समस्या को हल करने के लिये पिछले तीन चार वर्षों से जिस प्रकार राजस्थान की सरकार जागरूक है फिर भी आज जो खाद्य समस्या है उस पर स्वयम् राज्यपाल महोदय ने असंतोष प्रकट किया है। लेकिन राज्य सरकार से अनुरोध करती हूं कि जिस किसी भी प्रकार से इस समस्या को हल किया जा सके किया जाना चाहिये। माननीय सदस्य जो विरोधीदल में बैठे हैं उन्होंने इसकी चर्चा की लेकिन इसके लिये उन्होंने कोई कान्क्रीट सुझाव नहीं दिया। कौन से कदम हैं जिससे स समस्या को निपटाने में सहायता मिल सके, वह उन्होंने नहीं दिये हैं। माननीय सदस्य जो विरोधी दल में बैठते हैं उनसे अनुरोध करूंगी कि जब इसकी चर्चा करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं तो इस पर कोई कान्क्रीट सुझाव तो दीजिये जिससे इस समस्या का निपटारा किया जा सके।

विद्युतीकरण का जहां तक सवाल है मुझे गर्व है कि राज्य सरकार ग्रामीण विद्युत् योजना पर प्रगति के साथ कार्य कर रही है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा कि अब तक 12 हजार कुओं पर बिजली दी गई है। आप कल्पना कीजिये कि 12 हजार कुओं पर बिजली मिलने के बाद कितना उत्पादन बढ़ा होगा। उसके बाद जीवन बीमा से 200 करोड़ का कर्जा लिया था।

एक माननीय सदस्य : दो सौ करोड़ नहीं दो करोड़।

श्रीमती सुमित्रा : राज्यपाल महोदय के भाषण में 200 करोड है।

श्री रामकिशन (वैर) : 200 लाख है।

श्रीमती सुमित्रा : 200 लाख लिया उसके लिये यह भी खुशी की बात है। कृषि का जहां तक सवाल है, मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूं कि राज्य सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिये काफी जागरूक है। नई नई कीटनाशक दवाइयां निकाल कर, नई नई तरह के फर्टीलाइजर देकर, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराकर, शंकर बीज निकाल कर राज्य सरकार का प्रयत्न यह है कि देश में और प्रान्त में हम अन्न के सम्बन्ध में स्वावलम्बी हो सकें। इसके लिये राज्य सरकार जागरूक है और

(श्रीमती सुमित्रा)

कृषि को ज्यादा से ज्यादा महत्व देकर, पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कृषि को प्राथमिकता देकर, जैसे राज्यपाल महोदय ने स्वयं ने अपने अभिभाषण में स्वीकार किया है, कृषि के उत्पादन के लिये सोशियल वेलफेयर पर होने वाले खर्चों तक में कटौती करनी पडे तो वह करके भी कृषि उत्पादन पर महत्व देकर इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिये।

सहकारिता का जहां तक सवाल है, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो आंकड़े इसके दिये हैं उससे न केवल सहकारी समितियों की संख्या बढ़ी है, बल्कि ज्यादा आबादी को भी इसमें लिया है। इसके साथ ही साथ उदयपुर, जयपुर में रहने वाले लोगों के लिये जीवन की दैनिक आवश्यकताओं के लिये सस्ती दर पर उनको उपलब्ध कराने के लिये कन्जूमर्स स्टोर खोले हैं।

इसके साथ ही साथ कृषि के अन्दर पहले किसानों की हैसियत देखकर ऋण दिया जाता था, पर अब सहकारिता के द्वारा किसानों की हैसियत से ऋण नहीं दिया जावेगा, बल्कि उसकी आवश्यकता देखकर ऋण देने की नई बात राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कही है। इससे सचमुच किसान का उत्साह बढेगा, उसको फायदा मिलेगा और कृषि उत्पादन भी बढेगा।

शिक्षा का जहां तक सवाल है आप स्वयं इस बात को महसूस करते होंगे कि राजस्थान के अन्दर हिन्दुस्तान के और प्रान्तों के मुकाबले में शिक्षा बहुत फैली है। राजस्थान के अलावा और प्रान्तों में आप जाईये लडकियों की शिक्षा कहीं भी मुफ्त में नहीं मिलेगी, पर मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान के अन्दर लडकियों की शिक्षा पर कोई शुल्क नहीं है।

इसके साथ ही साथ पिछले वर्षों में जिस प्रकार शिक्षा का प्रसार हुआ है, प्रचार हुआ है, स्कूलों की संख्या बढी है, जिस प्रकार स्कूलों में पढने वाले छात्रों की संख्या बढी है, वह सन्तोषजनक विषय है।

टेक्निकल एजूकेशन भी और ऊंची शिक्षा भी जिस प्रकार से बढ रही है वह भी संतोष का विषय है। शिक्षा पर होने वाले व्यय में तेजी आ रही है और जहां राजस्थान के निर्माण के समय सिर्फ 1।। करोड का बजट था आज उसी राजस्थान में 23 करोड रुपया शिक्षा के लिये खर्च हो रहा है।

जहां तक उद्योगों का सवाल है, सब जानते हैं कि राजस्थान में पिछले वर्षों में इन्डस्ट्री पनपी है। कुछ लोगों को शिकायतें थीं और माननीय विरोधी दल के नेता जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं उनको याद दिला दूं यह कहकर कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जिक्र किया है कि खास तौर से जो शिकायत है उद्योगों को मिलने वाले माल के कोटा के वितरण की वह पहले एक मिनिस्टर के हाथ में था, अब मिनिस्टर के हाथ में या डाइरेक्टर के हाथ में न होकर एक कमेटी बनादी जावेगी और उस कमेटी के द्वारा वितरण होगा। मैं समझती हूं कि माननीय विरोधी दल के नेता भी बहुत अंशों तक सन्तुष्ट होंगे कि कमेटी बनेगी तो शायद उतनी गुंजाइश नहीं होगी, जितना एक व्यक्ति करता। इसलिये यह भी खुशी की बात है भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये

(श्रीमती सुमित्रा)
खाम खां में मंत्री बदनाम न हो इस तरह यह व्यवस्था भी बडी खुशी की बात है।

चिकित्सा का जहां तक सवाल है राजस्थान के रहने वाले लोगों को इस बात का अहसास होना चाहिये, खुशी होनी चाहिये कि राजस्थान के अन्दर चिकित्सा देश के और प्रान्तों के मुकाबले में अधिक सन्तोष-जनक और निशुल्क है। किसी भी प्रान्त में चले जाईये, महाराष्ट्र में जाईये और कहीं जाईये पर वहां पर इस प्रकार से हास्पिटल में निशुल्क आपरेशन नहीं होते। यह बडी खुशी की बात है कि राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं का न केवल विस्तार हुआ है, बल्कि सस्ती और अच्छी है।

समाज कल्याण कार्यों के बारे में तो खास तौर से जो लोग शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब से आये हैं वे चर्चा करेंगे, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि इन कार्यों पर जो छात्रवृत्तियां और छात्रावास चलाये जा रहे हैं और जो खर्चा किया जा रहा है इससे इन जातियों के लोगों में काफी फर्क आया है। न केवल वे शिक्षित ही हुए हैं बल्कि साथ ही साथ सामाजिक तौर से, नैतिक तौर से सब तरह से उनकी प्रगति हुई है। इसलिये इस मुद्दे के अन्दर हमारी राज्य सरकार जिस तरह से और जिस मंशा से पिछडी जाति के लोगों को ऊंचा उठाने का कार्य कर रही है वह हम सब लोगो के लिये सन्तोष और खुशी की बात है।

हिन्दी के बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है कि 1968 की जनवरी तक राजकाज में हिन्दी को पूर्ण रुपेण लागू कर दिया जावेगा। इस बात के लिये मैं राज्य सरकार को बधाई देती हूं और अन्त में मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि राज्यपाल महोदय ने पिछले वर्षों की जो उपलब्धियां हैं, आगे आने वाले वर्षों में जो कार्य करने वाले हैं, उनका एक मोटा सा चित्र आपके सामने रखा है वह बिलकुल सही और ठीक तरह से रक्खा है।

जिस प्रकार इन राज्यपाल महोदय के आने के बाद इस प्रान्त के अन्दर कल्याण कारी राज्य स्थापित हुआ है, सरकार बनी है, उसी तरह से मैं चाहती हूं कि अगले आने वाले वर्षों में जिस प्रकार इस साल नई क्रान्तिकारी घोषणाएं करके समाजवाद के प्रति जिस प्रकार नया कदम बढ़ाया है, मैं चाहती हूं कि इसी तरह दूसरे और बहुत कुछ कदम राज्यपाल महोदय अगले वर्ष भी उठावेंगे इसलिए आप सब लोगों से और खास तौर से सरकार से मेरा निवेदन है कि जो खामियां इसमें स्पष्ट होने से रह गई हों जैसे भूराजस्व वाले मामले में उन्हें और अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने इस विधान सभा के सामने अपना यह पहला अभिभाषण किया है। आम चुनावों के बाद नई सरकार कायम होती है और यह आशा की जाती है कि नई सरकार पिछले पांच सालों के अनुभवों के आधार पर और आम चुनावों में जो जनता की भावनाएं व्यक्त हुई हैं, सरकार को या उस दल को जिसे सरकार बनाने का मौका मिले, उसे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
अपनी खामियों को आम जनता में जाने से जो अनुभव हुआ है, उनसे कुछ सबक लेकर सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करेगी। इस दृष्टि से मैंने राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण का अध्ययन करने का प्रयत्न किया है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह देख कर दुःख हुआ है कि बीस वर्षों के अनुभव के बाद भी और विशेष तौर पर कांग्रेस दल को, जिसे यह सरकार बनाने का किन्हीं भी परिस्थितियों में अवसर मिला है उन्होंने पिछले बीस बरसों के अनुभव से यह सबक न लेकर और विशेष तौर से आम चुनावों से जो स्थिति कांग्रेस की आम नीतियों की सारे हिन्दुस्तान के चुनाव परिणामों से दृष्टिगोचर हुई है, उससे कोई सबक सीखा हो ऐसा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो नीतियां अंकित की गई उनसे देखने को नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय, यदि इस अभिभाषण को एक ही सेंटेंस में पूरा कह दिया जाय तो इसका निचोड़ यह है कि सारे राज्य में भारी संकट है, न अन्न है, न पानी है, न बिजली है, खेती की पैदावार में गिरावट है, उद्योगों की पैदावार में गिरावट है, परन्तु इन सबका कारण है सूखा और वर्षा का न होना, और इसलिए मैं और मेरी सरकार निर्दोष हैं। यह इस सारे अभिभाषण का तात्पर्य है, सारे अभिभाषण का निचोड़ ऐसा निकलता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह केवल रस्म नहीं है कि विधान सभा के शुरु होने के पूर्व राज्यपाल महोदय को कुछ कहना ही चाहिए और सदन के माननीय सदस्यों को कुछ अपने भाषण देने ही चाहिए। राज्य की दो करोड़ जनता, जिसने कि पांच बरस से एक प्रकार के राज्य को सहन किया उनको जब मत देने का अवसर मिला तो वे कुछ नई बातों की उम्मीद करते हैं, शासन की नीतियों में कुछ आमूलचूल परिवर्तन की आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अभिभाषण के अवसर पर नीतियों की घोषणा होगी जिनकी कमी के कारण और जिनकी गलतियों के कारण हमको आज संकट की अवस्था का सामना करना पड़ रहा है।

मुझे खेद है, अध्यक्ष महोदय, कि राज्यपाल महोदय ने उन तमाम बातों का जिक्र किया है जिससे संकट की स्थिति आज हमारे राज्य में है, परन्तु यदि आज हमारी यह सरकार केवल प्राकृतिक प्रकोप को ही संकट का कारण माने, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान एक अकाल का घर रहा है, राजस्थान में अकाल पड़ना कोई बहुत अजीब या ऐसी बात नहीं है जो आकस्मिक घटना हो। किसी भी राज्य, किसी भी सरकार का मूल्यांकन, उसकी स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि इन तमाम प्राकृतिक प्रकोप के होते हुए भी हमने शासन को किस तरीके से चलाया और प्राकृतिक प्रकोप होते हुए भी जनता को इस हद तक आगे ले जा पाये।

अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टिकोण से हम देखें तो मैं समझता हूं कि खुद सरकार तथा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य भी इस बात का अनुभव करेंगे कि सरकार की नीतियों के कारण जो भी शुरू में विकास कार्य इस राज्य में दृष्टिगोचर होने लगा था वह आहिस्ता आहिस्ता इन नीतियों के कारण पतन की ओर जाता रहा है। और यह प्राकृतिक प्रकोप के कारण नहीं है कि हम ऐसी संकट की स्थिति में पहुंच गये हैं कि अकाल और दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ रहा है। सारी पैदावार में क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो रही है और मंहगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चारों तरफ से ये बीमारियां जनता के सामने हैं। केवल उन स्थितियों का वर्णन करने, उन स्थितियों की जानकारी देने से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से जनता खुश नहीं हो सकती, न ही इससे कोई संकेत या दिशा मिल सकती है। राज्य की जनता इन तमाम बातों की भुक्त भोगी है, परन्तु इन तमाम बातों का निराकरण क्या है? जनता महसूस करती है कि सरकारी नीतियों के कारण ही आज कृषि का संकट है, उद्योग में गिरावट है, जल का संकट है, सरकार को सारी दुविधाओं को स्वीकार करके नीतियों को नई दिशा देने की कोशिश इस अभिभाषण में अंकित होनी चाहिए थी।

मुझे खेद है कि सरकार ने पिछले अनुभवों को और खास तौर से आम चुनावों से जो हिन्दुस्तान के क्षितिज पर एक नई बात आई, उससे सबक नहीं लेकर, नई नीतियों की घोषणा न करके चुप्पी साधी है। मैं समझता हूं यह संकट प्राकृतिक प्रकोप नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि सरकार के सामने कोई नई नीति नहीं है। सरकार एक ऐसे अन्धे फिल्मी सफर की तरह है जो एक अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जबकि उस कमरे में कोई बिल्ली है ही नहीं। इस प्रकार सरकार अपनी अन्धी नीतियों के जरिये इनका हल निकालने की कोशिश कर रही है जो वास्तव में उन समस्याओं का हल है नहीं, इस अभिभाषण से क्या हम उम्मीद करें। सरकार की पुरानी नीतियों के बारे में हमारी जनता ने मतदान क्या किया? जनता ने अपनी राय किस प्रकार जाहिर की है? सरकार की इन नीतियों के बारे में जनता ने क्या राय दी है, जनता की क्या अभिव्यक्ति है। जहां तक राजस्थान का सवाल है यहां की जनता ने साफ तौर से और हिन्दुस्तान की जनता ने भी बड़े पैमाने पर कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ अपनी राय को अभिव्यक्त किया है।

अध्यक्ष महोदय, यह हमारी शासन प्रणाली की एक प्रकार की विडम्बना है कि बहुमत न होने के बाद भी, अल्पमत में होने के बाद भी कांग्रेस केन्द्र में राज्य सत्ता लिये बैठी है। इस विधान सभा में भी अल्पमत में होते हुए भी केन्द्रीय सरकार की सहायता से यहां पर भी सरकार बना बैठे हैं, सत्ता कांग्रेस दल ने हथियाली है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक जनता की राय का ताल्लुक है कांग्रेस की नीतियों के बारे में, कांग्रेस शासन के बारे में जनता इतनी विक्षुब्ध हो चुकी है कि इस बारे में मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा, जहां तक केन्द्रीय सरकार की नीतियों का सवाल है, उन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
नीतियों के सम्बन्ध में राय ली जाय, उससे सरकार के गिरने या न गिरने का सवाल न हो तो उस ओर बैठने वाले अधिकांश महानुभाव सरकार की मौजूदा नीतियों से सन्तुष्ट नहीं बल्कि भयंकर रूप से असन्तुष्ट हैं, इस बात को कहने का मैं साहस कर सकता हूं ।

इसलिए आज आवश्यकता तो इस बात की थी कि कौनसी नीतियों को हाथ में लेकर, किन प्रश्नों को हाथ में लेकर और राजस्थान की इस भयानक आर्थिक स्थिति को हम सम्भाल सकते हैं और आम जनता जो राहत देखना चाहती है, इस मंहगाई को, इस भुखमरी को, इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है, उसके लिए हम कौन से नये रास्ते, कौन से नये मार्ग आज प्रस्तुत करते हैं जिनसे कि जनता को हम राहत दे सकें ।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इस आम चुनाव में हमारी जनता ने प्रजातन्त्र के अन्दर भारी विश्वास व्यक्त किया है । चुनाव से पहले बहुत से लोग हमारे देश के मित्र भी और शत्रु भी, हमारे देश के अन्दर प्रजातन्त्र की सम्भावनाओं पर सन्देह व्यक्त करते थे कि हिन्दुस्तान की जनता प्रजातन्त्र के लिए सक्षम है या नहीं । इस बात में सन्देह व्यक्त करते थे । बहुत से लोग इस मौके की तलाश में थे कि शायद उनको अवसर मिलेगा हस्तक्षेप करने का । बहुत से मिलिट्री आफिसर्स, बहुत से ऊंचे नेता इस तलाश में थे कि मिलिट्री आफिसर्स से सांठ गांठ करके उनसे गठबन्धन करके इस देश में प्रजातन्त्र को उलटा जाये । मुझे खुशी है कि अध्यक्ष महोदय कि हमारी जनता ने इस आम चुनाव में जो अपनी जागरुकता का परिचय दिया है जिसके अनुसार देश के 8 प्रान्तों में कांग्रेस का अल्पमत करके विरोधी दलों को शासन की जो सत्ता सौंपी है, कांग्रेस में अविश्वास व्यक्त किया है और केन्द्र में भी जहां कांग्रेस का इतना प्रबल बहुमत रहता था वहां कांग्रेस को केवल 29-30 स्थान अधिक देकर बहुत छोटे से बहुमत में रखा है और आम जनता ने यह विश्वास पैदा किया है कि मतदान के जरिये, इस चुनाव प्रणाली के जरिये यहां शासकीय परिवर्तन लाया जा सकता है, यहां सरकार को बदला जा सकता है और इस तरीके से जनता में एक आत्म-सम्मान, जनता में एक सैल्फ कान्फीडेन्स पैदा हुआ है और चुनाव प्रणाली में कहीं अधिक विश्वास व्यक्त किया है ।

परन्तु अध्यक्ष महोदय, जहां आम जनता ने इस चुनाव प्रणाली में अपनी बुद्धि-कुशलता से इस तरह से विश्वास व्यक्त किया मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सबसे बड़ी संस्था कांग्रेस जिसने इस देश के अन्दर आजादी की लड़ाई में अगुवाई की, देश के अन्दर तमाम तत्वों को जो कि साम्राज्यवादी विरोधी थे, जो कि देश के अन्दर विदेशी शासन से मुक्त करके, देश के अन्दर प्रजातान्त्रिक प्रणाली कायम करना चाहते थे और जिनकी नीतियों को हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता ने उनकी प्रजातान्त्रिक प्रणाली की आस्था में इस प्रकार का सहयोग दिया उसी संस्था के नेताओं ने जब वास्तव में प्रजातन्त्र की प्रणाली में विश्वास का, परीक्षा का समय आया, उनकी सत्ता को बदल कर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दूसरों के हाथों में देने का समय आया तब उन्होंने यह साबित कर दिया कि उनका प्रजातन्त्र में विश्वास केवल अपने हाथों में सत्ता लेना मात्र था। उनका प्रजातन्त्र में विश्वास अंग्रेजों को हटा कर, राजाओं को हटा कर अपने कांग्रेसियों के हाथ में सत्ता लेने तक सीमित था और यदि वह प्रजातन्त्र प्रणाली, वह राज्य लेने का तरीका उनका नतीजा यह निकले कि कांग्रेस अल्पमत में रह जाये, कांग्रेस को सत्ता दूसरों को सौंपनी पड़े तो जो व्यवहार राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं ने और राजस्थान के ही नेताओं ने नहीं बल्कि कांग्रेस के केन्द्रीय नेताओं ने, केन्द्रीय कांग्रेस सरकार और राज्यपाल और राष्ट्रपति तक ने जो व्यवहार व्यक्त किया है अध्यक्ष महोदय, उसने हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र पर भारी कुठाराघात किया है। लोगों के दिमागों में सन्देह पैदा कर दिया है, लोगों के दिमागों में यह बात पैदा कर दी है कि कांग्रेस प्रजातन्त्र के प्रति सिन्सियर नहीं है, उसके प्रति वफादार नहीं है और जब कि यह बहुमत में आते हैं तब तक इनका प्रजातन्त्र के अन्दर विश्वास है और यदि अल्पमत में आ जाय तो येनकेन प्रकारेण प्रजातन्त्र के नतीजों से इन्कार करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान था जहां सरकार अल्पमत में आई। इस आम चुनाव के बाद 8 प्रान्तों के अन्दर कांग्रेस अल्पमत में आई और फौरन कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कामराज ने घोषणा की कि हम अपनी हार को और जीत को बखूबी लेंगे और जहां कांग्रेस अल्पमत में है वहां पर जिन लोगों का बहुमत है उनको सरकार बनाने का मौका देंगे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ऐसे कांग्रेसी जो कि कांग्रेस से विद्रोह करके कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े हैं उन कांग्रेसियों को चाहे वह एम. एल. ए. हो जायें, चाहे एम. पी. हो जायें उनको कांग्रेस में शामिल नहीं किया जायेगा। हिन्दुस्तान की जनता में एक विश्वास पैदा हुआ, एक आश्वासन पैदा हुआ कि वास्तव में कांग्रेस के नेता प्रजातन्त्र की नींव को मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन उधर कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज का भाषण अभी अखबारों में छपा ही था कि राजस्थान में हमें खबर मिली कि श्री सुखाड़ियाजी ने स्वतन्त्र पार्टी के एक एम. एल. ए. श्री समरथलाल जी जो जिस जिले से मैं आता हूं उस जिले से ही चुने गये एक एम. एल. ए. हैं, उनको कांग्रेस में ले लिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या यह कामराजजी ने जो घोषणा की है कि जो कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ेंगे वे कण्डीडेट्स कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकेंगे और सबसे पहले कैज्वल्टी हिन्दुस्तान में और जगह नहीं हो सकती बल्कि मैं अथोरिटीवली तो हिन्दुस्तान के लिए नहीं कह सकता लेकिन राजस्थान में सबसे पहले कैज्वुल्टी कांग्रेस के अध्यक्ष की घोषणा के बाद श्री समरथलालजी पर हुई और जो इसके कर्त्ता थे वह श्री सुखाड़िया जी जो कि मुख्य मन्त्री अभी भी हैं और पिछले कई वर्षों से चले आ रहे हैं, उन्होंने की। यह बहुत गम्भीरता से सोचने की बात है। यदि वास्तव में कांग्रेस इस बात को प्रजातन्त्र का अंग समझती है कि जो आदमी कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ दूसरी पार्टियों के टिकट पर चुन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर आये हैं प्रजातन्त्र के अन्दर यह लीगल पोजीशन होनी चाहिए कि नहीं कि वह जिस टिकट से चुन कर आया है उसी पर रहे और अगर उससे स्तीफा देना चाहता है तो वह अपनी सीट से स्तीफा दे और फिर चुनाव लड़ कर आये और फिर जहां से भी जीत कर आ जाये वहीं रहे। अध्यक्ष महोदय, हमारी यह मान्यता है कि प्रजातन्त्र का यह अविभाज्य अंग है कि जो लोग जिन नीतियों के आधार पर चुन कर आते हैं उनके आधार पर वह जनता से वोट लेकर आते हैं और नीतियों को रिप्रेजेण्ट करने का उनका अधिकार है और यदि वह अपनी आस्था, अपने विचार, अपने अनुभवों के आधार पर वदलना चाहते है तो अवश्य बदलें। लेकिन उनको स्तीफा देना चाहिए और फिर इस तरह से दुबारा चुनाव लड़ें। लेकिन मुझे अफसोस है कि कांग्रेस संगठन जिसका बहुत प्रबल बहुमत था विधान बनाते समय उन्होंने यों ही नहीं बनाया और आज भी चाहे कहीं भी कांग्रेस को इसका नुकसान रह रहा है, कहीं पर फायदा रह रहा है मैं कहना चाहता हूं कि आज भी कांग्रेस इस चीज को लीगल फोल देने को तैयार नहीं है। आज भी कांग्रेस इसको एक्सैप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हम इसको प्रजातन्त्र का बुनियादी अंग बनायें कि लोग हिप्पोक्रेट्स नहीं बन सकें, लोग धोखेबाज नहीं बन सकें और वास्तव में जिस बुनियाद पर जो लोग चुन कर आते हैं, जिन नीतियों पर जनता उनको वोट देती है उसकी बुनियाद पर वह खड़े रहें।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे कांग्रेस के नेता कई जगहों पर इस बात की आलोचना करते हैं, आज वे कह भी सकते हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है। वह और जगहों की मिसाल भी दे सकते हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कहीं भी यूनिलेटरल एक्शन नहीं हो सकता। यूनिलेटरली आदमियों को चाहे तो आप तोड़ते रहें, आपको तोड़ने का अधिकार रहे लेकिन दूसरे ऐसा नहीं करें, यह नहीं हो सकता। आपने सन् 52 में यह तरीका अपनाया। आपने सन् 57 में यह तरीका अपनाया। आपने 62 में भी यही तरीका अपनाया और आज भी हर जगह यही तरीका अपनाकर तोड़ने में लगे हुए हैं। जो कुछ आपने राजस्थान में किया तो राजस्थान का सबक पंजाब में मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह केवल राज्य के एक दल की बात नहीं है, हम सब दलों के विचार करने की बात है। क्या हम इस बात को प्रजातंत्र का अंग मानते हैं, क्या हम इस बात को प्रजातंत्र का अविभाज्य अंग मानते हैं कि इस प्रकार की चुनाव प्रणाली कायम की जाए, जिसके अन्दर पार्टी आर्गेनाइजेशन डेवलप हो। क्या आप केवल पार्टियों को ही चुनाव लड़ने का अधिकार देने के लिए तैयार हैं, क्या इस बात के लिए तैयार हैं कि पार्टियों का हेरफेर चुनाव के बाद न करने दिया जाय। लेकिन मैं जानता हूं आप ऐसा करने को तैयार नहीं होंगे। अपनी पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि हम तैयार हैं, हम स्वागत करेंगे इस प्रकार के विधान का। हम स्वागत करेंगे इस अरेंजमेंट का, रिप्रजेन्टेशन आफ पीपुल्स एक्ट में संशोधन करने का। क्या आप भी इसके लिए तैयार हैं? मैं जवाब चाहता हूं हमारे कांग्रेस दल के नेता से। वे क्या कहना चाहते हैं। मैं जानता हूं उनका जवाब क्या है। मैं जानता हूं वे इस बात के लिए तैयार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
नहीं है क्योंकि जिन आदर्शों को उन्होंने स्वीकार किया है, जिस दृष्टिकोण को उन्होंने स्वीकार किया है उस दृष्टिकोण का अंग होते हुए, उसी पूंजी का जो सर्वाधिकार है, उस पूंजी में जो शक्ति है उस शक्ति को वह कभी कम करना नहीं चाहेंगे । उस अर्थ व्यवस्था को जिसमें इंसान अगर चोरी करता है तो दफा 389 या 392 में जेल हो जाय, जब पूंजी को इंसान चुरा ले तो उसको जेल में जाना पडता है लेकिन पूंजी अगर इंसान को चुरा ले तो वह प्रधान मंत्री बनता है, मुख्य मंत्री बनता है। यह आपकी आज की व्यवस्था है। इसलिए सुखाडियाजी उस पूंजी की शक्ति में कमी करना नहीं चाहेंगे, उस पूंजी की ताकत को कम करना नहीं चाहेंगे, ऐसी व्यवस्था को कभी स्वीकार करना नहीं चाहेंगे । इस दर्शन के, इस फिलोसोफी के कभी नजदीक नहीं बैठेंगे । ऐसी जो पूंजीपतियों के हाथों में शक्ति है खरीदने की तो ऐसी पूंजी को तो खरीदने की शक्ति होनी ही चाहिए । उसके लिए चाहे मोरल टूटे, चाहे विधान टूटे, चाहे प्रजातंत्र टूटे, वह तो खरीद सके, बस यह रहना चाहिए। चाहे शाहू जैन की गाडी हो। चाहे बिडलाजी की गाडी हो, सवाल यह है कि वह अधिकार उनके लिए सुरक्षित रहना चाहिए । प्रजातंत्र के अन्दर चाहे इन लोगों को तोडने के लिए रिश्वत देनी पडे, अपना मंत्री-मंडल बनाने के लिए कानूनी तौर से उसे विधान से निकाल दिया जाय, मैं समझता हूं कि आज कांग्रेस के सदस्य इसके लिए तैयार नहीं है, कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाय।

श्री खेतसिंह (शेरगढ): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आजकल महारावल की गोद में बैठे हुए हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय · ·

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): क्योंकि कोई भी माननीय सदस्य स्वतंत्र रूप से · · · · · ·

श्री भैरोंसिह (किशनपोल बाजार जयपुर) आपको मालूम नहीं है रामानन्दजी कि सन् 1952 में आप भी (श्री खेतसिंह की ओर मुखापेक्ष) कांग्रेस के विरोध में चुन कर आये बाद में कांग्रेस में मिल गये थे । इनके सामने इस तरह का उपदेश करोगे तो उसका विरोध करना स्वाभाविक है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सुखाडियाजी से पूछिए जिन्होंने कहा था कि किसी तरह से सदस्य इधर मिलने चाहिए, रुपया कितना ही खर्च हो जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): उधर भी तो बिडला की मदद थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, इस पर बडी गम्भीरता से विचार करने की बात है। आज कांग्रेस दल को इस बात के लिए भी बहुत ज्यादा मगरूर नहीं होना चाहिए कि आज फिर वह किसी न किसी तरह सत्ता में बैठा है । अगर गम्भीर राजनीतिज्ञ हैं, जो कम से कम सब नहीं तो कुछ लोग तो हैं और जो अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने लगे हैं कि आखिर कांग्रेस की शक्ति का ह्रास क्यों हो रहा है, इस बात पर कांग्रेस को चिंतन करना पड़ रहा है । और ऐसे चिंतन करने वाले मित्रों से मैं अवश्य यह कहना चाहूंगा कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आखिर हम देश में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या कार्य प्रणाली अपना रहे हैं। कौन से प्रीसीडेंस कायम कर रहे हैं। हिन्दुस्तान में केरल में कम्यूनिस्टों की हुकूमत सन् 57 में कायम हुई। इस सरकार ने केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने, 28 महीनों के बाद जब उसका बहुमत टूटा नहीं था, कोई नो-कोन्फीडेंस उनके खिलाफ पास नहीं हुआ था तब भी केन्द्र ने उनको अपनी शक्ति होने के कारण उस सरकार को बरखास्त कर दिया। प्रजातंत्र की प्रणाली में, एक प्रजातंत्र के खिलाफ एक बड़ा कदम था वह। जनता के दिमाग में प्रजातंत्र के बारे में संदेह पैदा किया था उसने। तामिलनाड के अन्दर कांग्रेस ने जो संयुक्त मोर्चा कायम हुआ सन् 52 में तो उस समय भी श्री राजगोपालाचार्य को अल्पमत में होते हुए भी मन्त्रि-मंडल बनाने के लिए कहा।

तीसरी बात, अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान में घटना हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस दृष्टिकोण से कि कौन मंत्री मंडल बनाने में कामयाब हुआ और किसकी नाकामयाबी रही, इस दृष्टिकोण से केवल सुपरसेशन तौर पर मैं निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करने की कोशिश न करें। यदि हमको अपनी सफलता या असफलता इस आधार पर निर्णित करनी है कि उन बुनियादी उसूलों, उस प्रजातंत्र की प्रणाली को कामयाब करने का हिन्दुस्तान ने बीडा उठाया था, तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेज, चाहे वे किसी झण्डे के नीचे इकट्ठी हुई हों, उन तमाम हिन्दुस्तान की डेमोक्रेटिक फोर्सेज ने डेमोक्रेसी दने का बीडा उठाया था और वह मार्ग, वह हमारा सफर भी पूरा नहीं हुआ है। उस सफर की मंजिल तक पहुंचने में हम कामयाब हुए या नहीं हुए, हमें सफर की मंजिल तक पहुंचने में सफलता प्राप्त हुई या नहीं, हम ज्यादा ताकतवर बने हैं या नहीं, इस दृष्टिकोण से अध्यक्ष महोदय, अगर विचार करने की कोशिश करें तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी राजस्थान में घटनाएं हुई हैं वे प्रजातांत्रिक परम्पराओं के लिए उचित नहीं हैं, प्रजातंत्र के पक्ष में नहीं हैं। लोगों में संदेह उत्पन्न हुआ कि जो सत्ता के अन्दर हैं वे अपनी सत्ता को छोड़ने वाले नहीं हैं, अपने आप सत्ता को देने वाले नहीं हैं और अल्पमत में हो जायं तो भी सत्ता छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर उनका बस पड़े, अगर किसी तरीके से उनका मौका लग जाय वह चुनावों को फाड़ फेंकेंगे, विधान को तिलांजलि दे देंगे और किसी तरीके से भी सत्ता में आने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज इन राजस्थान की घटनाओं से लोगों के दिमागों में इस तरह का संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि यदि केन्द्र में भी कांग्रेस का बहुमत न रहे, कांग्रेस बहुमत से अल्पमत में आ जाय और कुछ मिलिट्री डिक्टेटर, कुछ मिलिट्री कमाण्डर या कोई फारेन पावर अपनी ताकत के बलबूते पर कांग्रेस नेताओं से यह कह दे कि हम तुमको मदद करेंगे, तुम चुनावों को मत मानों, हम अपनी ताकत के बल पर सत्ता में रखेंगे तो जो प्रदर्शन कांग्रेस ने राजस्थान में किया है वही प्रदर्शन कांग्रेस नई दिल्ली में भी कर सकती है। हिन्दुस्तान की भारत सरकार कर सकती है और एक बार अल्पमत में आ जाय तो विधान को तिलांजलि देकर मिलिट्री के कमाण्डर की ताकत पर इन चुनावों को अवैध घोषित कर सकती है और दुबारा चुनाव कराने को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कह सकती है। नया विधान बनाने को कह सकती है। इस तरह की बातें साउथ ईस्ट एशिया में हुई हैं, मिडिल ईस्ट में हुई है, इसमें कोई अचम्भे की बात नहीं है। यह हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता तो इस बात की थी कि जिस तरीके से जनता ने उनको फूलमालाएं पहना कर, अंग्रेजों को हटाकर, राजाओं को हटा कर, उनको गद्दियों पर बैठाया और जब जनता उनसे संतुष्ट नहीं हुई तो कांग्रेस के नेता उसी तरह से हंसते 2 उन गद्दियों को, जिन लोगों को जनता ने चुना जिसका बहुमत जनता ने चाहा, उनको हंसी खुशी उन गद्दियों पर बैठाने को तैयार होते, उनको सत्ता सौंपने को तैयार होते।

(1 म. प.)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की घटनाओं ने इसका नेगेटिव जवाब दिया है। आपको आश्चर्य होगा, अध्यक्ष महोदय कि हमारे कुछ मित्र इस बात की खुशी मना रहे हैं कि चुनौती की आशाएं सब धूल में मिल गई और उनकी आशाएं कामयाब हो गई। उनको मुबारक है उनकी यह खुशी। हमें तो विरोध में बैठने की आदत है। अंग्रेजों का मुकाबला किया। उनकी गुलामी तो की नहीं। हमेशा उनके विरोध में रहे। साल दो साल शासन को देखने का भी अवसर मिला है और जिन नीतियों से शासन चलाया गया है तो हमें भरोसा हो गया था ताकि इस तरह की नीतियों से देश को समाजवाद की ओर नहीं ले जाया जा सकता है, देश को प्रगति की ओर ले जा नहीं सकते तो हमने दूसरा रास्ता चुना।

अध्यक्ष महोदय, इसी दृष्टि से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप गम्भीरता से विचार करें कि 23 तारीख को चुनाव सारा समाप्त होता है और कांग्रेस पार्टी का जिस तरह का बहुमत आया वह 88 या 89 होता था। यह 24 तारीख को घोषित हो चुका था, लेकिन राज्यपाल महोदय ने कांग्रेस को मंत्री मंडल बनाने के लिए नहीं बुलाया कांग्रेस मंत्री मंडल को बनाने के लिए 28 फरवरी तक नहीं कहा और 1 तारीख को 91 सदस्यों का एक संयुक्त दल बन गया। यह एक ऐतिहासिक तथ्य की बात है इसलिए गम्भीरता से विचार करें। कान्स्टीट्यूशनल तरीके से 3 या 4 मार्च को हमारे भूतपूर्व राज्यपाल महोदय ने इस बात को कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है इसलिए उसको ही मंत्री-मंडल बनाने के लिए मैं कहता हूं जो कि तथ्य नहीं था। 4 तारीख को सबसे बड़ा दल संयुक्त दल था जिसके 91 सदस्य थे और हमारा उनको समर्थन था। इस तरह से 92 लोगों का एक तरह से समर्थन महारावल लक्ष्मणसिंह को था। इस प्रकार की स्थिति होते हुए भी कांग्रेस को मंत्री-मंडल बनाने का निमन्त्रण दिया गया। प्रजातन्त्र की हत्या पहली बार उस समय की गई कि बहुमत को अल्पमत में परिणित कर दिया गया और अल्पमत को हुकूमत बनाने की बात कही गई।

कांग्रेस दल की पिछले 20 वर्ष से हुकूमत चलती आ रही है। पहले जब आपका बहुमत था और आज भी आपका बहुमत है और सरकार बनी तो किसी ने ऐतराज नहीं किया, लेकिन दूसरों का बहुमत पहले हो और फिर आप उसको सरकार न बनाने दें तो इसका गम्भीर नतीजा केवल कुछ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
आदमियों के मिनिस्टर बनाने से नहीं निकलता है, उसका तो तमाम हिन्दुस्तान की प्रजातान्त्रिक प्रणाली और राजनैतिक व्यवस्था पर असर पडेगा। हिन्दुस्तान के लोग किस हद तक इस प्रजातन्त्र में विश्वास रखें यह आस्था आप लोगों ने, कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने, अध्यक्ष महोदय, डिगाई है।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद, तीन-चार तारीख के बाद फिर भी कांग्रेस को यह कहा गया कि वह गवर्नमेन्ट बनाये। मुझे जाने का मौका मिला। हम राष्ट्रपति महोदय से मिले, शायद 5 या 6 तारीख को हम उनसे मिले। गृहमंत्री महोदय भी वहां पर मौजूद थे उनके सामने कुछ केन्द्र के नेताओं के साथ हम उनसे मिले और उनसे साफ तौर पर कहा कि जब संयुक्त दल का बहुमत है, 5 तारीख की यह घटना है, तो फिर आप उनको सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित क्यों नहीं करते। सरकार बनाने का सवाल नहीं। इसकी घोर प्रतिक्रिया सारे हिन्दुस्तान पर होगी। दूसरी सारी विरोधी पार्टियों के लीडर्स भी उस वक्त मौजूद थे। मुझे आश्चर्य है कि श्री चव्हाण साहब, गृहमंत्री महोदय कहने लगे कि हम तो वहां के गवर्नर की बात ही स्वीकार करेंगे। गवर्नर जो वहां से रिपोर्ट भेजेगा वह रिपोर्ट मन्जूर होगी, और उनसे हम इस बात की जानकारी कर रहे हैं कि वास्तव में क्या बात है, कैसी स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय, जो मुख्य मंत्री श्री सुखाडियाजी का बाद में भाषण हुआ और पत्रों को इन्टरव्यू दिया गया तो खुद सुखाडिया जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि करौली के महाराजकुमार द्वारा कांग्रेस को छोडने से पहले तो कांग्रेस का बहुमत था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का बहुमत नहीं रहा। तो यह बात अलग है कि करौली के महाराजकुमार ने छोडी तो उसका मोरल और उसकी नैतिकता क्या है, लेकिन उस प्रश्न पर जाये बगैर जब श्री बृजेन्द्रपालसिंह कांग्रेस को छोडकर संयुक्त दल में शामिल हो गये तो उसके बाद खुद सुखाडियाजी के अनुसार उस दिन संयुक्त दल का बहुमत हो गया और कम से कम 4 तारीख से पहले बृजेन्द्रपालसिंह ने अपना पत्र राज्यपाल महोदय को लिखकर दे दिया और गृहमंत्री श्री चव्हाण के नोटिस में वह सब बात थी, तो इस तारीख को संयुक्त दल का बहुमत होते हुए भी राज्यपाल और केन्द्र की सरकार ने बहुमत का डाउट करके बहुमत की अवहेलना करके चूंकि राज्यपाल कांग्रेस का है, केन्द्र की सरकार कांग्रेस की; इस बिना पर अल्पमत की सरकार बनाने की बात यहां पर कही जाय। आपको खुशी इस बात की हो सकती है कि आपकी सरकार बन गई लेकिन आपको अफसोस इस बात का होना चाहिए कि जिस प्रजातन्त्र की लडाई का आपने सबसे पहले झण्डा उठाया था उस झण्डे को गिराकर आप इन कुर्सियों पर बैठे हैं।

हिन्दुस्तान के इतिहास से नहीं आपको इन कुर्सियों से प्यार है। आपने कुर्सियों को पसन्द करके अपनाया है। आपने अपने पुराने करे कराये पर पानी फेर दिया और हिन्दुस्तान की जनता पर ही नहीं तमाम दुनियां की जनता में आज आपने यह शंका पैदा कर दी है कि आप प्रजातन्त्र के लिए ईमानदारी से काम नहीं करते। आपका जैसे भी बस चलेगा आप सत्ता को रखने की कोशिश करेंगे।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के तमाम लोगों के लिए, हिन्दुस्तान की तमाम पार्टियों के लिए यह एक चेतावनी है, यह एक वार्निंग है, और हिन्दुस्तान की जनता जो कांग्रेस को बदलने के लिए कटिबद्ध है, जनता कांग्रेस से जन-विरोधी नीति के कारण अप्रसन्न है और बदल कर नई नीतियां लाना चाहती है उसको एक राज्यपाल चूंकि राज्यपाल कांग्रेस का है और कांग्रेसी होने के कारण वह अल्पमत को बहुमत के अन्दर बदल सकता है। आज यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि इस राज्यपाल की प्रणाली को रखा जाय या नहीं। आज यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि राज्यपाल इसी पार्टी का रखा जाय या न रखा जाय, या राज्यपाल को किस तरीके से रखा जाय। ये प्रश्न आज हिन्दुस्तान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं।

इस तरीके से, अध्यक्ष महोदय, केन्द्र के अन्दर चव्हाण साहब कहते हैं कि राज्यपाल महोदय लिखते हैं अपने पत्र में १४ तारीख के पत्र में जब कि कांग्रेस को कहते हैं हुकूमत बनाने के लिए और १२ तारीख को कांग्रेस दल की मीटिंग होनी है, केन्द्रीय हाई कमाण्ड कांग्रेस को एडवाइस करती है कि हुकूमत बनाने के झगड़े में मत पड़ो। एडवाइस करने के लिए श्री सादिकअली आते हैं लेकिन कांग्रेस दल का बहुमत यह नहीं कह सकता कि सुखाडिया जी ने अपने तरीके से बहुमत बनाया यानी बहुमत कांग्रेस के पास था और कांग्रेस सरकार बनायेगी 12 तारीख को, अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय करती है और सादिक अली अपनी एडवाइस को लेकर जाते हैं और 13 तारीख को हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं।

दस बजे तक रात को यह पर्चे बांटे जाते हैं कि कल विधान सभा में क्या होगा। और साढ़े नौ बजे यह घोषणा हो जाती है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। कारण क्या? कांग्रेस जिस बहुमत की उम्मीद करती थी वह बहुमत नहीं बना। श्री सुखाडिया जी इंतजार कर रहे थे कि भरतपुर से कई लोग आयेंगे महाराजा बृजेन्द्रसिंह जी, जिनको अपना समझते हैं, उनको वायुयान के जरिए से भेजेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे पुराने योजना मंत्री हवाई जहाज लेकर उड़ कर गए भरतपुर और महाराजा भरतपुर को साथ लेकर के गए। केवल बनियान पहिने, नंगे पैर और खुद जीप को चलाकर भरतपुर के महाराजा मथुरादास जी माथुर को साथ लेकर हमारे संसोपा के लीडर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारी झोली में दो आदमियों की भीख डाल दो, हम तुम्हारे प्रोग्राम को मानने को तैयार हैं। आप किसी तरह से हमारे साथ आ जाओ। उनको साफ कह दिया गया कि कांग्रेस के इन अहलामों का विश्वास नहीं किया जा सकता है। वह वहां से अपना सा मुंह लेकर वापिस आ गए। सुखाडिया साहब को बता दिया गया कि वह लोग आने को तैयार नहीं हैं। तब दूसरे दिन स्पीकर के चुनाव में अल्पमत में रहना पड़ेगा, यह बुरी स्थिति उनको देखने को मिलेगी इसलिए तब वह रिपोर्ट करनी पड़ी, 13 तारीख को यह रिपोर्ट करनी पड़ी कि हमारा बहुमत नहीं है और तभी उस दिन राष्ट्रपति शासन कायम किया गया।

अध्यक्ष महोदय, हमने उसके बाद गृह मंत्री जी से पूछा जो आपने काम किया है वह उचित नहीं है। कांग्रेस अगर सरकार

(रामानन्द अग्रवाल)
नहीं बना सकती थी तो विरोधी दल को पूछना चाहिए था। वह कहने लगे कि लॉ एण्ड आर्डर की सिचूएशन खराब थी। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बडी विडम्बना थी कि जब सात तारीख को जयपुर में गोली कांड हुआ उस समय लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब नहीं हुई। उसके बाद जयपुर में चार पांच दिन तक करफ्यू कायम रहा, तब भी लॉ ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं हुई। बारह तारीख को कांग्रेस दल की मीटिंग हुई और सुखाड़िया साहब ने यह कहा कि हम मंत्रिमंडल बनायेंगे, तब 12 तारीख को भी लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं हुई। और उसके बाद तेरह तारीख को मथुरादास जी माथुर का वायुयान खाली आने के बाद ही लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई और इसलिए ही राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, यहां के राज्यपाल महोदय ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके, अपने वैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग करके जो रिपोर्ट केन्द्र को भेजी, अध्यक्ष महोदय, उसमें न केवल संयुक्त दल का बल्कि विधान सभा के दो करोड जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों का अपमान किया है। राज्यपाल महोदय ने अपनी रिपोर्ट भेजी उसमें यह लिखा कि यहां पर संयुक्त दल के लोग 13 तारीख को कोई जबर्दस्त प्रदर्शन करने वाले हैं और विधान सभा के अन्मों प्रदर्शन होगा तो वह यहां पर एक जबर्दस्त प्रदर्शन होगा। मायने, चोर की दाढी में तिनका। न कहीं पर प्रदर्शन की बात थी, न कहीं पर आन्दोलन की बात और न कोई और बात। लेकिन जबर्दस्ती एक प्रदर्शन की बात कह कर इस विधान सभा के अधिवेशन को और पूरे कान्स्टीट्यूशन को, स्थगित करा दिया गया। इतना ही नहीं राज्यपाल महोदय ने जो चिट्ठी भेजी थी उसमें यह लिखा था कि ऐसे दल, जिसमें ऐसे लोग हैं जो इस तरह के प्रदर्शन कराते हैं और इस तरह की कार्यवाही करते हैं, जिसको उन्होंने इर्रेस्पोंसिबिल कहा था, इस तरह की कार्यवाही में विश्वास करे, ऐसे दल को सत्ता सम्भालने की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, ऐसे दल को हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह किसी राज्यपाल को अधिकार नहीं है। जो दल यहां पर बहुमत में है उस दल को हुकूमत बनाने का अधिकार है। यह कोई राज्यपाल, चाहे वह सम्पूर्णानन्द जी हों या कोई और हों या केन्द्र में गृह मन्त्री चाहे चह्वाण जी हों या चाहे इन्द्रा गांधी, उनको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है। जिनको जनता ने बहुमत में चुन कर भेजा है वह रेस्पोन्सिबल लोग हैं, वह जवाबदार लोग हैं। और हुकूमत बनाने के अधिकारी हैं। इस बुनियाद पर राज्यपाल महोदय ने जिस तरह का पत्र लिखा वह न केवल विधान सभा का अनादर था बल्कि राजस्थान की दो करोड जनता का भी अनादर था, संविधान का अनादर है। केन्द्र में जो बैठे हैं गृह मन्त्री और कांग्रेस सरकार वह हमारे पेरेन्ट्स के रूप में नहीं बैठे हैं....

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : डाकुओं को सत्ता सौंप देते क्या ?

विरोधी पक्ष के कई माननीय सदस्य : बैठ जाओ ! बैठ जाओ !

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो भी दल बहुमत में है उसको सत्ता सौंपनी पड़ेगी—यह कानून है।

अध्यक्ष महोदय, इन चुनावों से यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि हमारे हिन्दुस्तान में एक संघीय शासन, केन्द्रीय सरकार कोई पेरेन्टल आर्गनाइजेशन नहीं है जो अपने प्रान्तीय सरकारों के गार्जियन का काम करती हो। तमाम के तमाम प्रान्तों ने अपनी सत्ता फूड प्रोब्लम और म्यूचुअल इन्ट्रैस्ट के लिये केन्द्र में स्वेच्छा से दी हुई है इसलिये केन्द्र को उस सत्ता का उपयोग करते हुए प्रान्त में जो सत्ता निहित है उसका आदर रखना पड़ेगा। चह्वाण साहब को संयुक्त दल पसन्द है या नहीं उसका यदि वहां पर बहुमत है तो उसको सरकार बनाने देना होगा। यह किसी का कोई अधिकार नहीं है, यह कहने का किसी को कोई हक नहीं है कि यहां के लोग किस तरह के कानून बनायेंगे, किस तरह से सरकार को चलायेंगे। वह दल, जो बहुमत में है, यह उसका काम है और उसको किसी गाइडेन्स या मार्ग दर्शन की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से जो केन्द्र में बैठे हैं, उन्होंने इस तरह जनतन्त्र का गला घोंटने की कोशिश की है, बहुमत का गला घोंटने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रजातन्त्र पर कलंक है और कांग्रेस को एक जबर्दस्त प्रतिकार, एक जबर्दस्त इसका नतीजा, मैं समझता हूं, भुगतना होगा।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो है· · · ·

एक माननीय सदस्य : अब शुरू हो रहा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह तो इन्ट्रोडक्शन था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें हमारी जो ज्वलन्त समस्याएं हैं उनका केवल मात्र जिक्र करके छोड़ दिया गया है। आज सबसे बड़ी समस्या जो आम चुनाव के बाद आई है, आपके और हमारे, सभी के सामने आई है अध्यक्ष महोदय, वह महंगाई की है और खाद्य समस्या है जिससे आज जनता बुरी तरह से परेशान है? जिस तरह से महंगाई निरन्तर बढ़ती जा रही है उसका कोई इलाज न तो केन्द्र सरकार अभी तक कर पाई है और हमारे राज्यपाल महोदय ने जो मौजूदा राज्य सरकार की नीतियों की इस अभिभाषण में घोषणा की है न उसमें इसका कोई संकेत है कि आखिर किस नीति से कौनसे तरीके से इस महंगाई की समस्या को, इस भुखमरी की समस्या को, इस अनाज की समस्या को सरकार हल करना चाहती है। इसके बारे में यह अभिभाषण बिल्कुल खामोश है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं, राज्य सरकार शायद इस बात को शर्म के कारण न करना चाहे—यह सब बातें तो हमारी केन्द्रीय सरकार की गलत नीतियों के कारण होती हैं। या तो केन्द्रीय सरकार हमारी मानती नहीं है या केन्द्रीय सरकार अपनी नीतियों को नहीं बदलती है इसलिये हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वीभत्स समस्या, महंगाई की समस्या, अनाज की समस्या पर इस तरह आंख

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मूंद कर इसको टाला नहीं जा सकता। आज यह सरकार मंहगाई को नीचे लाने के लिए इसकी जिस तरह की नीतियां हैं टैक्स के सम्बन्ध में, करेन्सी के सम्बन्ध में, फारेन लाज और बार्गेन के सम्बन्ध में, जो नीति केवल केन्द्रीय सरकार के ऊपर निर्भर करती हैं लेकिन जिनका आपके और हमारे ऊपर समान असर पडता है, उन नीतियों में परिवर्तन करने या उन नीतियों को छोडने की केन्द्रीय सरकार ने न तो लोक सभा के पिछले अधिवेशन में अपनी इच्छा जाहिर की है और न सरकार ने इस बात का संकेत किया है कि उन नीतियों में परिवर्तन होना चाहिये। अगर केन्द्र की आंख नहीं खुली है और अगर केन्द्र उन नीतियों में परिवर्तन करने को तैयार नहीं है तो राज्य सरकार का यह फर्ज है कि अपनी जोरदार आवाज बुलन्द करके केन्द्रीय सरकार से कहे कि तुमने जो डिवेल्यूएशन किया है। यह बिल्कुल बेकार साबित हुआ है, इससे कीमतें बढ़ी हैं। इस डेफीसिट फाईनेन्सिग को बन्द करो। यह फोरन बार्गेन जिस तरह से चल रहा है उसको बन्द करो और दूसरी नीतियां, रेडीकल नीतियां हैं उनको अपनाओ जिससे देश को पैसा मिल सके और देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सके। न तो केन्द्रीय सरकार ने यह कहा है और न राज्य सरकार यह कहने को तैयार है। मंहगाई के बारे में एक निरुत्साहपन और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की लाचारी का भाषण उन्होंने हमारे सामने रखा है। इसका मतलब यही है कि जैसा कि केन्द्रीय सरकार उल्टे चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि अभी देखा क्या है, दो महीने आगे देखना भाव और ऊंचे बढेंगे। अभी तक सटोरिये भाइयों को किन्हीं साधुओं को अपना हाथ दिखाना पडता था और पूछना पडता था कि बाबा, तेजी रहेगी या मन्दी लेकिन जब से केन्द्र में यह कांग्रेस सरकार आई है वहां के अर्थ मन्त्री ने यह घोषणा करना शुरू कर दिया है; वहां के खाद्य मन्त्री ने यह घोषणा करना शुरू कर दिया है कि दो महीने के अन्दर अनाज की और तंगी हो जायगी, इसलिये सटोरिये भाइयो, अनाज के भाव बढने वाले हैं, अनाज को छुपा रखो। दो महीने के बाद और अनाज की तंगी के कारण भाव उढ़ने वाले हैं.... अफसोस की बात है, यह एक मोटी सी बात जिसको साधारण आदमी समझ सकता है, इसमें हमारी सरकार की नीति इस तरह की घोषणा करती है और आम जनता को अपनी किस्मत के नाम पर और रहम पर छोडती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य शीघ्र ही समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी पहली घंटी होते ही मैं समझ गया।

श्री अध्यक्ष : पहली घंटी नहीं दो घंटियें हो गई और तीसरी बार मैंने स्वयं ने अर्ज किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो जो भी कदम राज्य सरकार के हाथ में थे उसको करती, स्टोरेज बनाती, केन्द्र की सरकार से अधिक धान का अलोटमेण्ट लेना और उनकी मेहरबानी पर कुर्सियों पर बैठने के बाद यदि हम कुछ आशा करें कि केन्द्र कुछ सुनवाई करेगा तो मैं कहूंगा कि ऐसी गवर्नमेन्ट की कतई सुनवाई नहीं होगी। आप तो चौहान साहब के बल पर चीफ मिनिस्टर बने हैं।

Page No.42

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
वे क्या केन्द्रीय सरकार से अलाटमेण्ट ठीक तरह से ले सकते हैं। इस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय का यह कहना, मैं समझता हूं कि वह जनता को केवल अपनी किस्मत के रहम पर छोडने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि न तो हमारे पास स्टॉक है और न दिल्ली वाले हमें ज्यादा देने को तैयार हैं। इसलिये भाइयो जैसे भी हो आप अपना काम चलाएं। अगर नहीं चले तो दूसरे प्रान्त को चले जावें और इसके लिये दूसरी व्यवस्था रास्ते में पानी और चारे आदि की हो सकती है तो हम कर सकेंगे। सबसे बडी बात यह हो सकती है कि दूसरे प्रान्त में राजस्थान को छोड कर चले जावें।

मुझे आश्चर्य है कि जो कदम अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिये उठाया जा सकता था नहीं उठाया गया, जमा खोरी को रोकने के लिये और तस्करी को रोकने के लिये जो कदम उठाया जाना चाहिये था उस ओर कदम नहीं उठाया जा रहा है बल्कि जो कदम उठाया जा रहा है उस पर भी रोक लगाने की कोशिश की जा रही है।

मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता कि किस तरह से बाहर से पंजाब से और यू. पी. से खांड लाने वालों को, गुड लाने वालों को प्रोटेक्ट किया है। वहां जाकर कोई कहता है तो कुछ सुनवाई नहीं होती। मगर वह हमको बहुत मंहगा पड रहा है। इसके अलावा हमारे यहां से ज्वार, जौ लगातार जोरों से बाहर जा रहे हैं। जो लोग ले जाते हैं उनको रोकने की सरकार की हिम्मत नहीं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर सरकारी कर्मचारियों की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है तो उसका नतीजा यह होता है कि पहरेदार और ड्राईवर पकडे जाते हैं और जो व्यापारी लेजाने वाला होता है वह आराम करता रहता है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। मैं आपको अभी की घटना बताता हूं कि अभी 19 तारीख को हमारे यहां किशनगढ में दो ट्रक पकडे गये। ड्राईवर और ट्रक को तो पकड लिया गया लेकिन मालिक यों के यों ही घूमते फिर रहे हैं। ड्राइवर और ट्रक कैद खाने में पडे हैं। रिपोर्ट आ जायेगी कि हमने इतने तस्कर व्यापार करने वालों को पकडा और इतनों को सजा दी।

अब मैं केवल एक ही बात कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं....

श्री अध्यक्ष : एक बात एक ही मिनट में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक बात मैं जमीन के बारे में कहना चाहता हूं। भूमिहीन लोगों को अगर जमीन दे दी जाये तो पैदावार बढ सकती है। हमारी सरकार ने आंकडे दिये कि एक लाख और कुछ एकड भूमि पिछले साल में भूमिहीनों को वितरण की गई। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 1 करोड 35 लाख एकड भूमि ऐसी है जो लोगों को अलाट हो सकती है। एक लाख और कुछ एकड भूमि सरकार ने लोगों को दी है। यदि इसी तरह से सरकार अलोटमेण्ट करती रही तो कितने ही साल जमीन के अलाटमेंण्ट में लग जायेंगे। जो तरीका इसको बांटने में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अपनाया गया है वह भी संतोष-प्रद नहीं है और जिस तरीके से पैसा खर्च होता है वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक ही उदाहरण देकर कहूंगा। हमारे यहां पर 400 बीघा जमीन शाहपुरा रून्द है, उसमें अलोटमेण्ट करने को थी। 6 फरवरी को जंगलात की जमीन रेवेन्यू सीगे में अलोट होने को थी। वह जमीन एडवाइजरी कमेटी द्वारा अलोट होनी चाहिये थी लेकिन हमारी सरकार ने चुनावों के समय एक ही गांव के केवल 52 परिवारों को वह जमीन अलोट करदी। इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि जिनको यह जमीन अलाट की गई है वे परिवार उस गांव के और उस पंचायत के भी नहीं हैं। इसके अलावा 52 परिवारों में से भी 20 सही थे और बाकी बोगस थे। अध्यक्ष महोदय, 6 फरवरी को अलाटमेन्ट के आर्डर हुए और यह कहा गया कि उनको फौरन कब्जा दे दिया जावे और मेरी जानकारी में 30 हजार रुपये एक एक हजार करके वहां इकट्ठे किये गये और मुझे उन्होंने बताया कि दो मन्त्रियों को दस दस हजार रुपये अलोटमेन्ट करने के दिये गये। उन मन्त्रियों के पास पहुंचे या नहीं उसकी मैं नहीं कह सकता। लेकिन जिन गरीबों को अलोटमेन्ट होना चाहिये था उनको रोका गया है और गैर कानूनी तरीके से यह अलाटमेन्ट किया गया। इसके लिये मैं मांग करना चाहता हूं कि एक जांच कमेटी बैठाई जावे। इसमें गवर्नमेण्ट के दो भूतपूर्व मन्त्री इन्वोल्व्ड हैं और गैर कानूनी तरीके से अलाटमेण्ट हुआ है। मुख्य मन्त्रीजी ने खुद ने इसके ऑर्डर दिये हैं। वे खुद इसमें इन्वोल्व्ड हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच एक हाई कोर्ट के जज से कराई जावे कि अलाटमेण्ट किस तरह से हुआ है। और गैर कानूनी ढंग से लोगों से रिश्वतें लेकर और चुनावों में फायदा उठाने के लिये किया गया है।

श्री अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया और जो सरकार की नीतियां जनता के सामने रखी गई उससे ऐसा लगता है कि ये नीतियां राजस्थान की जनता को आगे नहीं ले जा सकतीं और ऊपर नहीं उठा सकतीं। आज चाहे तिगडमबाजी से सुखाडिया साहब इस पद पर बैठे हैं वह तरीका ठीक नहीं है और अगर वे जनता की इच्छा से आते तो इज्जत से आते और जिस तरह तिगडमबाजी से आज कुर्सियों पर बैठ गये हैं, जनता उनको हटाएगी तो बेइज्जती से वे इस कुर्सी से जावेंगे।

आज कांग्रेस की नीतियों से लोग परेशान हैं और मैं कहना चाहता हूं कि आप इस डूबती हुई नाव में मत बैठो। जो अकलमन्द हैं वे तो इस डूबती नाव में नहीं बैठेंगे अन्यथा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी इस डूबती नाव के साथ साथ डूब जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री शोभाराम।

श्री शोभाराम (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका मिला है, रामानन्दजी की तकरीर को मैंने बहुत गौर से सुना। यहीं पर ही नहीं पिछले 15-20 सालों से उन्हें सुनता आ रहा हूं। एक नीति के बारे में उन्होंने अपने सिद्धान्त व्यक्त

Page No.44

(श्री शोभाराम)

किये और उन्होंने एक उदाहरण श्री समर्थलाल का पेश किया, वे स्वतन्त्रपार्टी के टिकट से जीत कर आये। श्री अग्रवाल ने बताया कि अच्छा होता वे वहां से इस्तीफा देते और फिर दुबारा चुनाव लड कर आते।

मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस की बहुमत की सरकार थी, राव वीरेन्द्रसिंह और 14 सदस्य कांग्रेस को छोड कर गये तो कितनी नफरत से उन्होंने इस एक्शन को देखा, कितनी तकरीरें पब्लिक में कीं, मैं समझता हूं, उन्होंने इस एक्शन का उल्टा समर्थन ही किया।

एक माननीय सदस्य : वह तो इनके हक में था।

श्री शोभाराम : यू. पी. में श्री सी. बी. गुप्ता की मिनिस्ट्री बनी, चरणसिंह जैसे पुराने आदमी जब दूसरी तरफ बैठे तब आपने इस एक्शन को नफरत की निगाह से नहीं देखा। और यह भी ताजा नजीर है कि यू. पी. में जब राज्यपाल के अभिभाषण पर मत जाहिर किये गये अ..ल धन्यवाद का प्रस्ताव एक तरीके से गिर गया तो श्री गुप्ता ने एक मिनिट से ज्यादा टाइम उन्होंने नहीं लिया और त्यागपत्र दे दिया, उसकी हमारे दोस्तों ने तारीफ भी की। इसके विपरीत दूसरी नजीर पंजाब की है, पंजाब में गुरनामसिंह ने जो किया वह बेनजीर है।

डेमोक्रेसी में कोई भी पार्टी हमेशा के लिये शासन में नहीं रहती है और न रहेगी। पर जब तक शासन में रहती है तब तक विरोधी दल के दृष्टिकोण को समझ कर एक दूसरे के नजदीक आकर पब्लिक की खिदमत कर सकते हैं। जो जो सदन के सदस्य चुन कर आये, वे यहां से वापिस जायेंगे तो लोग सवाल करेंगे कि हमारे लिये क्या किया। हम लोग कहेंगे कि इतनी बडी तकरीर की, भाषण दिये। पर उनके पल्ले क्या पडा ? कुछ बडी समस्याएं हैं, बेरोजगारी और खाद्यान्न की समस्याएं हैं, मैं समझता हूं इन दोनों समस्याओं पर नकारात्मक दृष्टिकोण रखने से कोई मतलब हल नहीं होगा। यह मैंने इसलिये कहा कि मान लीजिये कांग्रेस को हुकूमत खत्म होती है और विरोधी दल को मौका मिलता है तो क्या साम्यवादी और सोशलिस्ट पार्टी के लोग पसन्द करेंगे कि जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी के सहयोग से बनी सरकार चले। मेरी एक माननीय सदस्य से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि कैसे समझौता हुआ तो उन्होंने कहा कि 45 शर्तों में से सिर्फ 17 शर्तों पर समझौता हुआ। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको समझना चाहता हूं। वाकई अगर खाद्य स्थिति को, रोजगार की समस्या को हल करना चाहते हैं तो क्या दृष्टिकोण अपनायें, इसको सोचना होगा। मैं समझना चाहता हूं कि व्यापार स्वतन्त्र हो या नियन्त्रित हो, इस बारे में आपका क्या ख्याल है ? कम्यूनिस्ट नेता के क्या ख्याल हैं, व्यापार को स्वतन्त्र करना चाहते हैं या नियन्त्रित रखना चाहते हैं, अगर स्वतन्त्र चाहते हैं तो जिन लोगों ने आपका साथ दिया है वे क्या चाहते हैं। सहकारी क्षेत्र के बारे में आपकी क्या कल्पना है। समाजवादी समाज को कायम करने का हमने फैसला कर लिया है, सोशलिस्ट पार्टी

(श्री शोभाराम)

और साम्यवादी पार्टी इनका लक्ष्य समाजवाद की स्थापना का है, समाजवाद की बात करते हैं तो निजी क्षेत्र के बारे में क्या ख्याल है, इसके साथ ही साथ सहकारी क्षेत्र को महत्व दिया जावे तो उसका विस्तार कैसे हो, इसमें आपके साथ जो लोग हैं उनकी क्या राय है? इस प्रकार के बहुत से प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। शोसलिज्म के हामी अनुपार्जित आय के बारे में उसके लिये क्या खयाल है? हमारे देश में, प्रीवी पर्सेज मिलती हैं, उसको उपार्जित आय में शामिल करेंगे या अनुपार्जित आय में शामिल करेंगे? माननीय सदस्य ने महाराजा हरिश्चन्द्रजी की, शोक प्रस्ताव पर तारीफ की थी, रामानन्द जी के जज्बात को मैंने गौर से सुना, महाराजा साहब मेरे भी दोस्त थे, मैं उनकी इज्जत करता था, श्री अग्रवाल ने कहा कि आप उनकी इस बात से बड़े प्रभावित हुए कि महाराजा हरिश्चन्द्रजी प्रीवीपर्स के खिलाफ थे पर जो लोग सामने बैठे हुए हैं वे कितने खिलाफ हैं। क्या वे वालन्टियरीली प्रीवी पर्स को छोड़ नहीं सकते, क्या भारत सरकार के कानून की इन्तजार कर रहे हैं। इस तरह की बातें हैं जिन पर विचार करें। अब मैं लोकल अपने जिले की बातों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं····

श्री हीराभाई : कांग्रेस पार्टी किसका इन्तजार कर रही है, 20 साल तक लोगों को वायदे करके प्रीवी पर्स देकर 40, 40 पैंतालीस पैंतालीस लाख एक एक महाराजा को दे रही है, क्यों दे रही है?

एक माननीय सदस्य : आपके सहयोग की इन्तज़ार है।

(1.36 म. प.)

(श्री केदार नाथ, सभापति, पदासीन)

श्री शोभाराम : जनता को हम लोगों ने विश्वास दिलाया विरोधी पक्ष के लोगों ने जनता को क्या विश्वास दिलाया मुझे पता नहीं। मैं अपने जिले की बातें तो जानता हूं। उमा माथुर अलवर मे श्री अग्रवाल के विरुद्ध चुनाव में खड़ी हुई थीं। चुनाव में····

श्री हीराभाई : एक भी वादा पूरा नहीं किया, कांग्रेस क्या करना चाहती है?

श्री शोभाराम : मुझे यह बताया गया, यद्यपि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, शहर के अन्दर पूंजीपति और मालदार लोग रहते हैं, वहां का प्रतिशत देखा जाय और गांवों की आबादी जहां गरीब लोग रहते हैं, वहां के प्रतिशत को देखा जाय, तो पता लगेगा कि उमा माथुर को 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट गांवों में मिले। शहर में जहां पूंजीपति लोग रहते हैं वहां श्री अग्रवाल को ज्यादा वोट मिले। उन्होंने जनता को क्या विश्वास दिलाया? मैं तहकीक तो नहीं कह सकता, मैंने सुना है, दो रोज पहले रामानन्दजी को कहना पड़ा कि साम्यवादी दल के नाते आपसे वोट नहीं मांगता, रामानन्द अग्रवाल के नाते वोट मांगता हूं····

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं ऐसी छोटी बातों की आपसे उम्मीद नहीं करता था आप जानते हैं व्यापारी वर्ग आपका सबसे बड़ा समर्थक था और व्यापारी वर्ग की ताकत पर ही····

श्री शोभाराम : अच्छा मैं माफी चाहता हूं कि मैं छोटी सी बात पर आगया। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। यद्यपि बात सही है।

श्री राम किशन : हम जानतेहैं कि कांग्रेस में रहने के बाद ही आपभी छोटी बात कहने के आदी हो गए हैं।

श्री शोभाराम : कुछ मसले ऐसे हैं जिनका उल्लेख हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में होना चाहिये था। 1947 से लेकर इस साल तक जो रिहेबिलिटेशन की समस्या है, अब तक पड़ी हुई ह। अलवर भरतपुर में खास तौर से लाखों आदमी हैं चाहे पुरुषार्थी हों या मेव भाई हों। पुरुषार्थियों को जमीन की कीमतें दाखिल करने के हुक्म होगए और दो तीन किश्तें वसूल भी हो गई, लेकिन अभी तक मालकाना हकूक उन्हें नहीं दिए गए। हम सहकारी समितियों और केन्द्रीय बैंकों द्वारा लाखों रुपये का वितरण करते हैं, कुएं बनाने के लिए, बहुत से विकास कार्यों के लिए लेकिन इन पुरुषार्थियों को इस बिना पर कोई कर्जा नहीं मिल सकता कि उन्हें मालिकाना हक अभी तक हासिल नहीं हुए। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जो समस्याएं वर्षों से पड़ी हुई हैं, उन समस्याओं के समाधान का जिक्र इस अभिभाषण में होना चाहिये था। अतः मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगले वर्ष 31 मार्च, 68 से पहले जितनी प्रकार की पुनर्वास की समस्यायें है, चाहे वे मालकाना हकूक से ताल्लुक रखती हों चाहे मकानों से ताल्लुक रखती हों, हल होनी चाहिये। उनसे मकानों की कीमतें भी वसूल की जाती हैं इस बिना पर कि साबित करो कि पाकिस्तान के अन्दर वह किसी मकान में रहता था या नहीं। जबकि पाकिस्तान की सरकार इस कार्य में रुचि नहीं रखती तो ऐसे सबूत कैसे दिये जा सकते हैं। अतः पुरुषार्थियों से मकान के कर्ज के बारे में सख्ती करना मुनासिब नहीं है।

मेवों के बारे में जो नो-इवेक्यू प्रोपर्टी करार दी हुई है उसमें से जमीनें खेती की वापस करदी गई और उसी सिद्धान्त के आधार पर जहां उनके कच्चे और पक्के मकान वापस नहीं हुए। कभी कस्टोडियन से, कभी मैनेजिंग ओफिसर से, कभी तहसीलदार की तरफ से मकानों की कीमत दाखिल कराने के नोटिस जारी होते हैं। इस प्रकार के नोटिस देना कतई ठीक नहीं है। सरकार इस सम्बन्ध में ध्यान देगी।

एक कमी और मुझे इस अभिभाषण में देखने को मिली। मुझे संसद में भी राष्ट्रपति क अभिभाषण सुनने का कई बार मौका मिला। अभिभाषण में यह बताया जाता है कि चालू वर्ष में कितने कानूनों को पारित करने का विचार है। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में इस प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं है। रेवेन्यू लाज कमिश्नर के बारे में पिछली बार बिल पेश हुआ था, वह लेप्स हो गया था में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल में जितने रेवेन्यू कानून में सुधार करना चाहते हैं, वे सुधार हो जाने चाहिये। इसके अलावा सीलिंग के बारे में भी यह कहना चाहता हूं कि 14 वर्ष बीत गए हैं लेकिन इस कानून का इम्पलीमेन्टेशन नहीं हुआ। राज्य सरकार से मैं दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम एक टाइम-लिमिट जरूर फिक्स की जाय और

Page No.47

(श्री शोभाराम)

वह यह हो कि इस साल के अन्त तक पूरे सीलिंग कानून का इम्प्लीमेन्टेशन हो जायेगा, जो कुछ जमीन निकले उसे भूमिहीन किसानों को देना चाहिये।

आखिरी बात जिसकी मैं इस अभिभाषण में कमी पाता हूं वह यह है कि राजस्थान में हमने देखा कि गेहूं पिछले वर्ष 34-35 रुपये मन बिक रहा था, आज 50) रु. मन तक उसकी कीमत हो गई। हम किस तरह प्राइस लाइन होल्ड करें यह एक बड़ा प्रश्न है। इस तरह खाद्यान्नों की कीमतों को अनियन्त्रित छोड़ देंगे तो कीमतें आप बढ़ती जायेंगी। सरकार कीमतों को नियंत्रित कर सकती है। यहां बफर स्टाक रखन का भी सवाल आता है। हम किसी भी प्राइस लाइन को होल्ड नहीं कर सकते जब तक कुछ लाख टन अनाज संग्रह नहीं किया जाता। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब आगामी बजट सेशन में कृषि या खाद्य विभाग की मांग पेश हो तो कम से कम इस बारे में तस्वीर रखें क्योंकि यदि हमने प्राइस लाइन पर नियन्त्रण नहीं किया और मौजूदा तरीके से काम करते रहे तो लोगों को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

सरकार में जो खामियां हैं वह उनके काम करने की पद्धति में हैं, उनके बारे में भी जिक्र करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि अच्छी सरकार वो है जिससे लोगों का कम से कम सरकार से वास्ता पड़े, जितना ज्यादा वास्ता बढ़ता है, उतनी ज्यादा कठिनाइयां जन साधारण के सामने होती हैं और हम निष्पक्षता से देखें कि गांवों के स्तर पर बहुत सी ऐसी बातें होती रहती हैं जो ऊपर सरकार के कानों तक पहुंचती भी नहीं हैं। जमीनों के अलाटमेन्ट के बारे में जैसे एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि किसको एलोटमेण्ट होना चाहिये, किसको नहीं होना चाहिये, वह एक पद्धति से सम्बन्ध है और हम पूर्ण सन्तोष लोगों को नहीं दे सकते जब तक कि नियमों का पालन न करें। सिलेक्शन, एपाइन्टमेण्ट और प्रोमोशन के बारे में मेरी राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों से भी बातें होती रहती हैं। कहीं कहीं असंतोष है और कहीं कहीं अनुचित देरी लगती है। यह भी विचारणीय प्रश्न है। बरसों तक केसेज पड़े रहते हैं, लोगों को राहत नहीं मिलती। जो चाहते हैं वह नतीजा हासिल नहीं होता। कुछ पद्धति और स्टेन्डर्ड या नोर्म्स मुकर्रर होने चाहिये, जैसे मेडिकल कालेज में दाखिले के लिए नियम बना दिये गये हैं। ऐसे नियमों से गल्तियां होने की कम से कम सम्भावना रहती है। तो हम सब इस प्रकार की समस्याओं पर बैठ कर विचार करें। अगर जरूरत पड़े तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन हिन्दुस्तान में है उसके नमूने की यहां पर भी मिली जुली कमेटी बने जिसमें विरोधी दल के सदस्य भी शामिल हों जो इस बात पर विचार करें कि किस प्रकार से प्रशासन में सुधार मुमकिन है, इसकी जांच होगी और कई स्तरों पर कई विभागों के नीचे स्तर पर जो खामियां हैं जिसका जन साधारण पर बुरा प्रभाव पड़ता है उसका भी अध्ययन होगा इस प्रकार जन साधारण जिसका जीवन पीड़ित हो गया

(श्री शोभाराम)
हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

एक और बात है जिस के लिये सोचना पड़ेगा कि न्याय हिन्दुस्तान में बहुत मंहगा हो गया है, ठीक है हमारे पास कोई इस समय कन्क्रीट सुझाव नहीं है। लेकिन यह सही है कि एक गरीब आदमी एक हजार खर्च करके हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, अच्छा वकील करके सेशन्स कोर्ट में नहीं जा सकता, कलेक्टर की अदालत में नहीं जा सकता। इसका उस पर बुरा असर पड़ता है। इसका भी हमें कोई न कोई ऐसा उपाय या मार्ग तलाश करना पड़ेगा जिससे कि गरीबों को सस्ता न्याय मिले।

आखिर में कुछ मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

हमारे इस अभिभाषण में कृषि की तरफ ज्यादा जोर दिया गया है और जब हम कृषि उत्पादन की बात करते हैं तो उसके साथ, सिंचाई, बिजली, सहकारी समितियां और कृषि विभाग ये सब हमारे सामने आ जाते हैं जिन पर हम को विचार करना चाहिये। मैक्सिकन गेहूं के बारे में अभिभाषण में जिक्र किया गया। लेकिन वक्त पर बिजली न मिलने से पूरी पैदावार नहीं हुई। कई तहसीलों में गांव वालों ने बिजली के कनैक्शन ले रखे हैं लेकिन बिजली डिपार्टमेण्ट ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि जहां बिजली दी जा रही है वहां पर पूरी जमीन की सिंचाई करने के लिये कितनी बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरी काश्त की सिंचाई के लिये जितनी बिजली मिलनी चाहिये थी उतनी बिजली नहीं मिली। मैं आपको उदाहरण के लिये ही निवेदन करूं कि रामगढ़ तहसील में मैक्सिकन गेहूं का कई गांवों में परीक्षण किया गया। इसका 45 मन एक एकड़ में साधारणतया उत्पादन होना चाहिये लेकिन वह 22 मन से अधिक नहीं बैठा। कारण यह था कि जहां दस पानी के लिए बिजली मिलनी चाहिये थी वहां पांच छः पानी के लिये ही बिजली मिली। बहुत कम बिजली मिली। इसलिये जहां बिजली दी जा रही है उस क्षेत्र का सर्वे किया जावे कि वहां पर पूरी पैदावार के लिये कितनी बिजली की जरूरत होगी और यह भी अनुमान लगाया जावे कि जिसको बिजली दी गई है उसको पूरी मात्रा में बिजली मिले मैं समझता हूं कि इससे आगे बढ़ने की कोशिश न करें।

चम्बल क्षेत्र में भूमि समतल करने के लिये 32 लाख रुपया मिला और हमारे माननीय सदस्य रामानन्दजी ने ठीक ही कहा कि लाखों एकड़ जमीन इतनी पड़ी हुई है कि जिसके लिये अगर उसको अच्छी तरह से समतल बनाया जाय तो हजारों लाखों परिवारों को जमीन मिल सकती है। यह एक बहुत बड़ा काम है जिसके लिये एग्रीकल्चर रीफाइनेन्स कोर्पोरेशन से काफी कर्जा मिल सकता है। उड़ीसा में 8 करोड की योजना है। मैंने महाराष्ट्र की रिपोर्ट में देखा है कि उन्होंने 50 करोड रुपयों की योजना एग्रीकल्चर रीफाइनेन्स कार्पोरेशन की सहायता से बना रखी है। इसलिये यहां भी इसके लिए स्कीम बनायी जाय। इसके लिये कोई स्पेशल कमेटी बैठे जो छः महीने में आंकड़े दे कि कौन कौन सी तहसीलों में, कौन कौन से।

(श्री शोभाराम)
जिलों में ऊबड खाबड जमीनें हैं और कहां कहां जिसे समतल भूमि बनाई जा सकती है और सिंचाई के लिये वहां कितन कुओं का प्रबन्ध हो सकता है इन सब बातों पर सर्वे होना चाहिए और योजना की तैयारी की जावे ताकि अगले साल इसके लिये 40 करोड रुपये की भी यदि आवश्यकता पडे तो 40 करोड रुपया एग्रीकल्चर रीफाइनेन्स कार्पोरेशन द्वारा उपलब्ध किया जा सकता है।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : माननीय सदस्य को पता होगा कि पिछले साल बैंक वाले आये थे, रिपोर्ट पेश की गई थी तो सारे देश में 4½ करोड रुपया दिया गया तो महाराष्ट्र को 40 करोड रुपया कहां से दिया ?

श्री शोभाराम : मार्केटिंग फाइनेन्स के बारे में अर्ज करूं कि मार्केटिंग सोसाइटी की सहायता से फर्टीलाइजर आदि वस्तुओं की सप्लाई करना चाहते हैं। उनको बहुत कुछ फाइनेन्स स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया से मिल सकता है। लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

आखिर में गरीबों के मकानों के लिये जयपुर और बडे 2 शहरों से एल. आई. सी. का लोन मिल सकता है। 2 करोड रुपया बिजली के लिये एल. आई. सी. से लोन लिया। स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कार्पोरेशन और एल. आई. सी. इन तीनों के साधनों को आपको इकठ्ठा करना चाहिये। इस ओर ज्यादा ध्यान देना होगा। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि योजना उतनी ही लेनी चाहिये जिसे हम क्रियान्वित कर सकें। बजट सेशन होगा उसमें हम नल विभाग, बिजली विभाग आदि के लिये देखना चाहेंगे कि कौन से साल में योजना बनी, कितना अर्सा लगा, कितने काम अधूरे रहे हैं व किस कारण से और उसका उत्तरदायित्व किस पर है। तो ये सब बातें एक तरीके से देखने की हैं। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं। बिजली का उत्पादन और वितरण ये दो बडे अंग माने जाते हैं। जहां बिजली का उत्पादन बढता है वहां उसके वितरण की व्यवस्था के लिये दो तीन साल इन्तजार करना पडता है। अतः उत्पादन और वितरण का प्लानिंग ठीक नहीं हुआ तो हम बिजली जैसी बडी समस्या का हल नहीं कर सकते। खाद्यान्न के बारे में एडवाइजरी कमेटी नियुक्त होनी चाहिये। कई डिपार्टमेन्टों द्वारा की गई धांधली को मिटाने के लिये यह जरूरी है कि सलाहकार समितियों का नीचे स्तर पर निर्माण हो ताकि लोगों को संतोष मिल सके।

एक बात और कहना चाहता हूं आजकल तहसील और ब्लाक के अलग अलग क्षेत्र हैं वे एक होने चाहियें। उनके एक होने पर प्रशासन ठीक चलेगा। कई जगह हमने देखा है कि एक एक तहसील में दो दो तीन तीन ब्लाक होते हैं। या तो आप तहसीलों का रिओर्गेनाइजेशन करें या ब्लाक का करें। मेरी नाकिस राय में तहसील और ब्लाक का क्षेत्र एक ही हो ताकि प्रशासनिक ढांचे में गति आ सके।

आखिर में एक बात माननीय मंत्री सहकारिता जो बैठे हैं, उनसे कहना चाहूंगा। हम तीन साल से कोशिश कर रहे थे कि तकावी लोन जो भिन्न विभागों द्वारा दिया जाता है वह सहकारी बैंकों के माध्यम से ही वितरित

(श्री शोभाराम)

किया जावे। पिछले वर्ष 232 में से, संख्या तो पूरी याद नहीं है, 50 ब्लाक के लिये ही आज्ञा हुई है कि इनमें सहकारी बैंकों के माध्यम से ही कर्जा मिलेगा लेकिन किस प्रकार, कितने दर पर यह रुपया मिलेगा अब तक सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है।

(2 म. प.)

मैंने लिखकर भी पूछा है कि किस ब्याज की दर पर रुपया मिलेगा, उसमें हमारा कितना मार्जिन रहेगा। पर अभी तक इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपने यह तो कह दिया कि एक अप्रेल के बाद कर्जा जिस तरह से मिलता आया था वह तो नहीं मिलेगा और दूसरी व्यवस्था के बारे में स्पष्ट नीति व नियम नहीं बनाये तो इससे तो एक रिक्तता पैदा हो गई है। इस समय इन 50 ब्लाकों में जो किसान कर्जा चाहता है उसे न पंचायत-समिति के माध्यम से और न कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से कर्जा मिल सकता है। एक तरह से गत्यावरोध हो गया।

महरबानी करके आप यह जरूर देखें कि जो ब्लाक्स रह गये हैं उनके बारे में भी 50 ब्लाकों की भांति घोषणा होनी चाहिए।

मैं तो यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो खामियां हैं उनके लिये हमें सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जन मानस पर जो कु-प्रभाव पड़ रहा है और जो आलोचना होती है वह कैसे दूर हो इसके लिये हमें प्रयत्न करना होगा। इसके लिये सबसे बड़ी आवश्यकता एक बात की है कि हमें रेस्पोन्सिबिलिटी अधिकारियों पर प्रत्येक कार्य की निश्चित कर देनी चाहिये कि फलां अफसर की जिम्मेदारी कितनी है। पटवारी की गलती के लिये तहसीलदार जिम्मेदार होगा। नीचे काम करने वाले कर्मचारियों की गलती के लिये अधिकारी जिम्मेदार होगा. इससे वह अपनी जिम्मेदारी समझ कर पूरी देखभाल करेगा और सावधान भी रहेगा। इसके लिये एक कमीशन बैठना चाहिए जो पूरा अध्ययन करके इस संबंध में रिपोर्ट पेश करे।

मैं समझता हूं कि कोई सरकार ऐसी नहीं है कि जो सुधार नहीं करना चाहती हो। सभी चाहते हैं। विरोधी सदस्य कम से कम इतना इतमीनान जरूर करें। पर यह कहना कि राष्ट्रपति शासन हो गया, राज्यपाल ने गलतियां कीं, सब कुछ किया कहते रहे पर मैं समझता हूं कि रचनात्मक सुझाव, खाद्यान्न वृद्धि, बेरोजगारी दूर करने संबंधी, गरीबी, भुखमरी कैसे दूर की जा सकती है, आदि कामों के बारे में क्या कदम उठाये जा सकते हैं इस तरह के सुझाव दूसरी तरफ से नहीं दिये गये। हमें मुख्य तौर से रचनात्मक सुझावों की ओर देखना चाहिए और उनको क्रियान्वित करने की कोशिश करनी चाहिए।

किसी वक्त विरोधी दल की सरकार आई तो कांग्रेस दल रचनात्मक दृष्टिकोण रखेगा और रचनात्मक दृष्टि से काम भी करेगा। लाखों करोड़ों गरीब लोग राजस्थान के दुखी लोग हमारी तरफ देख रहे हैं आशा भरी नजरों से। ये भाषण बेमानी हैं। वे चाहते हैं उनको सस्ता अनाज मिले, महंगाई कम हो, नौकरी उनको कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले और कैसे उनको नल बिजली की सही व्यवस्था मिले। उनकी गरीबी मिटे, बेरोजगारी मिटे, भ्रष्टाचार मिटे। तो इन कामों के लिये हमें अपने स्तर को ऊंचा करना

(श्री शोभाराम)

पड़ेगा। विरोधी दल के सदस्य इस सरकार को बदल सकते हैं लेकिन अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा ही विरोधी अपनी सरकार बना सकते हैं। हम दूसरी तरफ बैठ जावेंगे। पर हम भी एक स्तर अपनाना चाहते हैं। अन्ततोगत्वा तो हमें हमारा लक्ष्य जनहित रखना है। अपने हिताहित के लिये नहीं, 94-95 के मत न गिनियेगा। करोड़ों जनता बाहर खड़ी है। उनके दुख दर्द की तरफ हम सबको मिलकर ध्यान देना चाहिए।

श्री जसराज (भिनाय) :

श्री सभापति : आप अपने भाषण को पांच मिनिट में समाप्त करियेगा।

श्री जसराज : माननीय अध्यक्ष महोदय (सभापति महोदय) हमारे गवर्नर साहब ने जो अभिभाषण सदन के सम्मुख रखा वह मैंने बड़े गौर से पढ़ा। पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि मानों यह केवल शब्दों का जाल और बाह्य आडम्बर मात्र है।

सरकार के जो फर्ज होने चाहिए उनका इसमें कोई बयान नहीं किया गया है। एक अच्छी सरकार के लिये चन्द कसौटियां हुआ करती हैं। उन कसौटियों पर इस अभिभाषण को कसने का मैं प्रयत्न करूंगा। वैसे मैंने जो जांचा है तो उस पर से कह सकता हूं कि यह सारा का सारा भाषण केवल एक मात्र झूठा और आडम्बर मात्र है।

किसी अच्छी सरकार की जो कसौटियां होती हैं उनमें से तीन चार प्रमुख कसौटियां मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा और उस आधार पर इस अभिभाषण को मैं आपके सामने पेश करूंगा।

किसी अच्छी सरकार के लिये सबसे पहला कर्तव्य होता है देश की सुरक्षा। दूसरा, अच्छी सरकार का परम कर्तव्य होता है कि वह वहां के रहने वाले नागरिकों के लिये अच्छा न्याय और शुद्ध प्रशासन दे। तीसरा होता है कि वहां के लोगों को रोजी रोटी और कपड़ा और रहने को मकान उपलब्ध कराये। इनके अलावा भी कुछ कसौटियां हैं वे गौण हैं और उनको बाद में पेश करूंगा।

इन तीन कसौटियों पर अगर हम इस सरकार को कसने का प्रयत्न करें तो हंसी आवेगी, देखने को मिलेगा कि यह अभिभाषण केवल धोखा मात्र है।

पहली कसौटी देश की रक्षा। यद्यपि यह केन्द्रीय सरकार की ड्यूटी है इसके बावजूद भी राज्य सरकार का भी इसमें कुछ फर्ज है। हमारी सीमा से पाकिस्तान की सीमा लगती है। पर इस अभिभाषण में हमें कहीं भी यह देखने को नहीं मिलेगा कि इस सीमा में सड़कें बनाने का कुछ प्रयास किया जा रहा हो। हम भूखे रह सकते हैं, देश में और समस्याओं को सहन कर सकते हैं पर एक विदेशी हम पर लगातार हमला करता रहे, वह हमारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाये और सरकार देश की बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा न कर सके। आये दिन हमारी सीमा पर पाकिस्तान हमले करता रहता है, हमारे पशु उठाकर ले जावे और हमारे नागरिकों को कत्ल कर जाये यह सहन नहीं किया जा सकता। फिर भी यह सरकार कहती है कि हम देश की रक्षा करने के लिये सतर्क हैं। यह कैसा मखौल है देश के साथ। सड़कें हम नहीं बनावें। भैरोंसिंह जी ने कल परसों ही भाषण दिया था वे बतला रहे थे कि सड़कों के लिये किस प्रकार

(श्री जसराज)

के घोटाले किये गये। चुनावों से बढ़कर देश की रक्षा का सवाल है। यह सर्वोपरि है। इसमें भी वे घोटाले करें यह क्या देश के लिये और इस सरकार के लिये लज्जाजनक नहीं है। फिर भी ये गवर्नर महोदय चाहते हैं कि उनको बधाई दें, धन्यवाद दें।

इसके साथ साथ मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि बोर्डर के पास कुछ अनुसूचित जातियों के लोग ज्यादा रहते हैं। मेरी उनसे बातचीत हुई है वे बेचारे गरीब हैं, वे बेचारे गरीब होने के कारण अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं और सरकार उनको प्रोटेक्शन देने में असफल रही है। जो गवर्नर महोदय ने भाषण दिया मैं तो नहीं सोचता हूं कि उन्हें आखिर किस बात के लिये धन्यवाद दिया जाय।

सभापति महोदय, जहां तक न्याय और कानून की व्यवस्था का सवाल है सरकार द्वारा समाजवाद के लाने की कल्पना है, गांवों में रहने वालों को सस्ता न्याय दिलाने की जो उनकी कल्पना है, वे कहते हैं कि उनको गरीबों के प्रति बड़ी हमदर्दी है। लेकिन आज गांव का ग्रामीण न्याय प्राप्त करने जाता है तो उसको समय पर न्याय नहीं मिलता। आज का न्याय इतना लम्बा और महंगा हो गया है कि वह गरीब की प्राप्ति से बहुत दूर है वैसी हालत में आपका समाजवाद का रूप क्या है? एक तरफ जब गांवों में स्कूल खोलने का सवाल आता है तो गांव वालों से उसके लिये पैसा मांगा जाता है, शहरों में स्कूल खोलने के लिये उनसे पैसा नहीं लिया जाता आखिर गांवों के साथ जो आपका इस प्रकार का व्यवहार है वह कौन सा समाजवाद है मेरी समझ में नहीं आता।

सभापति महोदय, गांवों में औषधालयों के खोलने का सवाल आता है तो गांव वालों से कहा जाता है कि पैसा दो। शहर वालों से पैसा नहीं मांगा जाता। मैं आपसे निवेदन करूं राजस्थान ज्यादा गांवों में बसता है लेकिन आज की सरकार गांवों के प्रति जागरूक नहीं है, हमदर्द नहीं है। आज जो सरकार में हैं वे केवल अपने स्वार्थ के लिये सोचते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में तैयार रहते हैं। इस कारण सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग इन्हें आंखें दिखा सकते हैं, डरा सकते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत ताकत देखते हैं, उनके कहे अनुसार यह सरकार चलती है लेकिन जो गरीब हैं, कमजोर हैं, सौदेबाजी नहीं करते हैं दुर्भाग्य है कि उनकी इनके यहां कोई कदर नहीं होती; आज की न्याय प्रणाली को देख लीजियेगा। बीस साल हो गये आजादी प्राप्त किये हुए आज तक सस्ता न्याय नहीं सुलभ कर सके। आज भी महंगा न्याय मिलता है, लम्बा न्याय मिलता उसके सस्ते एवं शीघ्र सुलभ कराने के संबंध में भी कोई उल्लेख इस राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। गांव का आदमी न्याय पाने के लिये जाता है वह कितनी मुश्किल से रोजी रोटी कमाता है उस के लिये भी न्याय की व्यवस्था सरकार नहीं कर पायी है। तो आप ही सोचिये यह सरकार किस प्रकार से ग्रामीण लोगों का भला सोचती है।

बातें बहुत की जाती हैं कि सहकारिता द्वारा हम समाजवाद लाना चाहते हैं। सहकारिता का मुझे 6 वर्षों का अनुभव है। मैं अर्ज कर दूं जिस रूप में आप सहकारिता को पनपाने की

(श्री जसराज)

कोशिश कर रहे हैं वह पनप नहीं पायगी। सहकारिता एक जन आन्दोलन है पर आपने इसे जन आन्दोलन के रूप में पनपाने का प्रयास नहीं किया। सन् 1965 के अधिनियम देखें तो यह जन आन्दोलन का केवल जनाजा मात्र नजर आयगा। आपने इस में सारे अधिकार रजिस्ट्रार और आफिशियल्स को दिये हुए हैं। आपने जो इस प्रकार से सहकारिता को बढ़ाने का प्रयास किया है वह निरर्थक है। आपका यह प्रयास बनिये का सा है जिस प्रकार से एक बनिया यह सोचता है कि हमें तो अपने पैसे को बांटना है और उससे ब्याज कमाना है। आपने भी सहकारिता में इसी रुख को अपनाया है। आपने कभी यह प्रयास नहीं किया कि आप जो कर्जा दे रहे हैं उसका सही उपयोग भी हो रहा है या नहीं। गांधी जी के शब्दों में उन्होंने सहकारी अफसरों को सम्बोधित करते हुए कहा "मैं उस बनिये को माफ कर सकता हूं लेकिन सहकारी अफसर को नहीं कर सकता जो सहकारी समितियों के एक एक पैसे का हिसाब बराबर न रखता हो"

सभापति महोदय, मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि सहकारिता बनिये का दूसरा रूप है। जहां ऋण वसूली का सवाल आता है उसके लिये अभियान करते हैं पर ऋण का सही उपयोग हुआ है या नहीं इसका अभियान नहीं चलाते हैं अगर किसी गरीब में ऋण का पैसा बाकी है तो उसके खिलाफ कुड़की लाते हैं और उसको हर कीमत पर वसूल करने की चेष्टा करते हैं पर अमीरों और बड़े 2 व्यापारियों पर बड़े 2 ऋण की वसूली पर ढील दे देते हैं। आप किसान को फायदा पहुंचाने की बात करते हैं लेकिन यदि किसी किसान पर सौ रुपये की कुर्की आ जाय तो उसकी सारी सम्पत्ति नीलाम करवाकर उसको वसूल कर लेते हैं। आज जितनी सहकारी समितियां हैं उनकी संख्या तो आप बढ़ाने की बातें करते हैं लेकिन उनमें सही तौर पर ऋण की व्यवस्था होनी चाहिये इस ओर नहीं सोचते। आज की व्यवस्था बतलाती है कि सरकार सहकारिता के प्रति कितनी उदासीन रही है। सहकारिता से आप समाजवाद लाना चाहते हैं लेकिन उस सहकारी समाजवाद की व्याख्या आप नहीं करते। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ दिनों पहले इसके बारे में इन्दिराजी ने भी कहा था कि इस समाजवाद की कोई परिभाषा नहीं। इस बारे में गन्तव्य स्थान देना नहीं चाहते यह आपने आज के समाजवाद की रूपरेखा बना रखी है। इसके साथ साथ में यह भी कह दूं कि आप हरिजनों के उत्थान करने का दावा करते हैं। आज यह एक ऐसा वर्ग है जो गरीब है, लेकिन आज जिनके बल पर यह मिनिस्टरी बनी हुई है उसमें आज हरिजनों का कोई प्रतिनिधि नहीं। पिछली दफा भी जब सुखाडियाजी ने मिनिस्ट्री बनायी थी तो तीन साल तक केवल एक डिप्टी मिनिस्टर ही रखा उसके बाद मिनिस्टर लिया गया..

एक माननीय सदस्य: क्या आपको अमृतलाल जी पर भरोसा नहीं है।

श्री जसराज: यह बात किसी से छिपी नहीं है। मैं इतना जरूर अर्ज कर देना चाहता हूं यह आपकी भावना बतलाती है कि आप किस तरह से इन हरिजन मेम्बरों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करते हैं। अगर आप में हरिजनों के प्रति सहानुभूति है, इनको आप ऊपर उठाना चाहते हैं तो आपकी

(श्री जसराज)

भावना का कल पता चल जायगा, मैं इसी जाति का सदस्य हूं और मैं उपाध्यक्ष के पद के लिये खड़ा हुआ हूं आप यदि हरिजनों का उत्थान चाहते हैं तो मुझे उपाध्यक्ष पद के लिये विजयी बनाइये ......

श्री मथुरादास माथुर : हम तो शिड्यूल्ड कास्ट वालों को बड़ा ओहदा देना चाहते हैं उसके सामने डिप्टी स्पीकर कुछ नहीं है।

श्री लादूराम सुलाणिया : आपके पास आये हैं उनमें से कितनों को बनाया है।

श्री मथुरादासमाथुर : उनको तो बनायेंगे।

श्री जसराज : आपने तो एक मखौल बना रखी है। उनको एक खरीदने की वस्तु समझ रखा है। मेरे साथ जिस प्रकार का वाकया हुआ उसको मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। मेरे पास एक प्रधानजी आते हैं, मुझे खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा आखिर हमारा भी स्वाभिमान है। आप हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं ? हम समानाधिकार चाहते हैं। मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं अगर आप हमारे स्वाभिमान को बनाये रखना चाहते हैं, आपको अगर हमारे प्रति सहानुभूति है, आप हमारा उत्थान करना चाहते हैं, तो आप कृपा करके शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को खरीदने की चेष्टा मत करिये, उन पर इस तरह से डाका डालने का प्रयास मत कीजिये।

इसके साथ ही साथ आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि न्याय और कानून की दूसरी कसौटी का तो मैंने बयान किया और अब तीसरी कसौटी है रोजी, रोटी, कपड़े एवं मकान की। यह ऐसा मसला है कि जो सरकार को निश्चित रूप से हल करना चाहिए। आज 20 साल के बाद भी यह सरकार रोजी, रोटी और कपड़ा नहीं दे सके तो यह कैसी सरकार है आप स्वयं ही समझ लें। आप छप्पनियां अकाल की बात तो छोड़ दें, छिनवे के अकाल को ही याद कीजिये जब कि 10 सेर के गेहूं मिलते थे, 10 सेर का गुड़, 8 सेर के चावल, 1॥ सेर का घी मिलता था और उस समय पता नहीं कितना कितना सस्ता अनाज था और दूसरी चीजें थीं लेकिन आज 20 साल के बाद गेहूं किस भाव मिलता है, किस भाव घी मिलता है, तथा अन्य चीजों का क्या भाव है। आज अकाल नहीं महा अकाल है। क्या यह आपकी असफलता का द्योतक नहीं है ? यह सारा का सारा आपकी असफलता का द्योतक है। यह आंकड़े दिखाकर आप सबूत देना चाहते हैं कि हमने सफलता प्राप्त की है। सोचिये आप गंभीरता से इसको कि आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं। मैं अपने हित की बात नहीं कहता, बल्कि आपके ही हित की बात कहता हूं कि एक जलजला उठ चुका है, क्षितिज के उस पार बड़ा भयंकर तूफान आ रहा है अगर आप इस जलजले और तूफान से जनतंत्र को बचाना चाहते हैं तो मानवता के इन दृष्टिकोणों को सोचिये नहीं तो देश विनाश की ओर जायेगा। इस देश के अन्दर जनतंत्र समाप्त होगा इसमें दो राय नहीं है। एक खूनी क्रान्ति आने को है। यदि देश व जनतन्त्र को बचाना है तो मैं निवेदन कर दूं कि आप जरा इस आडम्बरमात्र को छोड़ें और जनता की बातको सोचें.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में ही निवेदन करना चाहूंगा।

Page No.55

(श्री जसराज)

आपने रोजी के लिए कहा, आपने शिक्षा के लिए कहा। मैं आपको अर्ज कर दूं कि हमारा भी एक आजाद देश है और एक जापान भी आजाद देश है। वहां पर एक पाचवीं क्लास का बच्चा थर्मस बनाता है, छठी कक्षा का बच्चा थरमस बनाता है और 8वीं क्लास का बच्चा रेडियो बनाता है और हमारे यह बच्चे क्या बनाते हैं कागज के फूल बनाते हैं या मिट्टी के केवल कुछ ढेले बनाते हैं। इसी आधार पर आप राष्ट्र का औद्योगिक निर्माण करना चाहते हैं। क्या इसी आधार पर हम देश का उत्थान कर सकेंगे। इस राज्यपाल महोदय के भाषण में कहीं भी इस प्रकार का प्रावधान नहीं है कि हम शिक्षा में किस प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं। देश का हम कैसे निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे सुझाव क्या हैं इसका कहीं वाक्य नहीं है। अतः मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि आपने देश का विभाजन किया, देश को ज्यादा गरीब बनाया, भुखमरी ज्यादा फैलाई, बेरोजगारी ज्यादा फैलाई, अशांति ज्यादा फैलाई, अव्यवस्था ज्यादा फैलाई और इस दृष्टिकोण से मैं उचित नहीं समझता कि जो राज्यपाल महोदय ने भाषण दिया उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री लक्ष्मण (डग) : माननीय सभापति महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय का भाषण सुना और पढ़ा लेकिन प्रत्येक बात चाहे कितने ही बड़े बड़े सिद्धान्तों से लिखी गयी हो और बड़े बड़े ग्रन्थ भी उसके बने हुए हैं। लेकिन उसमें सफलता नहीं मिले तो वह सब झूठा है। ऐसी बातें मुझे इस अभिभाषण में लगी हैं। उन्होने कुछ आंकड़े बताये हैं अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जन-जाति के लिए। इनके कुछ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी हैं। कुछ रुपयों के आंकड़े बताये और उससे गरीब जनता को बहकाते रहे कि हम लोगों ने बहुत सा काम किया है, हम लोगों ने तुम्हारे उत्थान के लिए बहुत काम किया है और मैं समझता हूं कि जितनी भी बातें इन्होंने कहीं उसका हरजाना तो बहुत ज्यादा चुका लिया ......

विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्य: (श्री रघुनाथ विश्नोई के खड़े होने पर) : बैठ जाओ, बैठ जाओ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : परेशान हो रहे हैं सब एक साथ।

श्री लक्ष्मण : सभापति महोदय, उससे भी अधिक इसका उदाहरण मैं स्वयं आपको अपना देना चाहता हूं। मेरे साथ घटी हुई घटनायें इस बात का प्रमाण हैं कि इस राजस्थान सरकार में इन कांग्रेस दरिन्दों ने क्या क्या हथकन्डे नहीं अपनाये हैं। शर्म की बात तो यह है कि बड़े बड़े अधिकारी भी सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहे। इससे और अधिक मैं क्या कहूं कि आपके सामने मेरा स्वयं का केस है। और मेरे स्वयं के नहीं बल्कि मेरे परिवार के व्यक्तियों को भी अनेक प्रलोभन देकर उनको डराया और धमकाया और मेरा नाम लेकर यह कहा गया कि अगर उसको हमारे साथ शामिल नहीं किया तो तुम्हारे परिवार के साथ ही नहीं बल्कि उसके साथ भी कुछ घटना घट जायेगी । मुझे बारबार बहुत शर्म आती है कि इन लोगों ने वास्तविकता तो यह थी कि लोकतंत्र में विरोधी दल बहुमत में जीतकर आया था और उसको उसके अधिकारों से वंचित रखा गया लेकिन फिर भी सरकार ने पक्षपात किया

(श्री लक्ष्मण)

और इतना किया कि इन दिनों में सरकारी अधिकारियों ने विशेषकर हमारे यहां के एस. डी. एम. महोदय श्री रूपराम व्यास का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जिस समय में हमारे महाराजा साहब श्री हरिश्चन्द्र का निधन हुआ मैं वहीं था और इन्होंने मेरे परिवार के लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित किया और अधिक क्या कहूं कि वहां पर हमारी कांग्रेसी सरकार के वरिष्ठ नेता श्री हरिदेवजी जोशी भी उपस्थित थे। उन्होंने मुझे इस बात के लिए निमंत्रित किया कि देखिये झालावाड़ का नेतृत्व डांवाडोल हो गया है और इस समय यदि तुम कुछ करना चाहते हो और तुम्हारी इस गरीबी के लिए और गरीब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिये कुछ काम करना चाहते हो तो इस कांग्रेस में सम्मिलित हो जाओ। मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैंने उनको कहा कि अभी तो हमारे महाराजा साहब के निधन से सारी जनता आंसू बहा रही है, शोक में डूबी हुई है और तुम लोगों को अपनी गद्दी की फिक्र पड़ी हुई है। अभी बहुत सी बातें हैं जिनका निपटारा हमको करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे ही झालावाड़ में रहने वाले एक श्रीमान रामगोपाल जी हैं जो कि मुख्य मंत्री के पी. ए. हैं। उन्होंने झालावाड़ का होने के नाते मुझसे सम्पर्क स्थापित करना चाहा और किया ही नहीं बल्कि मेरे परिवार के ऊपर अधिकांशतया जोर देकर कहा कि इनको कुछ राजी कर लो तो कुछ बात बन जायगी। अफसोस है कि उनकी बात तो नहीं बनी लेकिन उनकी यह बात बेकार गयी। बहुत सी ऐसी बातें हैं। यहां पर जनता के पास सीधे सच्चे समाचार मिलने के लिए एक व्यवस्था है जिससे जनता से कोई बात छिपी नहीं रहती। तो समाचार पत्रों के द्वारा जनता समाचारों को पढ़ती है और सात्विक परम्परा निभाना एक बहुत बड़ी महत्व की बात है लेकिन दुःख तो इस बात का है कि मेरे ही घनिष्ट मित्र श्री अश्विनी-कुमार राही जो मेरे मित्र भी रहे हैं उन्होंने अपनी पत्रकारिता की आड़ में बहुत कुछ षड्यंत्र करना चाहा और यह कह कर कि आज समाज विकास की ओर बढ़ रहा है। नाम विकास का लेकर के अपनी हीन प्रवृत्तियों को उसमें समावेश करते हुए मुझसे अनुचित कार्यवाही करवाने की उन्होंने बात की लेकिन वह नहीं जानते थे कि मैं जिस दल से जीतकर आया हूं उसकी योग्यता आज देश का एक एक बच्चा जानता है। उनको खरीदा नहीं जा सकता। यह तो आज से ही नहीं सदियों से यह परम्परा रही है कि बेचारा जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वह अपनी आर्थिक कठिनाईयों से दबा रहा, कुछ उसके सामने समस्यायें रहीं। जीवन क्या है, सामाजिक कर्त्तव्य क्या है यह सब भूल गए और यही कारण है कि वे लोग बेचारे जिन कर्त्तव्यों को लेकर प्रतिनिधि बन कर इस सभा में आये थे उन कर्त्तव्यों से विमुख हो गये और आज सिर झुकाये हुये होंगे कि हमें क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया। मेरा जिन से थोड़ा निकट का सम्पर्क रहा है कुछ समय तक, उनके साथ रहने का कुछ समय तक अवसर मिला है वे हैं श्री रामचरणजी महोदय। वे आज यहां उपस्थित नहीं हैं। लेकिन वे लोक-अप में बैठे थे वहां मैं भी उनसे मिलने के लिए गया था। मैंने उनसे एक ही बात कही कि क्यों भाई, तुमने जो कुछ किया है वह क्या उचित है? मैंने

(श्री लक्ष्मण)

उनसे कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि सारा समाज आज एक विकल्प मांग रहा है और तुमने उस समाज के साथ विश्वासघात किया है। याद रखो कि चन्द चान्दी के टुकडों को लेकर अपने को सुखी बना सकते हो लेकिन हजारों लाखों लोगों ने अपना मत प्रदान कर जो योग्यता प्रदान की है, तुमने उन सब को ठुकरा दिया।

(विपक्ष की ओर से हियर–हियर की आवाजें)

एक समय ऐसा भी आयेगा जब तुम लोगों को ठुकरा दिया जायगा, जैसे आज सारे देश में कांग्रेस की हालत है।

बन्धुओं, क्षमा कीजिये, सभापति महोदय, मैंने इस संदर्भ में एक स्टेटमेंट के रूप में राज्यपाल महोदय को भी दिया था। उन्होंने क्या कदम उठाया है, इसकी मुझे कोई विशेष सूचना नहीं आई है। कदम उठायेंगे भी या नहीं, यह भी मैं नहीं कह सकता क्योंकि अब तक जो रवैया इस सरकार का रहा है वह अजीबो गरीब रहा है।

माननीय सभापति महोदय, सदस्यों के सामने में वही प्रतिलिपि जो मैंने राज्यपाल महोदय को दी है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(पत्र विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

माननीय महोदय, जब कभी हम लोग अपने उत्थान की बात करते हैं, अगर कोई कपडा फटा हुआ है तो उसको बदलते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं जिससे वह अच्छा दिखलाई दे, अगर मकान का कोई टूटा हुआ भाग जिसकी दीवारें गिरी हुई हैं उस मकान की सुन्दरता बढाने के लिये उस भाग को सुधारते हैं। आज समाज में भी इसी प्रकार की स्थिति है। समाज को गिरी हुई हालत को सुधारने के लिए और समाज के वातावरण को सुन्दर बनाने के लिए इन निम्न वर्ग के व्यक्तियों को ऊंचा उठाया जाता है, लेकिन आज तक इन व्यक्तियों को कितना ऊंचा उठाया गया है, यह बात तो हम सारे लोग जानते हैं। लेकिन उनका उपयोग करने में कोई कसर नहीं रखी। यह सारा इतिहास राजस्थान में हुए परिवर्तन का साक्षी है। कोई कारण नहीं था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन जाती। लेकिन दुख है कि हमारे बेचारे प्रतिनिधियों ने, जो गरीब हैं और शायद वह अपने कर्त्तव्यों को भली-भांति नहीं जानते हैं, इसलिए उन लोगों ने स्वार्थ के आधार पर कुछ परिवर्तन स्वीकार कर लिए हैं। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि जिस ओर से वे चुनकर आये हैं, उनको नेतृत्व का उत्तरदायित्व निभाना है और वह उनको निभाना ही चाहिए, उस क्षेत्र की जनता उनका स्वागत करना चाहती है, क्योंकि उनसे बहुत कुछ अपेक्षाएं उस क्षेत्र की जनता को हैं। उनको बहुत कुछ काम करना है। लेकिन अब क्या वे जनता के सामने जा सकेंगे और जनता को अपना नेतृत्व दे सकेंगे ?

माननीय सभापति महोदय, अधिक इस संदर्भ में नहीं जाते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सब धोखेबाजी है, यह राजनैतिक षडयन्त्र है, गरीबों की हंसी उडाई जा रही है, लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। बडे बडे प्रलोभन दिए जा रहे हैं और लोगों को

(श्री लक्ष्मण)

बहकाया जा रहा है। मैं सभापति महोदय, मांग करना चाहता हूं कि इन गरीबों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए

(विपक्ष की ओर से हियर–हियर)

ताकि जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके और जो अन्याय इनके साथ हुआ है उसके परिणाम भी ये लोग भुगत सकें।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री भैरोंसिंह : On a point of privilege, Sir सभापति महोदय डग निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी अपना भाषण दिया और उसके साथ ही उनके द्वारा राज्यपाल महोदय को जो पत्र प्रेषित किया गया है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत की गई है। उनके भाषण को और उस प्रतिलिपि को पढ़ने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि विधान सभा के एक विधायक को उसका मत परिवर्तन करने के लिये सरकारी पक्ष की ओर से डराया गया, धमकाया गया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया और उनको मकान में बन्द रखा गया। यह आप भी उचित समझते होंगे कि इस विधान सभा के विधायक जो कि एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, वह अपने निर्वाचन क्षेत्र को ही नहीं बल्कि समूचे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि उनके परिवार के लोगों को और विशेष कर वह व्यक्ति जो राज्य सेवा में है उनको दबाया जाकर यदि किसी व्यक्ति के लिये कहा जाय कि या तो वह अमुक पार्टी का सदस्य बने और यदि सदस्य नहीं बनता है तो राजकीय सेवा से पृथक किया जाएगा और इसी तरह से अन्य प्रकार के भय उनको दिखाए जांय तो यह आप भी समझते होंगे कि यदि सरकार की तरफ से इस प्रकार के भय और आतंक यदि सदस्यों के सामने रखे जाते हैं तो उसके परिणाम क्या निकलते हैं। आज सरकारी पक्ष के साथ पुलिस है और पुलिस होने के कारण यह भी यदि मैं कहूं तो अतिश्योक्ति नहीं होगी कि उनके साथ अन्य अनसोशल ऐलीमेन्ट की जमात भी है और जब इन दोनों का कोम्बीनेशन हो जाय तो किसी भी आदमी के साथ कितने घातक परिणाम हो सकते हैं यह उसका ज्वलन्त उदाहरण है। राजस्थान के मुख्य मंत्री बराबर कहते गये हैं कि हमारी तरफ जो मेम्बर आए हैं वे स्वयं अपनी मर्जी से आये हैं। मैं अभी उन मेम्बरों का उल्लेख नहीं करूंगा। यदि वे इजाजत देंगे तो उनके घर वालों के पत्र और उनकी फोटो स्टेट कोपीज और उनके स्वयं के पत्र जो उनको किस प्रकार की यातनाएं भुगतनी पड़ी हैं और उन यातनाओं को भुगतने के बाद कैसे उन्होंने अपना मत परिवर्तन किया है यह तो समय आने पर मैं फिर यहां प्रस्तुत करूंगा, लेकिन आज जो प्रत्यक्ष चीज सामने आई है वह कुछ विशेषाधिकार है इस सदन के विधायक होने के नाते अपना स्वतंत्र मत प्रगट करने के और किस दल के वे सदस्य रहें और किस के नहीं हमें आजादी

(श्री भैरोंसिंह)

के साथ आचरण करने का अधिकार है, लेकिन सरकार ने सत्ता का कितना दुरुपयोग करके एक माननीय सदस्य की आजादी पर आघात किया है उनके विशेषाधिकारों का हनन किया है और विशेषाधिकारों का हनन होने के नाते इस चेयर से हम प्रोटेक्शन सीक करते हैं। यह चेयर एक कस्टोडियन के रूप में है और कस्टोडियन होने के नाते इस चेयर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह हमारे विशेषाधिकारों को संरक्षण प्रदान करें। इस समय प्रसंग में सरकार ने और सरकार के कुछ अधिकारियों ने हमारे विशेषाधिकारों का हनन किया है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस प्रश्न को आपकी आज्ञा से मैं लिखित रूप में कुछ ही समय के बाद प्रस्तुत करूंगा। इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए ताकि असलियत सामने आ सके, जो अधिकारी किसी पक्ष के साथ भाग लेकर राजनैतिक काम करें, राजनीति में भाग लेकर यह कोशिश करें कि पार्टी पावर में आये और यह न आवे और किसी पार्टी विशेष के लिए अपने अधिकारों का, अपने प्रभाव का उपयोग करके, राजनैतिक प्रलोभन देकर यदि लोगों के ईमान को खरीदने की कोशिश करते हैं, लोगों की गरीबी पर डाका डालने की कोशिश करते हैं तो इससे बढ कर प्रजातंत्र के लिए और कोई खतरनाक बात नहीं हो सकती। दल विशेष की सरकारें हो सकती है लेकिन राजनीति में सरकारी सेवायें सामने नहीं आती।

एक दल का राज्य हटता है और दूसरे दल का आता है। सर्विस अक्षुण्ण बनी रहती है, उसकी निष्पक्षता अक्षुण्ण बनी रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था को कुछ सरकारी अधिकारियों ने भंग किया है उनको दण्ड मिले और असलियत का पता लगायें। इसलिए श्री लक्ष्मण जो निर्वाचन क्षेत्र डग से आये हैं उन्होंने जिस प्रकार की स्थिति आपके सामने रखी है उस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाय ताकि सरकार और सरकारी अधिकारी अपनी सत्ता और बल का अनुचित तरीकों से उपयोग करके विधायकों की स्वतन्त्रता का भविष्य में किसी प्रकार से कोई हनन नहीं कर सकें।

श्री सभापति: आप लिखित में दे दें और प्राइमाफेसी कोई केस बनेगा तो जरूर भेज दिया जायगा।

श्री गिरधारीलाल !

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के ....

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ): श्रीमान, मेरा एक निवेदन है कि एक भी सदस्य अभी तक हमारी पार्टी का बोला नहीं है ...

श्री सभापति: इनके बाद आपका समय है।

श्री पी. के चौधरी (फुलेरा): On a point of information, Sir इस सदन में क्या अलग पार्टीज हैं और संयुक्त दल नाम की कोई चिड़िया नहीं है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री रामकिशन: यह चिड़ियाओं के बैठने की जगह नहीं है। दल है।

श्री पी. के. चौधरी: सदन में संयुक्त दल के नाम की कोई चीज है कि नहीं ?

श्री मदनसिंह: अगर नहीं है तो कांग्रेस की भी नहीं है क्योंकि हमारे कई सदस्य बैठे हुए हैं उधर।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो सबसे अहमियत का जिक्र किया है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

राजस्थान में जब से यह प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपनाई गई है और जिस समय से यह प्रजातान्त्रिक प्रणाली की सरकार चल रही है उसने गांवों में रहने वाले काश्तकारों के हितों को ध्यान में रखकर जिस प्रकार की व्यवस्था अपनाई है उसे देखकर आपको यह को महसूस होगा कि सरकार ने इन बिचौलियों को खत्म किया और जिस प्रकार की जमींदारी और जागीरदारी प्रथाएं यहां पर प्रचलित थीं उनको समाप्त किया और उसके बाद किस प्रकार से भूमिहीन काश्तकारों को जमीनें दीं और उनको जमीन का स्वामित्व देने के लिए जो कानून-कायदे बनाए और काश्तकारों को जिस प्रकार से जमीनों का मालिक बनाया उसके साथ-साथ जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अलाभकारी जोत का लगान हटाने का निर्णय लिया है वह एक क्रान्तिकारी कदम है। एक माननीय सदस्य ने कल या परसों इस बारे में जिक्र किया था कि हमारी पोलिटिकल पार्टीज ने इसके सम्बन्ध में जो इलेक्शन का घोषणा-पत्र था उसमें जिक्र किया। मगर मैं माननीय सदस्यों की जानकारी में लाना चाहता हूं कि यह कदम जो राजस्थान सरकार ने आज उठाया है इसके सम्बन्ध में कांग्रेस पार्टी में काफी पहले से चर्चा चल रही थी और कांग्रेस पार्टी ने जो इसके बारे में यह निर्णय लिया था कि जितनी जमीन अलाभकारी है, जिससे किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता है वैसी जमीनों का लगान माफ कर दिया जाए, और उसके निर्णय की घोषणा जो राज्यपाल महोदय ने की है वह वाकई में काबिले तारीफ है। इससे लाखों इंसानों को फायदा मिलेगा। जिन लोगों ने इस प्रकार की जमीनें जोती हैं जिससे कि लाभ प्राप्त नहीं होता है, परिवार के सारे सदस्य मिलकर खेती करते हैं तो भी लाभ नहीं मिलता है न मेहनत और मजदूरी ही पूरी पड़ती है, ऐसे लोगों को इस प्रकार से लगान माफ करने से काफी राहत मिलेगी।

साथ ही कुछ माननीय सदस्यों ने इसके बारे में यह जिक्र किया कि अलाभकारी जोत जो माना जायगा वह कितने एकड़ का माना जायगा, किस प्रकार से माना जायगा इसके सम्बन्ध में खास तौर से स्पष्टीकरण नहीं किया है। राजस्थान में अलग अलग तरीके की जमीनें हैं। अलवर, भरतपुर, उदयपुर, जहां पर छोटी छोटी जोतें हैं वहां पर 7-8 एकड़ अलाभकारी जोत मानी जाती है तो काफी लोगों को उससे राहत मिलेगी। उसके बाद में जैसलमेर, जोधपुर, तथा बीकानेर जिलों में इस प्रकार हिस्सा है कि जिनमें बड़ी बड़ी जमीनों के बावजूद वे लाभकारी सिद्ध नहीं होती हैं। उसके लिए जैसा कि सीलिंग के लिए तय किया गया था कि सीलिंग बीकानेर के लिए कितनी रहेगी और जोधपुर के लिए कितने एकड़ रहेगी, और डूंगरपुर के लिए इतने एकड़ रहेगी और उदयपुर के लिए इतने एकड़ रहेगी, तो इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जायगी तो राजस्थान के ऐसे काश्तकारों को लाभ मिलेगा जिनके पास अलाभकारी जोत है।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

राज्यपाल महोदय ने दूसरे फायदे देने के लिए जिक्र किया जिसका प्रभाव आपने चुनावों के अन्दर देखा । आपको मालूम होगा कि हमारे देश में बडे बडे धन्ना सेठ हैं वे बहुत थोडे हैं जिनको कि अंगुलियों पर गिन सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे काश्तकारों के तरीके के महाजन हैं जो कि गांवों के अन्दर रहते हैं वे बिना पढे-लिखे लोग हैं और न अपना व्यापार ठीक तरीके से करते हैं, ऐसे लोगों द्वारा बराबर सेल्स टैक्स और दूसरे जो टैक्से व दिए जाते हैं उनके अन्दर काफी विवरण देना पडता है और इन्सपेक्टोरेट इस प्रकार के कायम कर रखे हैं जो रात-दिन उनका शोषण करते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था का उन्होंने जिक्र किया है । इस प्रकार के इन्सपैक्टोरेट्स को मिटाकर वसूलियात के विवरण देने में हर प्रकार की सहूलियत दी जायगी ताकि उनको इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पडे यह बात स्वागत योग्य है । यह जो सुझाव उन्होंने अपने अभिभाषण में दिया है उससे जो काफी लोग दुखी थे उनको राहत मिलेगी।

तीसरे, अपने अभिभाषण में जिस प्रकार की बात रखी है, एक पालिसी मैटर जो रखा है लाइसेन्स, परमिट और दूसरी चीजें जो सरकार की तरफ से दी जाती थीं और उसके लिए खास तौर से विरोधी दल के माननीय नेता लाइसेन्स, परमिट की सरकार कहकर जिस प्रकार की व्याख्या देते थे उस चीज को मिटाकर एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है, वह बहुत स्वागत के योग्य है । जहां एक आदमी के पास आथोरिटी होती है जैसे कि पहले ट्रान्सपोर्ट की आथोरिटी थी तो आप स्वयं जानते हैं कि कई इस प्रकार के अफसर उसमें घुस जाते हैं और बडे भारी गडबड और घोटाले उनके द्वारा किये जाते हैं और जिसकी वजह से राज्य सरकार को बदनामी उठानी पडती है । तो यह बहुत स्वागत योग्य बात है जो प्रस्ताव इस अभिभाषण के अन्दर रखा है । उससे राज्य सरकार को जिस प्रकार की बातें आज सुननी पडती हैं–इस प्रकार के गडबड घोटाले की वह नहीं सुननी पडेंगी । गडबड घोटाले करता कौन है और उसका सारे का सारा भार किस पर पडता है । इससे उसमें काफी रुकावट आयेगी, और स्तर निम्न तरीके पर गिरा हुआ है उसमें सुधार होगा ।

मैंने विरोधी दल के माननीय नेता का भाषण परसों के रोज सुना था, और उस भाषण में जिस प्रकार की बातों का उन्होंने ब्यौरा दिया, खास तौर से फेमीन वर्क्स के बारे में तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव जीतने के लिए फेमीन वर्क्स शुरू किए । मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि 63-64 से बराबर 4-5 साल से राजस्थान के अन्दर कई इलाकों में अकाल की स्थिति बनी हुई है । उस स्थिति को मिटाने के लिए राजस्थान सरकार ने बराबर प्रयास किया है और तीन साल से बराबर 3-4 करोड रुपया बराबर फेमीन पर लोगों को राहत देने के लिए व्यवस्थित तरीके से खर्च किया है, और यह एक गौरव की बात है कि राजस्थान सरकार ने इस अहमियत को देखते हुए कि गरीब लोग बेरोजगार न हो जायं, उनके बाल-बच्चे भूखे न मर जायं इस प्रकार की व्यवस्था की कि जिससे हर इंसान को काम मिल सके और जो बेरोजगार थे जिनकी खेती-बाडी में कुछ पैदा नहीं हुआ

Page No.62

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

उन लोगों को काम मिला जिससे कि जीवन निर्वाह कर सकें। माननीय गोकुलप्रसादजी ने कहा कि इस प्रकार की स्थिति नहीं थी पहले। राजस्थान में हजारों वर्षों से अकाल पड़ते रहे हैं, राजस्थान में ऐसे क्षेत्र हैं जहां 2-3 सालों में बरसात की कमी रहती है और 5-7 साल के बाद इस प्रकार का समय आता है जिसमें कि बार बार अकाल पडता रहता है। उन दिनों जनता का इस प्रकार से खयाल नहीं रखकर उनका शोषण होता था। उनकी जमीन बिकती थी, उनके जानवर बिकते थे यहां तक कि उनके बाल-बच्चे भी रहन रख दिए जाते थे। इस प्रकार की व्यवस्था लागू थी जो किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। इन्हीं बातों को सोचकर राजस्थान सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की और इस व्यवस्था के जरिए हर आदमी को जो काम में आना चाहता था उस आदमी को रोजगार मिला। इसके लिए मैं यह कहूंगा कि राजस्थान सरकार धन्यवाद की पात्र है।

हमारे विरोधी दल के जो माननीय नेता हैं वह फेमिन कन्डीशन्स को नहीं जानते हैं। इस राजस्थान की जो फेमिन कन्डीशन्स हैं राजस्थान के लोगों की आज जो हालत है इन पिछले चार पांच सालों में जिस प्रकार की वर्षा होनी चाहिए उसमें कमी होने के कारण, जहां बारिस हुई है वह तो कम हुई ही है, साथ ही साथ वाटर लेवल भी कम हो गया है। जहां पर हम कहते हैं कि पैदावार अच्छी हुई है वहां पर भी कुओं में पानी नहीं रहा है और लोगों को जितनी पैदावार करनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई है, ऐसे लोगों को भी मेरी राय में राहत मिलनी चाहिए। उन लोगों को सरकार द्वारा राहत न दी जाकर जहां सरकार द्वारा फेमिन डिक्लेअर किया गया है, वह फेमिन कोड के तहत किया गया है। यह फेमिन कोड अंग्रेजों के वक्त का बना हुआ है और इसके मुताबिक एक आदमी को एक दिन का 1 रुपया 2 आना मिलता है और एक औरत को चौदह आने मिलते हैं। आज स्थिति यह है कि एक आदमी को पेट भरने के लिए कम से कम दो रुपए मिलने चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था को देखते हुए मैं सोचता हूं कि एक रुपये दो आने में एक आदमी और चौदह आने के अन्दर एक औरत किस प्रकार अपना पेट पाल सकती है। इतना पैसा एक के लिए ही काफी नहीं है कि जब उनके साथ और बाल बच्चे लगे हुए हैं। हमने इस प्रकार के सुझाव पहले भी दिए हैं कि फेमिन कोड के अन्दर तब्दीली होनी चाहिए, या तो आप टास्क के बेसिस पर काम लीजिए, जो आदमी जितना काम करे उसके हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए या फिर हर आदमी को पेट भरने लायक मिलना चाहिए, पेट का गुजारा करने के लिए आवश्यक रकम के मुताबिक पैसा मिलना चाहिए। तब तो व्यवस्था ठीक बैठ सकती है। मैं राज्य सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह जो पुराना कानून है, फेमिन कोड, इसको आप कब बदलेंगे। हमने राज्य सरकार से बार बार इस सम्बन्ध में निवेदन किया है यह ख्याल करके कि फेमिन कोड में तब्दीलियां लाई जायेंगी तब ही यह कानून प्रजातंत्र में फिट हो सकता है। जब आप लोगों को पूरी तरह से रोजी दे सकते हैं, पूरी तरह से रोटी दे सकते हैं और जब इस प्रकार की व्यवस्था होगी तभी समाजवादी व्यवस्था ठीक प्रकार से बैठ सकेगी। मैं आपको यह निवेदन कर रहा था कि विरोधी

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

दल के माननीय नेता ने यह बात कही, यह झूठा फेमिन डिक्लेअर किया गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने डूंगरपुर और बांसवाडा का जिक्र भी किया कि डूंगरपुर में एक करोड और कुछ रुपया खर्च किया गया हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पैरवी भी की कि मैं सदन के नेता से यह आश्वासन चाहता हूँ कि मेरे यहां फेमिन का काम बराबर चलता रहेगा। इस तरह दुशाले में लपेट कर वह इस बात का आश्वासन चाहते थे। उनकी यह बात सुन कर मुझे बडा ताज्जुब हुआ। एक तरफ तो वह फेमिन के विरोध में हैं किन्तु दूसरी तरफ वह यह कहते हैं कि मेरे यहां पर फेमिन वर्क चालू रहने चाहिए ताकि लोगों को काम मिले और वह अपना पेट भर सकें। इस प्रकार जो क्रोकोडाइल

(2 55 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

टीअर्स बहाये जाते हैं उनसे तो हमको कम से कम सावधान रहना चाहिए। उनके सोचने विचारने में और हमारे सोचने और विचारने में किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं हैं। वह इस दृष्टिकोण से नहीं सोचते हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि जिस प्रकार की हालत राजस्थान में हुई है उनका असर उन पर गहरा पडा है इसलिए ही जिस प्रकार की सोचने की शक्ति उनमें होनी चाहिए, वह उनम नहीं रही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार की हमारे इस राजस्थान के अन्दर फेमिन सम्बन्ध के में जो व्यवस्थायें हुई हैं, और जिसके बारे में इस सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं तो कम से कम उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि फेमिन हमेशा से भगवान की नाराजगी के कारण होते हैं और इसी वजह से लोगों का ज्यादा से ज्यादा शोषण होता है। यदि ऐसे शोषित लोगों की मदद राज्य सरकार करती है तो इसमें वह कोई गुनाह नहीं करती है बल्कि यह तो तारीफ के काबिल काम हैं।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का वातावरण यहां पर चुनाव को लेकर बनाया गया और चुनाव के बारे में किस प्रकार की इस सदन में बातें कही गई कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लोगों को सेठों ने मदद दी और स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ और दूसरे जितने संघ हैं उनके लोग अपनी ताकत के बल पर यहां आकर बैठ गये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव का जितना दुरुपयोग इस बार विरोधी दल के लोगों ने किया है उतना शायद कभी कहीं सुनने को नहीं मिला होगा। इस बार जिस प्रकार की विरोधी ताकतों ने एक साथ मिल कर इस समाजवादी व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया, वैसा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता है। जो लोग लोकतंत्र के हामी होकर कहते थे कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए दल बनाते हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं मैं उनसे आज पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने बिडला, तापडिया और सोमानी और इसी प्रकार के दूसरे बडे बडे पूंजीपतियों का सहारा नहीं लिया? उन्होंने बडे बडे पूंजीपतियों का सहारा लेकर और बडे बडे राजा-महाराजाओं के धन के बल पर इस समाजवादी व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया है और इससें वह बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। मैं तो

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता बहुत अक्लमन्द है और उसने बडी समझदारी से काम लिया है क्योंकि उन्होंने काफी दुःख भुगता है सैकडों साल राजा-महाराजाओं की हुकूमत में और वह जानते हैं कि किस लापरवाही के साथ और किस अमानवीय तरीके के साथ उनके साथ में व्यवहार किया जाता था। रोजी के लिए, रोटी के लिए और जमीन के लिए उनके साथ किस तरह से सलूक किया जाता था। उन सब बातों को वह आज भूले नहीं हैं। और उस युग को बीते हुए भी अभी केवल बीस साल ही हुए हैं इसलिए जनता आपके इन नारों से गुमराह नहीं हो सकती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन पार्टियों ने जिस तरह एक साथ होकर यह प्रयास किया और जिन सेठों और राजा-महाराजाओं की शरण में जाकर प्रयास किया उससे मुझे तो कम से कम शर्म आती है और मैं सोचता हूं कि यह लोग जो अपने आपको समाजवादी कहते हैं, यह तबका जो समाजवाद में विश्वास करता है और गरीब जनता को ऊपर उठाना चाहता है यह लोग ऐसे तबके के साथ कैसे फंस गए जिनके विचारों से इनके विचार बिल्कुल तालमेल नहीं खाते हैं। यह लोग आपस में मिल कर बहुमत अपना बनाने के लिए; अपने आदमियों को ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए अपने सारे सिद्धान्तों को, अपने सारे विचारों को, जिनके माध्यम से इस देश में यह समाजवाद लाना चाहते थे, उन सब बातों को ताक में रख कर राजा-रानियों की गोद में जाकर बैठ गये और सेठों के पैसे से इन लोगों ने चुनाव लडा और इस प्रकार समाजवादी व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों ने जितने प्रयास किए उसमें यह सफल नहीं हो सके और कामयाबी हमें मिली क्योंकि जनता हमें चाहती थी। एक माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस दल के कुल 88 आदमी आए और उसके विपरीत सारा का सारा बहुमत हमें मिला। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में किस प्रकार दीगर पार्टीज के लोग, जो अलग अलग टिकट पर चुन कर आए थे, एक संयुक्त दल में आ गए और किस प्रकार संयुक्त दल ने एक देश व्यापी आन्दोलन चलाया, किन्तु इस देश में इस समाजवादी व्यवस्था को बदलने के लिए जिस प्रकार का आन्दोलन चलाया वह राजा-रानियों और धन्ना सेठों से मिल कर चलाया और इस प्रकार से लोकतांत्रिक और समाजवादी व्यवस्था को कुंए में डालने का प्रयास किया, उसका नमूना जहां संयुक्त दल की सरकार बनी हुई है उनको देखने से मिलेगा कि किस प्रकार अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग विचार-धाराओं के लोग एक साथ बैठ सकते हैं। साम्यवादी स्वतंत्र पार्टी के साथ बैठ सकते हैं। इस प्रकार का जो आदर्श और नमूना हिन्दुस्तान में पेश किया है उसका उदाहरण संसार भर में नहीं मिल सकता है। संसार भर में किसी देश में समाजवादी और राइटिस्ट लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, आज तक एक ने दूसरे को सरकार बनाने में सहयोग नहीं दिया है। ऐसा एक भी उदाहरण आप दीजिए क्या इस प्रकार की व्यवस्था संसार भर में किसी देश में है ? समाजवादी हमेशा समाजवादी रहता है और राइटिस्ट हमेशा राइटिस्ट रहता है। इन दोनों के विचार कभी मेल नहीं खाते हैं लेकिन यह लोग चाहते हैं किसी प्रकार कि ऐसी

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
बात हो जाए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

कि जो व्यवस्था जमी हुई है, और जो स्थायित्व आज है, वह स्थायित्व न रह कर के आस आ जाए। ऐसे लोग जो कि तलवार के बल पर, बन्दूक के बल पर देश में व्यवस्था हाथ में लेना चाहते हैं, उन लोगों के साथ होकर इस प्रकार की व्यवस्था करके, इस प्रकार से आपस में तालमेल बैठा कर इन्होंने प्रयास किया, जिसके लिए मैं तो कम से कम इस बात को नहीं मान सकता कि यह लोग कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक तरह से बना सकते हैं। मैं यह नहीं मान सकता कि इन्होंने ठीक किया है।

राष्ट्रपति शासन के सम्बन्ध में सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रपति शासन की स्थिति पैदा किस प्रकार हो गई कांग्रेस का बहुमत होते हुए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां के कुछ भाईयों ने यह व्यवस्था की थी कि जब सदस्य विधान सभा में जायं तो उनको उठा कर उनको पकड ले जांय और एक तरह का हंगामा यहां पैदा करें। अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते थे तो राज्यपाल महोदय ने किसी को भी सरकार बनाने को बुला लिया, हालांकि उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी का बहुमत था और हमारे नेता ने इस बात को बार बार कहा है कि कांग्रेस का बहुमत था, और है और रहेगा।

(हिअर-हिअर)

इस प्रकार की बात उन्होंने कही, तो अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते थे तो आपके लिए हमारी असेम्बली का यह भवन तैयार था। यहां आकर आप जोर आजमाइश कर सकते थे। इस प्रकार न करके जिस प्रकार के भाषण माणक चौक पर किये गए, जिस प्रकार से लोगों को भडकाया गया और यह कहा गया कि हमारी लाश पर होकर सरकार बनेगी, हम कांग्रेस को कभी नहीं बनने देंगे। यदि सुखाडिया के सिर पर मुकुट रखा जायगा तो हम उसको छीन कर ले आयेंगे। इस प्रकार की भावावेश की बातें कही गई लोगों को गुमराह करने के लिए। जयपुर की जनता तो सदैव से गुमराह होती आई है, उसको और गुमराह करने के लिए जिस तरह के जोशीले और भडकाने वाले भाषण दिए गए, उसका नतीजा यह हुआ कि अव्यवस्था फैली। और उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी संयुक्त दल के नेताओं की है जिन्होंने मिल कर जयपुर

(3 म.प.)

की जनता के खिलाफ षडयंत्र रचा जिससे जयपुर के लोगों को गुमराह किया और इसके लिए जिम्मेदार विरोधी नेता हैं।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करेंगे।

एक माननीय सदस्य : आप इनको बार बार अवसर दे रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं 5 मिनट में समाप्त करता हूं। माइनिंग में राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार की उन्नति की है वह तो ठीक है मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि आज भी मजदूरों का शोषण किया जा रहा है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसके लिए किस प्रकार लेबर डिपार्टमेन्ट निष्क्रिय है, उसने मजदूरों के लिए किसी प्रकार से काम नहीं किया है। मैं भीलवाडा जिले के बारे में माइका माइन्स के बारे में कह रहा हूं। वहां पर 15-20 हजार मजदूर हैं। उनके वेजेज बहुत समय से ड्यू हैं मगर चुकाये नही हैं। आज उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मै राजस्थान

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

के माइनिंग डिपार्टमेन्ट और माइनिंग मिनिस्टर से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने माइनिंग में काम करने वाले मजदूर लोग हैं उनका उसी प्रकार से शोषण किया जा रहा है जिस प्रकार से किसानों का शोषण साहूकार करते थे। किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने मनी लेन्डिंग एक्ट निकाला है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको भी रोकने के लिए किसी प्रकार का एक्ट बनाया जावे कि एक या दो महीनों तक यदि वहां के मजदूरों का पेमेन्ट नहीं होता है तो उसका लीज कैन्सल कर दिया जायगा और जब तक इस प्रकार का कोई कानून नहीं बनेगा तब तक यह व्यवस्था ठीक नहीं होगी और पूंजीपति उन मजदूरों का खून चूसते रहेंगे।

कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि पिछले तीन तीन सालों से वर्षा नहीं हो रही है और सरकार ने इसके लिए पूरी पूरी कोशिश की। विरोधी दल के लोगों ने कहा कि सरकार इसमें नाकामयाब रही। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार ने बहुत कोशिश की मगर भगवान ने नाकामयाब बना दिया। हमारे यहां पर सारी पैदावार वर्षा पर निर्भर करती है और वर्षा नहीं होने से यह दिक्कत पैदा हुई।

हमने प्रयत्न किया है कि हम आत्म निर्भर इस मामले में हों। हमारे यहां 40 हजार टन कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। इसके लिए हम अगर बचत करना चाहें तो कर सकते हैं। अखबारों में मैंने सुझाव पढ़े। हमारे यहां पर गोदाम ठीक तरह से होने चाहिए जो नहीं होने से नुकसान होता है। इसके अलावा ब्लैक मार्केटियर्स सामान को अन्डर ग्राउन्ड रखते हैं इससे सारी हमारी उपज खराब हो जाती है। कीड़े मकोड़े की तरफ से और ...

श्री अध्यक्ष : अब आप जिसी भी प्रकार से हो समाप्त करिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : दो मिनट में समाप्त करता हूं। चूहों के द्वारा जो अनाज खराब होता है उसको बचाने की व्यवस्था करें जिससे 40 हजार टन अनाज बच सकता है। हालांकि कीड़े मकोड़े और चूहों से हमारी पैदावार ज्यादा होती है मगर उनसे नुकसान भी बहुत हो जाता है। यदि इनसे हम इसको बचा सकें तो ज्यादा अच्छा होगा।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम देश में समाजवाद लाना चाहते हैं, हमारे सरकारी अधिकारियों का रवैया बदलना होगा। जिस प्रकार की हमारी योजनाएं होती हैं और हम जिस प्रकार से गरीब लोगों को राहत पहुंचाना चाहते हैं, उसमें रोड़े अटकाते हैं। अभी तक उनका रवैया वैसा ही है जैसे वे राजा महाराजाओं के पुराने नौकर हैं और जब उन्होंने उन गरीबों का शोषण किया था। उसी प्रकार आज भी थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास के लोग और दूसरे लोग अंग रक्षक राजाओं के पास रहें, उनका दृष्टिकोण आज भी वैसा ही है। इसलिए उनके दृष्टिकोण को बदलना है। जब तक उनका दृष्टिकोण नहीं बदलेगा तब तक समाजवादी व्यवस्था नहीं बदल सकती। इसलिये हमें अध्यक्ष महोदय इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। आज हमारी फाइलें अपोजिशन के लोगों के पास पहुंच जाती हैं और उनकी ट्रू कापीज उनको दे दी जाती है .....

Page No.67

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । आप अब समाप्त करें।

एक माननीय सदस्य : आपके कांग्रेस को भले ही दे दें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : ऐसा नहीं होना चाहिए । बस इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : (बहुत से माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर) श्री विजयसिंह रावत।

श्री विजयसिंह (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो रोज से राज्यपाल के अभिभाषण पर जो वाद विवाद चल रहा है उसको मैं सुन रहा हूं और बड़े गौर से सुना है। उसके बाद मैंने इस भाषण को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वह एक किसी राहगीर का कहा हुआ किस्सा है । मुझे अफसोस इस बात का है कि जिसमें राजस्थान की नीति यें निर्धारित की गई हैं और जिसके द्वारा इस राजस्थान की जनता का उत्थान होने वाला है ऐसे अभिभाषण में ऐसे आवश्यक तत्वों को छोड़ दिया गया जिनका समावेश इसके किसी भी पैरा में नहीं किया गया है। जैसे कि सन् 1965 में पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला किया और हमले के बाद के दौरान में जो पाकिस्तान से शरणार्थी आये थे वे राजस्थान के कुछ गांवों के इलाकों में बसे थे और कुछ दिनों के बाद वे उन गावों को उजाड कर चले गये । मगर राज्यपाल महोदय ने इस बात की ओर प्रकाश नहीं डाला कि सीमाओं पर जो गांव और बस्तियें उजड गई जिनको जन-हानि और दूसरी हानि हुई और जो उजड़े हैं उनको पुनः बसाने के लिए कोई बात नहीं बताई ।

इसके साथ साथ मैं अध्यक्ष महोदय, एक बात और बताऊं उन्होंने कहा कि अनावृष्टि और सूखे के कारण आज मंहगाई बढ़ती जा रही है । अगर इस बात पर सरकारी पक्ष बड़े गौर से सोचे तो इस बात का सबूत मिलेगा कि आज राजस्थान में ही नहीं देश में सभी जगह मंहगाई बढ़ी है और उसका एक मूल कारण कोटा, परमिट और लाइसेन्स हैं । इसके द्वारा इस देश की राजनैतिक पार्टी चाहे वह कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टी हो मगर अधिकतर इसको देने का महत्व कांग्रेस को ही है जिसने कोटा, परमिट और लाइसेन्स देकर, इन 20 सालों में उनको ठेका देकर उन ठेकेदारों से अपना फायदा लेकर चुनाव लड़ा है और उसके बाद हम देखते हैं कि वे इन कुर्सियों पर बैठते हैं जिससे हानि होती है और यही एक मुख्य कारण है कि राजस्थान में सूखा और ओलों के बावजूद यह एक सबसे बड़ा अवगुण है जिसका राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जिक्र नहीं किया । जब तक आप कोटा, परमिट, लाइसेन्स सिस्टम खत्म नहीं करेंगे तब तक चोर बाजारी और भ्रष्टाचार में कोई सुधार नहीं हो सकता । जिस तरह साहू जैन ने जिसका जिक्र सदन में आगे चल चुका है, क्या उसकी न्यायोचित जांच आप करवायेंगे, अगर न्यायोचित जांच करवाई जावे तो आपको मालूम होगा कि साधारण व्यापारी की तुलना में इतने लाइसेन्स, कोटा और परमिट उसको मिले हुए हैं जो साधारण व्यापारी के पास नहीं होंगे जो ईमानदारी और कार्य कुशलता के द्वारा मिलना चाहिए । तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आप भविष्य में योजनाएं बनावें उनमें इस बात का प्रावधान करें कि कोटा और परमिट व लाइसेन्स खत्म करें।

श्री **रोशनलाल** (सलूम्बर) : आप बिडला ही से पूछलें वे लासेन्स नहीं रखते क्या ?

श्री **विजयसिंह** : अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान जंगलों की और दिलाना चाहूंगा। मैंने सुना भीखा भाई ने अपने भाषण में कहा और जिसका जिक्र राज्यपाल महोदय ने भी किया है कि यह प्रावधान किया गया है। लेकिन आज ऐसी स्थिति में भी सरकार अपनी कार्यवाही से जान रही है कि जो योजना बनाई जाती है उसकी कोई पूर्ति नहीं होती, उसके लिए यह भी नहीं कि वह इतने निश्चित समय में पूर्ण हो जावेगी। मैं यह चीज कहता हूं कि नये वन प्रगतिशील हैं, उनकी स्थिति संतोषजनक है, मगर पुराने जंगल जो आज से 20 वर्ष पहले थे आज जो जंगल हैं, जो प्रतिनिधि वहां से चुने हुए आये हैं जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि 20 वर्ष पहले जंगल थे उनकी क्या हालत है, पुरानों का सफाया कर दिया जारहा है और नये बनाये जा रहे हैं। और इस प्रकार अगली योजनाओं को पूरा किये बिना नई योजना को प्रारम्भ करते हैं ताकि जनता जनार्दन गुमराह होती रहे कि कब योजनाएं खत्म हों और हमको राहत मिले।

अध्यक्ष महोदय अब मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान ग्रामीण जनता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभिभाषण में इस बात का जिक्र आया कि सरकारी कर्मचारियों को अमुक प्रकार की सुविधायें दी गई हैं, महंगाई के कारण सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि की गई है, बोनस इत्यादि की फैसेलेटीज दी गई है, लेकिन अभिभाषण में इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि गावों में रहने वाली 70 प्रतिशत जनता है, जिसमें 28 प्रतिशत जनता ऐसी है जिसके पास न तो जमीन है न और किसी प्रकार के साधन कोई धंधा करने के हैं, जिसके पास अपने जीवन को खुशहाल करने के कोई साधन नहीं, क्या वह जनता आज मंहगाई से त्रस्त नहीं है, दुःखी नहीं है। क्या अपने जीवन को खुशहाल बनाने की उनके दिल में इच्छा नहीं है कि हम भी अपने जीवन को खुशहाल बनायें, उनकी दयनीय स्थिति की ओर अभिभाषण में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यूनियन की तरफ से दबाव आता है तो उनके लिये कोई न कोई चारा डाल दिया जाता है। पर उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास कोई धंधा नहीं, कोई रोजगार नहीं, जमीन नहीं उनके लिये यदि सरकार कोई धंधा चालू भी करती है तो जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा स्त्रियों को 14 आने दिये जाते हैं और आदमी को 1 रु. दो आना दिये जाते हैं। मजदूरी की यह रेट गरीबों के लिये सरकार ने कर रखी है लानत है ऐसी सरकार को जिसका इस प्रकार का जनतन्त्र है कि एक औरत दिन भर मिट्टी की टोकरियां ढोती है उसको 14 आना मिलते हैं। और वह भी कई गरीबों को दिया नहीं जाता है। इस प्रकार की बातों को प्रमाणित किया गया है। पंचायत श्री नगर में श्री बालकृष्ण कौल ने अपने चुनाव अभियान के सिलसिले में इस प्रकार का काम चलवाया था, वहां गरीब लोगों को एक सप्ताह का रिलीफ वर्क का पैसा अभी तक नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. माननीय सदस्य श्री फूलचन्दजी will not cross the floor.

श्री विजयसिंह : माननीय अध्यक्ष, अब मैं आपका ध्यान अनुसूचित जातियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लिए राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में काफी कुछ कहा है पर क्या उन्होंने इस ओर ध्यान दिया है कि 45 लाख अनुसूचित जातियों और पिछडी जातियों के लोग राजस्थान में हैं, उनमें से 14-15 लाख लोग राजस्थान की वीर भूमि को छोडकर भारतवर्ष के दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई जैसे शहरों में पडे हुए हैं, जिनके पास रहने को कोई मकान नहीं है, कमाने के लिए कोई रोजगार नहीं, धंधा नहीं, जिनके पास पहनने को वस्त्र तक नहीं। लेकिन क्या सरकार की नीतियों को दोहराने वाले राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का कोई प्रावधान किया गया है कि जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोग अपने इस प्रान्त को छोडकर कर गये हैं, उनका हित किस प्रकार किया जाय, उनके लिए कारगर कदम उठाने की क्या कोई नीति बनाई गई है ? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता की सडकों पर रहने वाले यह लोग हैं, सडकों पर यह लोग आपको मिलेंगे इनको पूछो कि कब आये तो कहेंगे कि दो साल होगये । कौन हो तो कहेंगे कि चमार हैं, रैंगर हैं, कहां के रहने वाले हो तो कहेंगे जयपुर के हैं । इन लाखो लोगों के लिए सरकार की ओर से कुछ नहीं किया जा रहा है । एक तरफ तो सरकार पिछडी जातियों की बातें करती है, इनको समान अधिकार दिलाने की बातें करती है दूसरी तरफ गवर्नर के अभिभाषण में जो सरकार की नीतियां दोहराई गई उनमें इस बात की भूल की जाती है । क्योंकि सरकार सोचती है कि, अभी कुछ भी कह देंगे तो पूरा नहीं कर पायेंगे और इनका विरोध बढेगा और इस तरह आने वाले चुनाव में इसका परिणाम वडा भयानक होगा ।

अब मैं राशन के वितरण के सम्बन्ध में इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आज इस प्रान्त में एक बडी अजीब सी बात देखने को मिलती है । मेरा राजनैतिक जीवन में आने का यह पहला मौका है । दूसरे मैं इस प्रान्त में अधिक नहीं रहा । मुझे गावों में जाने का मौका मिला तो गावों में मुझे यह देख कर बडा दुःख और आश्चर्य हुआ कि सडी हुई ज्वार के सिवाय गावों में और कोई अनाज नहीं दिया जाता । शहरों में राशन में गेहूं दिया जाता है, केरोसिन दिया जाता है, मैदा दिया जाता है, हर प्रकार की चीजें दी जाती हैं क्योंकि शहरों के नागरिक जो समझदार हैं इस बारे में हल्ला हुल्लड कर सकते हैं पर उन ग्रामीणों को जो कि केवल अपने सीमित साधनों पर निर्भर करते हैं, उनके लिए क्या सरकार ने आज तक आजादी के इन 20 वर्षों में एक भी समान व्यवहार का कदम उठाया है ? नहीं । मैं सरकारी पक्ष की तरफ से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह गेहूं जो आप दे रहे हैं केवल शहरी जनता के लिए है या गावों की जनता के लिए भी है ? 12-13 तारीख के सावे हैं, शादियां हो रही हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि गांवों में रहने वालों को भी इसकी जरूरत रहेगी ? मैं अजमेर जिले के कलेक्टर से मिला, मुझे बडा दुःख हुआ उनसे सुनकर, उन्होंने कहा कि वितरण की व्यवस्था में गांव वालों को गेहूं देने का प्रावधान नहीं है इसलिए उनमें गेहूं वितरण करने में वे असमर्थ हैं । गांवों में गेहूं नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को मकान नहीं, उनके बच्चों की शादी होती है तो सरकार की तरफ से जवाब मिलता है कि क्योंकि गांवों में गेहूं के वितरण का प्रावधान

(श्री विजयसिंह)

वितरण की व्यवस्था में नहीं है इसलिये हम गांवों में गेहूं नहीं दे सकते ।

अब मैं इस सदन का ध्यान पुलिस की ओर दिलाना चाहता हूं । आज इस सरकार का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि इसकी तुलना किसी भी सरकार से नहीं की जा सकती, केवल सुखाडियाजी के मन्त्री-मण्डल के साथ ही की जा सकती है, क्योंकि पुलिस जहां रक्षक है वह भक्षक बनी हुई है । पुलिस स्टेशन के सामने बोर्ड लगा रखा है "आपकी सेवा योग्य" लेकिन गांवों में रहने वाली राजस्थान की 82 प्रतिशत ग्रामीण जनता के साथ आज इस प्रकार का दुर्व्यवहार करती है कि या तो उनके मुकदमों को लेती ही नहीं है, लेती है तो उन गरीबों को 5, 10 रुपयों का टीका देना पडता है, नहीं दिया तो ईमानदार को बेईमान और बेईमान को ईमानदार ठहरा देते हैं । इस सबकी जिम्मेदारी सरकार के मंत्रियों की है जो यहां बैठे हुए हैं । मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो बातें कही हैं वे शत प्रतिशत सही हैं कि जिस प्रान्त का एडमिनिस्ट्रेशन इतना गिरा हुआ हो तो स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार बढेगा, योजनाएं सफल नहीं हो सकती, हर काम अनियमितता से चलेगा वहां किसी प्रकार के काम के बारे में विश्वास नहीं होगा कि वह काम कब होगा । और यही एक कारण है कि अजमेर के लिए 10 वर्ष से सरकारी पक्ष की ओर से आश्वासन दिया जाता है कि अजमेर को पानी देंगे और 26 जनवरी को उद्घाटन करने के लिए श्री बालकृष्ण कौल ने इस बात के लिए वचन दिया था और सुखाडियाजी ने तार दिया था जिसका प्रमाण हमारे पास है कि अजमेर की जनता को जनवरी तक पानी दे देंगे लेकिन आज तक राज महल पेय जलयोजना आधी ही पडी हुई है । अजमेर में मातायें और बहनें रात को तीन तीन बजे उठकर पानी के लिए लाइन लगाती हैं और 6 बजे फैक्ट्री में जाने वालों के लिए रोटी बनाती हैं और जो लाइन में पानी के लिए नहीं जाता है, उसकी हालत क्या होती है ? जो मजदूर सुबह से शाम तक ठेला चलाता है, शाम को उसको एक ग्लास पीने के लिए पानी नहीं मिलता है । क्या यह आजादी है ? क्या स्वतंत्रता है ? क्या इस सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके द्वारा इनकी योजनाएं सफल रहती हैं ? मैं इस बात के लिए अनुरोध करूंगा कि यदि अजमेर को पानी 26 जनवरी तक न मिलकर यदि एक एक साल में दे दिया जाय तो भी आपको मुबारक हो । मैं इसके बाद अधिक समय न लेते हुए यह अनुरोध करूंगा कि जो राज्यपाल ने अभिभाषण दिया, उसके अन्दर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो होनी चाहिए थी वह नहीं थी और वह यह थी कि सन् 1960 के अन्दर इस राज्य सरकार की तरफ से एक्स-सर्विसमैन के लिए जमीन गंगानगर नहर के अन्दर एलाट करने के लिये कुछ प्रावधान रखा था और उसका नतीजा यह हुआ कि जो बेचारे वीर सैनिक अपनी भूमिका अदा करने के लिए नेफा और लद्दाख में लडे और इस देश की शान और आन के लिए जिन्होंने अपने प्राण दिए, अपने हाथ, पैर और आंखें दी मुझे स्वयं इसका अनुभव है गोवा के आपरेशन के अन्दर कैसे सर पर गोले चले, वह स्थिति मुझे याद आती है, भयंकर ज्वाला को देखकर इन्सान की कीमत याद आती है, उन जवानों के लिए जब सरकार ने प्रावधान रखा था कि गंगानगर में जमीन एलाट की जायगी । स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट

(श्री विजयसिंह)

के अनुसार 1967 तक अभी तक एक भी एक्स-सर्विसमैन को जमीन एलाट नहीं की है जबकि 12, 970 एप्लीकेशन्स इस सरकार के पास आ चुकी हैं। जहां तक सवाल जवान का है जवान के लिए सरकार ऐसी सुविधाएं दें कि वह मैदान के अन्दर केवल अपने देश की शान को जीवित रखने के लिए अपने प्राण हथेली पर रखकर तैयार रहे। उसके दिमाग में दूसरी चिंता, सामाजिक या घरेलू या और कोई न हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट में खत्म करूंगा। जब तक उसके दिमाग से यह बोझ नहीं हटाया जायगा तब तक वह अपने कर्त्तव्य को पूरी तरह निभाने में असमर्थ रहेगा। इसलिये जब मैंने स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट देखी तो उसके अन्दर साढे बारह प्रतिशत स्कालरशिप्स दी गई हैं। 3778 एप्लीकेशन्स आई अजमेर जिले में जिसमें से 672 स्कालरशिप्स सिर्फ उनके बच्चों को मिली हैं। आप इस बात को भलिभांति समझ सकते हैं कि जो जवान लडाई के मैदान में रहकर 95) रु. पाता है और वह इस मंहगाई के युग में तो मेरे खयाल से उसके परिवार के लिये भी पूरे नहीं पडते तो बच्चे स्कालरशिप के बिना विद्यापार्जन न कर सकेंगे और सरकार इस नीति के कारण अपनी चितायें दूर करके कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। श्री दोलतराम सारण।

श्री **हरिदेव जोशी** (सिंचाई व विद्युत् **मंत्री**) : on a point of personal explanation.

श्री **विजयसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मुझे थोडा बोलना है।

श्री **अध्यक्ष**: मैं दूसरे का नाम ले चुका हूं। What is your explanation.

श्री **हरिदेव जोशी** : अध्यक्ष महोदय, मैं जब सदन में नहीं था, उस समय मेरे बारे में माननीय श्री लक्ष्मणजी ने कहा कि जब महाराजा झालावाड का देहावसान हुआ था, मैं वहां गया था और उन्हें समझाया कि उनको उनकी पार्टी छोड देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर उनको मैंने समझाया होता तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता और स्वीकार करने में गुनाह नहीं समझता। मैं एक पार्टीमैन हूं और वह भी एक पार्टीमैन हैं। मैं उनसे कह सकता था मगर मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्य ने इस सदन में जो कुछ मेरे बारे में यह कहा कि झालावाड में मैंने उन्हें कुछ समझाया वह सत्य से एकदम परे है। तथ्य यह है कि मैं महाराजा झालावाड के देहावसान की खबर सुनकर यहां से झालावाड गया था। जब उनका दाह संस्कार करीब करीब पूरा हो गया था उस समय वहां पहुंचा था और जब दाह संस्कार पूरा होकर सब लोग बिछडने लगे तभी मैं वहां से चला गया था और जाकर डाक बंगलो में रात को ठहरा था। उस समय अथवा डाक बंगलों में अथवा कहीं भी लक्ष्मणजी को मैंने नहीं देखा और न मेरी और उनकी उस समय बातचीत हुई न खुद आकर मिले, न कोई साक्षात्कार हुआ। इसलिए उनका कहना कि मैंने उनको समझाया यह सत्य से परे है। यह चीज रेकार्ड पर रखने के लिए मैंने कहा है।

श्री **लक्ष्मण** (डग) : अध्यक्ष महोदय ··

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : on a point of personal explanation. उन्होंने एलीगेशन लगाया कि माननीय सदस्य झूंठ बोले हैं . . .

श्री अध्यक्ष : ग्रापका भाषण हुग्रा ग्रौर ग्रापने कुछ एलीगेशन्स लगाए। उसके जवाब में मंत्री महोदय ने सिर्फ ग्रपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया है। ग्रब काउन्टर एक्सप्लेनेशन्स नहीं होंगे ग्रौर इसके ग्रलावा ग्रापने प्रश्न उठा रखा है पोइन्ट ग्राफ प्रिविलेज का। इस व्यवस्था में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि एक्सप्लेनेशन्स के बाद उस पर काउंटर एक्सप्लेनेशन्स दिये जायें।

श्री भैरोंसिंह : एक्सप्लेनेशन देने का सवाल नहीं है। इन्होंने एक बात कही है। उन्होंने बताया कि प्रिविलेज इश्यू बना रहे हैं। पहले तो प्रिविलेज इश्यू जब मस्तिष्क में था तो उनको कहने की ग्रावश्यकता नहीं थी। ग्रब पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया कि मैंने बातचीत की या नहीं, उन्होंने इन्कार कर दिया। तो सदन जानना चाहेगा कि किसकी बात सही है। यह सदन लक्ष्मणजी का या हरिदेव जोशी का नहीं है। एक ग्रादमी कहे सही ग्रौर दूसरा ग्रादमी कहे गलत। हम भी नोलेज रखना चाहते हैं कि जोशीजी जो मंत्री हैं उनकी बात कहां तक सही है। एक की सुनी ग्रौर दूसरे की नहीं सुनी। तो ऐसा लगता है कि एक ग्रादमी को मौका मिल गया ग्रपनी पोजिशन साफ कर गया ग्रौर दूसरे ग्रादमी पर इल्जाम लग गया वह बाहर घूमता रहे।

श्री अध्यक्ष : एलीगेशन लगाने के बाद जो माननीय सदस्यों को पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का हक होता है उस आधार पर माननीय मन्त्री महोदय ने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया। इसका मतलब यह कतई नहीं होता कि एक्सप्लेनेशन के बाद उस पर काउन्टर एक्सप्लेनेशन या इन्ट्रोगेशन्स चलते हैं। इसका मतलब तो यह होगा कि एण्डलेस प्रोसीडिंग्स होंगी, फिर एक्सप्लेनेशन्स होंगे। इसलिये मैं काउन्टर एक्सप्लेनेशन्स की इजाजत नहीं देता हूं। इस सदन का प्रांगण इसके लिये नहीं है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ) : On a point of clarification sir यह एक व्यवस्था की बात थी। अगर ऐसा किसी मन्त्री के हाथ से कृत्य हो जाय और पुलिस का हाथ हो या एस. पी. का हाथ हो विधायक आकर शिकायत करे और मन्त्री उस पर इतना ही कहदे कि उसने ऐसा नहीं किया तो सदन चुप रहेगा?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! हंपोथेटिकल असम्पशन है। श्री सारण।

श्री लक्ष्मण : मुझसे आपकी बात हुई थी। मेरे ससुर को लेकर आए थे और मुझ पर दबाव डाला था।

(शोरगुल)

श्री दौलतराम सारण : (डूंगरगढ) : अध्यक्ष महोदय सरकारी पक्ष व विपक्ष के माननीय सदस्यों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने अपने विचार प्रकट किये। कुछ खामियां बताई, शिकायतें की गई, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के उदाहरण पेश किए गए। उन कमियों और शिकायतों को सुन कर उस पक्ष के माननीय सदस्यों को कुछ बैचेनी भी हुई। वे ऐसा महसूस करते हैं

(श्री दौलतराम सारण)

उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि वे विपक्ष द्वारा शासन की कमियां, गलतियां और शिकायतों को सुनना कतई नापसन्द करते हैं। वे केवल यह मानते हैं . .

श्री मूलचन्द डागा : गलती मानते हैं और बताते हैं।

श्री दौलतराम सारण : जो शासन करते हैं वे जो कुछ कहते हैं वह सही है। जो हो रहा है वह सही है यही विपक्ष के लोग कहते रहें तो ठीक है लेकिन अगर शासन की गलतियों को प्रकट करते हैं, शासन की ज्यादतियों को प्रकट करते हैं, शासन की धांधलियों को प्रकट करते हैं तो फिर वह बुरा लगता है। उस पक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा यह नम्र निवेदन है कि जनतन्त्र की वे बार बार दुहाई देते हैं। जनतन्त्र सहिष्णुता सिखाता है। जनतन्त्र यह नहीं सिखाता है कि हम किसी पर मोटिव करें, जनतन्त्र यह नहीं सिखाता कि हम गलतियों से गुरेज करें, जनतन्त्र यह नहीं सिखाता कि हम धांधलियों से गुरेज करें, लेकिन जनतन्त्र तो यह सिखाता है कि यदि कोई गलती बताये तो उसको हौसले और हिम्मत के साथ कबूल करें। और खास तौर से गांधीजी के कांग्रेसियों द्वारा यह तमाम धांधली, ज्यादती और अनियमितता वाकई हुई है तो खडे होकर सदन के सामने पश्चाताप प्रस्तुत करें। लेकिन यह तो वह कर सकता है जिसमें कांग्रेसी की नैतिकता हो, यह तो वह कर सकता है जिसमें कांग्रेसी का चरित्र हो, यह तो वह कर सकता है जिसमें साहस हो। वह नहीं कर सकता जो दुर्बलता का शिकार हो।

एक माननीय सदस्य : इसीलिये कांग्रेस से बाहर गये।

श्री दौलतराम सारण : मैं बताऊंगा कि कांग्रेस से बाहर क्यों आया। हिम्मत रखिये सुनने की।

वह नहीं कर सकता कबूल जिसके अन्दर सत्य का माद्दा न हो, वह पश्चाताप नहीं कर सकता जिसके अन्दर नैतिकता न हो, वह नहीं कर सकता जिसके अन्दर साहस न हो और जिसके अन्दर समाजहित की भावना न हो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतन्त्र की दुहाई विपक्ष को देते हैं वे अपनी छाती पर जरा हाथ रख कर देखें कि लोकतन्त्र में उन्होंने किस तरह की मर्यादायें कायम की हैं। गांधीजी ने मार्ग दर्शन दिया। कांग्रेस ने नीति निर्धारित की कि हमें समाज के अन्दर सत्य की स्थापना करनी है, समाज के अन्दर नैतिकता कायम करनी है . . . .

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(श्री मनोहर सिंह मेहता के पजोर क्रोस करने पर) माननीय मनोहर सिंह जी आप पजोर को क्रोस कर रहे हैं। आप नये आये हैं अतः आगे से इस ओर ध्यान रखें।

श्री मनोहर सिंह मेहता : क्षमा करिये।

श्री मूलचन्द डागा : जनतन्त्र कैसे कायम किया जाय, मैं समझता हूं कि यह बात नहीं करें।

श्री दौलतराम सारण : आप बोल रहे थे उस समय यह सोचते तो ज्यादा उचित होता।

(श्री दौलतराम सारण)

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि समाज में दो प्रवृत्तियां हैं दो व्यवस्थायें हैं। एक आसुरी वृत्ति, मादक द्रव्य का सेवन कांग्रेस ने उसके लिये निषेध किया है। कांग्रेस ने कहा था कि कांग्रेस की यह नीति है कि समाज से मादक द्रव्यों का सेवन दूर होना चाहिये। प्रत्येक कांग्रेस मेन कांग्रेसी बनने पर लिखित पत्र पर प्रतिज्ञा करता है कि मैं मादक द्रव्य सेवन नहीं करूंगा। कोई भी कांग्रेसी सदस्य खड़े होकर बतायें कि कितने या सारे सदस्य मादक द्रव्य का सेवन नहीं करते। (विरोधी पक्ष द्वारा हीयर हीयर एवं करतल ध्वनि)

(शोरगुल)

आज कांग्रेसी कांग्रेस की नीतियों में विश्वास नहीं रखते। उसी कारण शासन समाज में निष्ठा और विश्वास नहीं पैदा कर सका, शासन समाज में साख पैदा नहीं कर सका। आज शासन की समाज में साख नहीं है, समाज में आस्था और निष्ठा नहीं है उसका कारण यह है कि जिस कांग्रेस के लिये जान देते थे, जिस कांग्रेस के लिये लोग खुशी से जेलों में चले जाते थे, जिस कांग्रेस के इशारे पर लाखों लोग अपनी जान न्यौछावर कर देते थे, लोग अपने घर और परिवार को छोड़ कर देश की सेवा में लग जाते थे, आज वे कांग्रेस को गालियां क्यों देते हैं। इस खद्दर की भी आपने आबरू उतार ली है, आपने अपनी आबरू उतरवाली है अपने कारनामों से। आपके कारण इस टोपी के लिये भी गालियां सुननी पड़ती हैं। आप अपनी मर्यादाओं को छोड चुके हैं, कांग्रेस के आचार-विचारों को आप छोड़ चुके हैं इसीलिये कांग्रेस से लोग असन्तुष्ट हैं। आप कहते हैं कि मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ दी? मुझे कांग्रेस छोड़ने का कतई दुख नहीं है। इसलिये नहीं है कि मैं ऐसी कांग्रेस में नहीं रहना चाहता जो कांग्रेस अपनी नीतियों पर अमल नहीं करती, जो कांग्रेस अपनी मर्यादाओं पर नहीं चलती, जो कांग्रेस अपने द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को ही नहीं मानती, उस कांग्रेस से मैं कोई सरोकार नहीं रखना चाहता। मैंने कांग्रेस मिनिस्टर पद के लिये नहीं छोड़ी है। मैंने तो मिनिस्टरी ठोकर मार कर छोड़ी है। मैंने कांग्रेस के टिकट को फैंक कर कांग्रेस छोड़ी है और कांग्रेस को चैलेन्ज किया है।

और मेरे जिले के अन्दर से कांग्रेस के नेता जो डींग मार रहे थे उनका सफाया करके आया हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुमत और अल्पमत की बात करते हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि जनतन्त्र की बात करते हैं वे यह समझें कि जनतन्त्र जनहित सिखाता है, जनतन्त्र सहिष्णु होने की बात कहता है, जनतन्त्र हमें यह बताता है कि हम जनता के प्रति आस्थावान रहें, लेकिन क्या हमारा शासन, कांग्रेस का शासन जनता के प्रति आस्था रखता है, क्या हमारा शासन जनता जो शिकायतें लेकर आती है उन शिकायतों को हमदर्दी के साथ निपटाता है? आप तो यह मानते हैं कि जनता तो आपकी नौकर है। हम जनता को मालिक नहीं मानते, हम जनता में सर्वोपरी सत्ता निहित है यह नहीं मानते। उसी कारण जिस कांग्रेस के लिये लोग जान न्यौछावर कर देते थे, जिस जिस कांग्रेस के लिये लोग बलिदान देने के लिए तत्पर रहते थे आज उसी कांग्रेस को लोग गालियां देते हैं, जिस कांग्रेस के लिए लोग जान देते थे आज उसी कांग्रेस के लिये लोग थूकते हैं। (विरोधी पक्ष द्वारा हीयर हीयर)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी

(श्री दौलतराम सारण)

एक सज्जन बोल रहे थे। वह कह रहे थे कि अफसर खराब हैं। अफसर राजाओं के पाले हुए हैं। आप प्रशासन के आंकड़ों को देखिये कितने अफसर राजाओं के वक्त में थे और उसके बाद कितने अफसर आपने पाले। जरा आंकड़े तो देखिये, रखिये आप सामने। बीस वर्ष में आप खराब अफसरों को ठीक नहीं कर सके?

एक माननीय सदस्य : आप किस लिये बैठे थे ?

श्री दौलतराम सारण : मैं बैठा था वह भी बताऊंगा।

(विरोधी पक्ष द्वारा हीयर-हीयर)

मैं कहना चाहता हूं कि अफसर का कोई कसूर नहीं है। मैं दस वर्ष के प्रशासकीय अनुभव के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि अफसर बेकसूर है। उसका कोई कसूर नहीं है अफसर हुक्म का चाकर है। अफसर हुक्म देने वाले की नियत और ईमान को देखता है, उसकी मर्यादा देखता है, उसकी आस्था और निष्ठा देखता है जैसी हुक्म देने वाले की आस्था और मर्यादा होगी, जैसी निष्ठा होगी उसका वैसा ही पालन करेगा। टेलीफोन पर एक बात कही जाय और पीछे टेलीफोन पर दूसरी बात कही जाय लिखित में एक हुक्म दे देते हैं और टेलीफोन पर दूसरा दे देते हैं। आज हुक्म बार बार क्यों बदलते हैं? अनुपालना क्यों नहीं होती? एक मजेदार बात देखिये। लिस्ट देखिये। एक लम्बी लिस्ट आती है कि हुक्म की पालना नहीं होती। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लिखते हैं कि निवेदन किया जाता है कि आप (कलैक्टर) हुक्म मानो। हुक्म का पालन नहीं करने वाले ऊंचे अफसरों के खिलाफ, एक भी सेक्रेटरी, एक भी कलैक्टर और एक भी एस. पी. के खिलाफ अपने शासन के 12 वर्षों में मुख्य मन्त्रीजी ने कोई कार्यवाही की हो तो बता दो। जरा छोटे कर्मचारी पटवारी जैसों को सस्पेण्ड कर दिया जाता है किसी बड़े अफसर के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती।

बीकानेर के मोठ की ब्यावर से निकासी हो गई। बीकानेर कलैक्टर ने लिखा ब्यावर से बीकानेर का मोठ बाहर जा रहा है। सेक्रेटेरियेट की जानकारी में आया। हुक्म दे दिया तहसीलदार को सस्पेण्ड कर दो। क्यों साहब बीकानेर के कलैक्टर को मालूम है ब्यावर से मोठ जा रहा है, लेकिन अजमेर के कलैक्टर को इस बात का पता नहीं कि मोठ कहां से जा रहे हैं। कानून का उल्लंघन हो रहा है या नहीं, इसका पता नहीं। उसके खिलाफ एक्शन का प्रश्न आता है तो कहते हैं जांच की जावेगी और अगर कोई अफसर गलती करता है कानून विरुद्ध व्यवहार और काम करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती। कार्यवाही की भी कहीं जाती है तो केवल राजनैतिक आधारों पर की जाती है। दलबन्दियों के आधार पर की जाती है। इसलिये प्रशासन में सुस्ती है, लापरवाही है। प्रशासन में उपेक्षा भाव है और प्रशासन में अनैतिक कार्यवाहियां हैं। मैं यह चेलेन्ज के साथ कहता हूं।

मैं एक नमूना बताता हूं साधारण सा! डूंगरगढ़ में 'लगान वसूल करो अभियान' चलाया गया। मैं वहां से सुन कर आता हूं। 'लगान वसूल करो अभियान' में सौ एक

Page No.76

(दौलतराम सारण)
कुर्कियां जारी की गई। कुर्कियों पर सामान क्या कुर्क किया। घडा, लोटा, चीपिया, सोणिया, डोरिया, और डोरी मांचा का पागा, हुक्का।

श्री गोकुल प्रसाद (बीकानेर) : पांच साल तक डिप्टी मिनिस्टर बने रहे तब भी।

श्री दौलतराम सारण : मैं कहना चाहता हूं वह तो सुनों....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, दाह संस्कार का पूरा सामान हो गया।

श्री दौलतराम सारण : डूंगरगढ तहसील के मालखाने में आज भी वह सामान रक्खा है।

एक माननीय सदस्य : राजस्व मन्त्री कौन थे ?

श्री दौलतराम सारण : सुनों, मैं मजेदार उदाहरण देता हूं। सामान क्या क्या था ? ऊन काती हुई ।=), सूत काता हुआ S।।, डोरिया सीणियो 55, कलमीया, थाली कांसी की– चार साबत एक फूटी हुई-5, लोटा पीतल का 2, घाल्टी 1, तवा लोहे का 1, कडाल्या 1 लोहे का, परात लोहे की 1, देगची सिलवर की 1, तीन बांस कसी डंडा, एक बीजणी, एक चौसागी में सीगा, एक मूसल धान कूटने का, एक दाती, एक जरिया, एक चीपीया, लोहे का, एक छुरी लोहे की, 6 पुडिया चाकी का पत्थर का, मांचा नं. 4 टूटी हुई मूंज का, एक किवाड, 1 पडदा लकडी का।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : राजस्व मन्त्री कौन थे उस समय ?

(शोरगुल)

श्री दौलतराम सारण : मुझे उनकी बातें सुनकर तरस आता है। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे भले ही बोलें, आप नहीं बोलें। यह मेरा आपसे निवेदन है। ठहरें, मैं बताता हूं कौन मन्त्री थे। उस समय राजस्व मन्त्री मोहनलालजी सुखाडिया थे और उप-राजस्व मन्त्री बताऊं ? एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप भी थे। मैं था। मैं ने लिखा। मैंने पर्दाफाश किया। मैंने मिलकर निवेदन किया। पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास किया। अनेकों लिस्टें दीं। एक नहीं अनेकों। पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। बार बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह सामान कुर्क करना अनियमित है, गैर कानूनी है। पर राजस्व-मन्त्री ने एक नहीं सुनी।

श्रीमती सुमित्रा : तब आपको उस समय ही यह सब कहना था।

श्री दौलतराम सारण : आप अभी से घबरा रही हैं। मेरे पास तो ऐसे हजारों नमूने हैं।

श्रीमती सुमित्रा : तो दस पांच बातें रक्खो। ऐसी चिकनी चुपडी बातें नहीं मानी गई फिर दस साल तक उपमन्त्री क्यों रहे ? इसका जवाब आपको देना पडेगा एक दिन।

श्री दौलतराम सारण : इसका जवाब चाहती हैं तो यह भी तैयार है त्यागपत्र दिया हुआ मेरा। यह भी बता सकता हूं।

मैं निवेदन करूं कि जब शासन की शिकायत और बुराई हो तो घबराते हैं। मैं कहता हूं नीति की एक बात।

निन्दक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय।

आप शिकायतें सुन कर घबरावें नहीं। उसका उपकार मानें। उन्हें दूर करने की चेष्टा करें। इससे आप मजबूत बनेंगे। मजबूत बनियेगा। पर आपकी तो बुद्धि उल्टी हो रही है। आपके पास शिकायतें

(श्री दौलतराम सारण)
आती हैं, हम बताना चाहते हैं तो उल्टे आप उनको छिपाते हैं? उन पर पर्दा डालने की चेष्टा करते हैं? फिर कहते हैं अफसरों को शील्ड कर रहे हैं, प्रशासन को शील्ड कर रहे हैं। मेहरबानी करके शील्ड करने का शोर दूर हटा दीजिये। अगर वाकई में लोकतन्त्र में आपकी आस्था है तो गहराई से सोचिये आपकी योजनाएं क्यों फैल हुई, आपका उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा? आपके सारे कार्यक्रम क्यों फैल हुए? राज्यपाल महोदय ने बड़े सुन्दर शब्दों में कहा अना-वृष्टि और जनसंख्या वृद्धि के कारण योजनाओं में उत्पादन नहीं बढ़ा, योजनाओं में पूरी सफलता नहीं मिली। कितना बढ़िया आवरण है अपनी भ्रष्ट कार्यवाहियों को छिपाने का। अपना दोष दूसरों के मत्थे मढ़ देने का। यह नहीं कहा कि हमारी निष्क्रियता, हमारी अदूरदर्शिता, हमारी अकर्मण्यता और हमारी घसीटू नीति के कारण हम असफल रहे।

आप फक्र से बोल रहे हैं माननीय सदस्य, कि सुखाड़ियाजी ने स्थिर सरकार दी। स्थिरता में गन्दगी हो जाती है। आपको पता होना चाहिये। स्थिर नेतृत्व भी दिया, यह भी कहा है, पर मेरा मानना है कि सुखाड़ियाजी ने ऐसी व्यवस्था चलाई नहीं घसीटा है, और घसीटने का जो दुष्परिणाम होता है वह आज राजस्थान भोग रहा है।

उन्होंने व्यवस्था दी नहीं है, व्यवस्था को घसीटा है। स्थिर और सही व्यवस्था आई होती तो जयपुर की गलियों में और राजस्थान के शहरों की गलियों में, बाजारों में कांग्रेस को लोग गालियां नहीं देते, उन पर फूल उछालते। फिर राज्यपाल महोदय ने कहा है कि जनता की भावनाओं का आदर करके गायों के निर्यात पर प्रतिबन्ध का अध्यादेश जारी किया। मैं निवेदन करदूं कि यह भी जनता की भावनाओं के लिये नहीं किया, चुनावों के अन्दर वोट लेने के लिये किया। अगर जनता की भावनाओं का आदर होता तो लोकतन्त्र के प्रति जनता ने कितनी शानदार शान्तिप्रिय और शालीन तरीकों से अपनी भावनाएँ प्रकट कीं, उसको राज्यपाल ने नहीं देखा कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है अपनी सुख सुविधा, भय और संकट से निराकरण। जनता यह चाहती है कि आप अच्छा प्रशासन दें और इसलिये दें कि जनता ने आपको वोट देकर चुनकर भेजा है। आपने उसकी जिम्मेदारी ली है। जनता ने आपके पास आकर जिम्मेदारी नहीं दी, आपने जाकर जनता से भीख मांगी है कि हम आपको अच्छा शासन देंगे, हम आपकी सुख सुविधाओं का प्रबन्ध करेंगे, आपकी गरीबी दूर करेंगे, अच्छी जिन्दगी बसर करने का मौका देंगे। आपने कमिटमेन्ट किया है जनता के साथ। आज असफल होते है तो बहाना बनाते हैं कि जनता ने सहयोग नहीं दिया। तब कहते हैं कि जनता में, राष्ट्र में अनैतिकता फैल गई।

कल एक बहुत अच्छे कांग्रेसी मित्र जो बड़े ईमानदार हैं, बहुत पुराने सच्चे कार्य-कर्ता हैं कह रहे थे कि सारे समाज में ही भ्रष्टाचार फैल गया। मैं पूछता हूं समाज में यह भ्रष्टाचार अचानक किधर से घुस गया खामख्वा। कैसे आ गया, किधर से आ घुसा। आप तो उस समाज के मुखिया रहे, बीस वर्षों तक। आज भी मुखिया बनने का दम भरते हैं। आज यह भ्रष्टाचार समाज में

(श्री दौलतराम सारण)

क्यों घुस बैठा? आज यह भ्रष्टाचार नौकरों की वजह से नहीं आया। यह भ्रष्टाचार पटवारी नहीं लाया, पुलिस का सिपाही नहीं लाया। वह तो 24 घंटे भूखे पेट पर पट्टी बान्धकर सड़क पर खड़ा रहता है। यह भ्रष्टाचार तो वे लोग लाये हैं जिनका पेट आजादी से पहले पीठ के पीछे छिपा हुआ था पर आजकल वहां से निकल कर आगे सरक गया है। जीपापोती क्यों करते हैं। उनका जीवन बेलाग नहीं है। मैंने भी मिनिस्टरी की है दस वर्ष तक। पर मेरी तरफ कोई बेईमानी का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। पर आपके खिलाफ सरे आम क्यों कीचड़ उछाला जाता है? और आप क्यों पीछे पीछे भागते हैं? क्यों नहीं न्यायिक जांच कराते। न्यायिक जांच कराकर क्यों नहीं अपना दामन साफ कर देते। आप पर आरोप, आपके परिवार के लोगों पर आरोप। जिनके सारे रिश्तेदार आज मौज उड़ा रहे हैं जिनके घर वालों के पास जमीन नहीं थी, मकान नहीं थे, आज उनके बड़े बड़े बंगले खड़े होगये, ट्रैक्टर खरीद लिये, जिनके पास सैंकड़ों बीघा जमीन के फार्म हैं ये आखिर कहां से आगये?

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले यह सोचते होंगे कि हमारे में फ्रस्टरेशन है, इसलिये हम कह रहे हैं, यह बात कतई नहीं है, हम अपनी नाराजगी अनियन्त्रित और असंयमित तरीके से व्यक्त नहीं करना चाहते। नाराजगी है तो भी उसको संयत भाषा में और जिम्मेदारी के साथ व्यक्त करना चाहते हैं। और मेरी तो यही मान्यता है कि उसी का ज्यादा असर पड़ने वाला है। कांग्रेस पक्ष वालों से मेरा निवेदन है कि वे आत्म निरीक्षण करें केवल उपालम्भ नहीं दें। अगर हमारे में फ्रस्टरेशन है, हमें आप यदि पागल भी समझते हैं तो पागल भी यदि कोई अच्छी बात कहता है, नीति की कहावत है कि कीचड़ में भी यदि सोना हो तो उस सोने को उठालो, कीचड़ समझ कर उसको फेंको मत। इसीलिये मुझे निवेदन करना है खाली चिलमें ही मत भरो....

श्री जयकिशन: आप तो हुक्का भर रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण: जिन्दगी जयकिशनजी, चिलम भरना ही नहीं है। जिन्दगी का लक्ष्य केवल जी हुजूरी करना ही नहीं, जिन्दगी का लक्ष्य मानवता का विकास करना है। हम सब यहां पर हैं, सब लोकतन्त्रीय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। हम देश में जनतन्त्र को मजबूत देखना चाहते हैं और उससे हम अपने संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। हम संविधान के अन्तर्गत जिस प्रकार की लोकतन्त्रीय व्यवस्था हमें मिली हुई है, उसकी जिम्मेदारियों से अलग नहीं हो सकते। अपनी मान्यताओं और मर्यादाओं से हम यदि अलग होते हैं तो हमारा जनतन्त्र से विश्वास उठता है।

आखिर आप को अपने कार्यों में सफलता क्यों नहीं मिलती, आप शुद्ध प्रशासन क्यों नहीं दे सके, लोकतन्त्रीय समाजवाद की व्यवस्था करना जो बहुत जरूरी था वह नहीं कर पाये। प्रशासन का लोकतन्त्रीय व्यवस्था में सबसे बड़ा रोल होता है। प्रशासन तीव्रगति से काम करे, लेकिन आज प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है उसमें लोक

Page No.79

(श्री दौलतराम सारण)

तन्त्रीय समाजवाद नहीं आ सकता। यह आप निश्चित मानकर चलिये। वह इसलिये नहीं आ सकता कि हमारा एक राजनैतिक दृष्टिकोण बन गया है जो समस्याओं के वैज्ञानिक और व्यवहारिक हल की तरफ कम है। इसी कारण सही और निर्मल प्रशासन नहीं दे पाये। आज प्रशासन का काम जी हजूरी और चापलूसी तक ही सीमित हो रहा है। आज जो बंगले पर जाकर जी हजूरी या चापलूसी करते हैं जैसे पर्सनल असिस्टेंट और प्राइवेट सेक्रेटरीज हैं, उनकी तरक्की के लिये रूल्स में अमेण्डमेण्ट होजाते हैं जिन पर 19 सितम्बर की तारीख दर्ज हो जाती है। लेकिन जायज तरीके से काम करने वाले लोगों को अपने हक के लिये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है। इन्जीनियर्स, डाक्टर्स, सिलेक्शन ग्रेड के लोगों को हाई कोर्ट में जाकर या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने प्रति न्याय प्राप्त करना होता है। आज हालत यह है कि प्रशासन के लोगों को न्याय नहीं उनके साथ निष्पक्षता नहीं, तो आम नागरिक के साथ आप निष्पक्षता किस प्रकार दे सकते हैं? जहां तक सामान्य नागरिक का प्रश्न है, मजदूर वर्ग का प्रश्न है वे आपसे परेशान हैं, मजदूर वर्ग आप से नाराज है, विद्यार्थी वर्ग आपसे नाराज है। पर्चे सारे के सारे आउट हो जाय आपके प्रशासन की यह कुशलता है, किस तरह से विद्यार्थी लोग परेशान होते हैं, उनको बार बार परीक्षा देनी पड़ती है। आप उलाहना देते हैं कि हम राजा महाराजाओं के साथ जागीरदारों के साथ रहकर उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप ठण्डे दिल और दिमाग से सोचें, आज राजा रानी का सवाल नहीं है जागीरदार और सामन्त का सवाल नहीं है। आज हम व्यक्ति के हकों की रक्षा का सवाल है इसलिये कोई चाहे कभी जागीरदार रहा हो, कभी सामन्त रहा हो, किसी की कोई मान्यता रही हो, लेकिन आज जो जनतन्त्र में विश्वास करते हैं, आज उनको भी वे ही अधिकार प्राप्त हैं जो एक सामान्य नागरिक को हैं।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष, दूसरी पार्टी वालों को भी समय मिलना चाहिये। सुबह से मैं कई बार उठ रहा हूं मुझे समय नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना भाषण जल्दी समाप्त करें और भी माननीय सदस्य बोलने के लिये उत्सुक हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे चलकर दस मिनिट से ज्यादा किसी को नहीं दूंगा।

(कुछ कांग्रेसी सदस्यों के व्यवधान करने पर)

श्री दौलतराम सारण : यदि माननीय सदस्यों को मेरा बोलना बुरा लगता है तो बैठ जाऊं।

मैं तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से प्रेरणा लेकर ही बोल रहा हूं। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मुझे विश्वास है कि राज्य की समस्याओं के समाधान हेतु आप जो भी विचार विमर्श करेंगे वे लोक कर्तव्य एवं जनहित की भावनाओं से परिपूर्ण होंगे। इसी आधार पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जितनी आपकी असफलतायें हैं उनको हौसले और हिम्मत के साथ स्वीकार करें। जनता के सामने जाकर स्वीकार

(श्री दौलतराम सारण)

करिये। केवल यह कह कर कि ओले पड गये, मेह नहीं बरसा इसलिये चम्बल में पानी नही आया, इससे बिजली का उत्पादन नहीं होसका, यह तो आपको योजना बनाने से पहले सोचना चाहिये था। राजस्थान का इतिहास आपको मालूम है कितने दिनों में, कितने वर्षो बाद यहां अकाल पडता रहता है। इतना होते हुए भी आप कर नही पाते हैं यह तो आप अपना दिवालियापन दिखलाते हैं। आपने कहा था कि हम शराबबन्दी की ओर कदम उठाने वाले हैं, लेकिन आपकी जो इस ओर नीतियां हैं जैसे गारन्टी सिस्टम, इससे आपने इस शराबखोरी को गांव गांव और गली गली में फैला दिया ! गांव के लोग पंचायत समितियों द्वारा प्रस्ताव पास करवाकर भिजवाते हैं, लेकिन आप उन पंचायत समितियों के प्रस्ताव की उपेक्षा करते हैं। आप जनमत की भावनाओं की उपेक्षा इस प्रकार से करते हैं जो लोग शराब पीना अपने धर्म के विरुद्ध समझते हैं, शराबी के साथ बैठना पसन्द नहीं करते वहां आपने पानी की तरह शराब की नदियां बहादी। अनियमित ढंग से, गैर कानूनी ढंग से यह शराब जहां ठेके के अलावा अन्य स्थान पर नहीं बिकनी चाहिये वहां आज मोटरों द्वारा जीपों के द्वारा गांव गांव में जाकर बेची जा रही है। आप इन बातों के आधार पर नशाबन्दी की बातें करते हैं। गान्धीजी के सिद्धान्त के अनुसार 'जीओ और जीने दो' की जगह आप 'खूब पीओ और खूब पिलाओ' इस सिद्धान्त पर चल रहे हैं। आप इस तरह से सामाजिक न्याय नहीं दे पाये।

आज हम देखते हैं औरतें बेची जाती हैं, नन्हें-नन्हें बालकों को थाली में बैठाकर शादियां करवायी जाती हैं, अनमेल विवाह हो रहे हैं, बूढ़ों के साथ छोटी उम्र की लडकियों की शादी की जा रही है। आप बीस वर्ष के शासन काल के बाद भी अपनी मान्यताओं को स्थापित नहीं कर सके, लोकतन्त्रीय समाजवाद को पनपा नहीं सके। यह आपका इन सिद्धान्तों में विश्वास नहीं होना है। नुक्ते बन्द करने का आप एक तरफ कानून बनाते हैं, दूसरी तरफ नुक्तों में आप भारी संख्या में उपस्थित होते हैं। चीफ मिनिस्टर की लडकी की शादी होती है, आप उनमें राजा रानियों को बुलाने से नहीं चूकते, हजारों लोग आपके यहां शादियों में इकट्ठे होते हैं। एक प्रकार से प्रतियोगिता चल रही है कि किस मिनिस्टर की लडकी की शादी में ज्यादा संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। सामाजिक कानून आपको समय के साथ बनाने चाहिये। सामाजिक गतिविधियों का मूल्यांकन होना चाहिये समय समय पर। अपने आचरण द्वारा समाज के कानूनों को स्थापित कीजिये।

(4 म. प.)

आप लोगों से कहते हैं कि बचत करो और आप सेक्रेटेरियट में खस के टट्टी लगा रहे हैं और उनके ऊपर पानी पड रहा है और लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं है·····

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके भी तो लगे थे।

श्री दौलतराम सारण : मैंने विरोध किया है और निश्चित किया है, आप चाहें, तो देख लें।

आपको कूलर्स के बिना नींद नहीं आती, आपका सर्दियों के अन्दर हीटर के बिना कमरा

(श्री दौलतराम सारण)

गर्म नहीं होता और दूसरी तरफ मासूम बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और उन भूखे पेटों में दलिया का एक दाना भी नहीं है। आपने कभी सोचा है? आप कूलर के बिना नहीं जी सकते और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं। आपके यहां हर मौके पर आप किनको निमंत्रित करते हैं। आप निमंत्रित करते हैं ठेकेदारों को, आप निमंत्रित करते है बड़े बड़े सेठों को क्या आपने कभी किसी हरिजन को बुलाया, क्या आपने किसी सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाया? एक मंत्री महोदय का दौरा होता है तो वह गांव में जाते किसके यहां हैं और ठहरते किस के यहां है? नेहरू जी ने कहा था कि 'जीओ और जीने दो'। लेकिन यहां तो 'खाओ और खाने दो' का कम्पीटीशन हो रहा है। हम उस गरीब जनता को भूल गए, हम जिस जनता के प्रतिनिधि बनकर आये हैं उस जनता की भावनाओं की कद्र नहीं करते, बल्कि उसकी उपेक्षा करते हैं। उसका परिणाम यह है कि जनता हमसे नफरत करने लगी है। ठीक है, जोड़तोड करके, पैसा देकर लोगों को खडा करके, जीपें देकर, पैट्रोल देकर जीतकर आ जाते हैं लेकिन सीट का मतलब यह नहीं है कि लोगों में हमारे प्रति श्रद्धा नहीं हो। आज लोगों में हमारे प्रति श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का पता तो लोगों के अन्दर जाने से लगता है, उनकी भावनायें हमारे लिए क्या हैं यह उनके अन्दर जाने से पता लगता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिये हरिजनों को, महिलाओं को उनके उचित और न्यायसंगत अधिकार दिलायें। आप आर्थिक समता स्थापित करने के लिए वचनबद्ध हैं और उसके लिए आपने नियोजित कार्यक्रम आरम्भ किये, लेकिन उसमें कहां तक सफल हुए उसके लिये मुझे यह कहना है कि गरीब तो ज्यादा गरीब होते गये हैं और अमीर ज्यादा अमीर होते गये हैं। आज कोई साधनहीन व्यक्ति रोजगार के लिए तड़पे तो वह राज्य से 1 पाई भी नहीं ले सकता और आज करोड़पति चाहे तो चाहे जितने पैसों की सहायता ले सकता है। अगर कोई गरीब आदमी किसी प्रकार की सरकार से सहायता लेना चाहे तो नहीं ले सकता और इसलिये नहीं ले सकता कि सरकार के कानून उसको इजाजत नहीं देते। यह आपका समाजवाद है? दूसरी तरफ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका दृष्टिकोण आर्थिक समानता का नहीं है और आप उल्टे ज्यादा असमानता बढाते जा रहे हैं। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप 2॥ हजार पाने वाले व्यक्ति को मकान बनाने के लिए कितना ऋण देते हैं 20 वर्ष की किश्तों पर और उससे कितना सा ब्याज लेते हैं। आप ही बतायें कि कितने मकान जयपुर में ऐसे बने हुए हैं कि जिसमें इतनी ज्यादा तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति ने मकान बनाया वह उसमें स्वयं रहता भी है? आपने कभी देखने का प्रयत्न किया है? आपने देखा है कि कितनों के मकान में गवर्नमेंट आफिसेज चल रहे हैं। इसके विपरीत दूसरी तरफ एक हरिजन आपसे मकान बनाने के लिए पैसा मांगता है तो आप कहते हैं कि पैसा नहीं है और 2॥ हजार पाने वाले को आप फौरन ऋण दे देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप 2॥ हजार पाने वाले की इतनी चिन्ता क्यों करते हैं? वह अपनी व्यवस्था अपने आप करेगा। पर नहीं उसकी चिन्ता आपको ज्यादा है और उसको आप बीस-बीस और तीस-तीस हजार का ऋण दे देते हैं, लेकिन जब हरिजन को सबसिडी देने का सवाल

(श्री दौलतराम सारण)

आता है, जब उसको मकान के ऊपर पैसे देने का समय आता है तो 750 से 1100 रु. के बीच में दिये जाते हैं तो कभी आपने कल्पना की कि क्या इस रकम में कोई मकान बना सकता है। आप जरा मकान बनाकर तो देखिये तब आपको पता लगे कि कितने में मकान बनता है......

श्री भैरोंसिंह : अमृतलाल जी ने बनाया है।

श्री दौलतराम सारण : लेकिन आपने धरातल से उतरकर नहीं सोचा कि यह कैसे सम्भव है? एक ऑफिसर दौरे पर जाता है उसको भत्ता मिलता है और उनके साथ एक चपरासी जाता है उसको भत्ता मिलता है, एक रुपया और एक ऑफिसर को मिलता है 5 रुपये और 7 रुपये और मिनिस्टर को भत्ता उससे भी ज्यादा–यह विषमता क्यों? यह आपके दृष्टिकोण का कारण है और इसलिये मेरा निवेदन है कि इन समस्याओं के समाधान का एक ही जरिया है कि आप अपने नजरिये को बदलें। केवल वाणी से समाजवाद नहीं आयेगा, केवल वाचालता से और भाषण देने के आधार पर लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। आपको वास्तविकता में उसको व्यवहार रूप में प्रकट करना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

2-3 मिनट में समाप्त कर दूंगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि भ्रष्टाचार का कारण अभी फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य श्री पी. के. चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण डिले है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण विलम्ब है। लेकिन मेरा निवेदन है कि भ्रष्टाचार का एक कारण अवश्य यह विलम्ब है परन्तु यह होता क्यों है? यह विलम्ब ही भ्रष्टाचार का केवल मात्र कारण नहीं है इसके अलावा और भी कई कारण हैं। जब मैंने सोचा कि यह विलम्ब होता क्यों है, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस विलम्ब का कारण टेलीफोन है। जब टेलीफोन होते हैं तो डिले होती है। इसलिये आपको इसके लिए मान्यतायें निर्धारित करनी पड़ेंगी। एक तरफ तो यह नियम है कि दो साल से पहले किसी का ट्रान्सफर नहीं होगा और एक तरफ एक आदमी के सात-सात और आठ-आठ बार ट्रान्सफर्स आप कर देते हैं और एक आदमी का दस दिन में ट्रान्सफर हो जाता है और फिर उसका कारण आप बताते हैं कि इसके लिए प्रशासनिक कारण हैं। जनता आपको कहती है कि यह आदमी अच्छा है इसका ट्रान्सफर नहीं किया जाये, सरपंच वहां का कहता है, प्रमुख कहता है, बी. डी. ओ. कहता है और सब कहते हैं कि इस आदमी को ट्रान्सफर नहीं किया जाये, इसने बहुत अच्छा काम इस क्षेत्र में किया है और इस प्रकार से सब संस्थायें आपसे निवेदन करती हैं कि यह ट्रान्सफर कैंसिल होना चाहिए यह व्यक्ति अच्छी सेवा कर रहा है आप कहते हैं कि नहीं हो सकता, अब क्यों नहीं हो सकता, तो आप धीरे से बता देते हैं कि सुखाडिया जी के जंवाई ने कह दिया है क्या करें, मजबूर हैं। एक तरफ एक आदमी की शिकायतें हैं, जनता परेशान है, सरपंच मंत्री महोदय से शिकायतें करते हैं कि आदमी बहुत गलत तरीके से पेश आ रहा है, जनता को परेशान कर रहा है और उसकी बदली नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसलिये नहीं हो सकती कि वहां आपका एक ऐसा आदमी है जिसके इशारे के बिना आप

(श्री दौलतराम सारण)

नहीं कर सकते। जनता से आपको मतलब नहीं आपको तो अपने गुरगों से मतलब है। मुझे तो खुशी होती मेरे भाई इधर बैठने वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पक्षपात का सहारा लेकर काम करती है। परन्तु आज सही स्थिति तो यह है कि उधर बैठें तो कांग्रेस और इधर बैठें तो कांग्रेस नहीं। इधर बैठ जायं तो राजा और रानी और उधर बैठ जायें तो दूध के धुले। इधर बैठ जायें तो पूंजीपति और उधर बैठ जायें तो बिलकुल गरीब। क्या नजरिया है? इसके लिये मैं आपसे निवदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का कारण जो है वह केवल डिले नहीं है। भ्रष्टाचार का कारण सबसे बडा तो यह है कि राजनैतिक हस्तक्षेप होता है। भ्रष्टाचार ऊपर से आता है नीचे से नहीं। नीचे वाले देखते हैं कि ऊपर घोटाला है तो अपने भी कमालें। जब गंगानगर और जयपुर से चनेचूरी की निकासी के लिए कलेक्शन होता है तो वहां के एग्रीकल्चर ऑफिसर एक रुपया बोरी के ऊपर तय कर लेते हैं तो वह भ्रष्टाचार तो आपका पैदा किया हुआ है। आपको पता नहीं वहां पर 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख रुपये का कलेक्शन होता है। और उसके बाद में शिकायतें आती हैं और आप जवाब दे देते हैं कि शांत हो जाओ। आपके जवाब की, आपको मालूम है कि कितनी मखौल होती है, इसको प्रत्यक्ष रूप से लोग जानते हैं। अब इसके लिये यदि शिकायत होती है तो आप जांच किससे कराते हैं जो लेता है उनसे। जब किसी को सजा नहीं होती तो हौसला बढता है। इसलिये भ्रष्टाचार का दूसरा कारण गलतियों पर सजा नहीं दिया जाना है। तीसरा कारण है ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। चापलूसी करने वाले और जी हुजूरी करने वाले लोगों को प्रमोशन्स दिये जाते हैं, उनका अच्छा पोस्टिंग होता है, इसलिये भ्रष्टाचार का प्रसार हो रहा है। इसलिये मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार नीचे से नहीं आया, सामाजिक कारणों से नहीं आया, बल्कि भ्रष्टाचार राजनैतिक कारणों से बढता है और उसको राजनैतिक तरीके से ही रोका जा सकता है, सामाजिक तरीकों से नहीं, यह मेरी मान्यता है। मैं इसके साथ ही साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भूमि सुधार की बात करते हैं, वह आपका लेण्ड यूटीलाइजेशन एक्ट कहां गया, उसके अन्तर्गत आपने कभी कार्यवाही की? सीलिंग कानून का क्या हुआ? आप कहते हैं कि इसको 58 से ही लागू करेंगे और 58 के बाद जमीनों के कितने ट्रान्सफर हो गए और कहते हैं कि इसी रूप में लागू करेंगे अब संशोधित नहीं करेंगे। कानून जनता को कुचलने के लिए नहीं बनाया गया है। आपने गलती की है आप 10 साल तक कानून को अमल में क्यों नहीं लाये? लोग आपकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जमीनें बेची और खरीदी गयी हैं। तो आपने गलती की है, जनता ने गलती नहीं की है। कोलोनाईजेशन एरिया के अन्दर आप आज तक.....

श्री भैरोंसिंह : आप चाहे यहां पर कितना ही कहो, अब कांग्रेस पार्टी में ताकत नहीं कि वह सीलिंग कानून को उस रूप में लगा दे। भाषण की बात दूसरी है, होगा वही जो आप कह रहे हो, दूसरा कुछ नहीं होगा।

(श्री शिवचरणसिंह कुछ बोलने के लिए खडे हुए)

श्री दौलतराम सारण : आप बैठिए मेहरबानी करके।

(श्री दौलतराम सारण)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने समाज सुधार का कानून बनाया, सागडी प्रथा रोकने के लिए भी आपने कानून बनाया और सेंटर के भी दूसरे कानून बनाए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन पर कार्यवाही हुई? उनको बना कर जनता की गाडी कमाई का पैसा बेरहमी से उन पर खर्च कर दिया गया, लेकिन क्या एक कानून पर भी अमल हुआ। जब रिप्लाई दिया जाय तब बतायें कि सागडी प्रथा के अन्तर्गत कितने लोगों के केस दायर किए गए और कितने लोगों के चालान हुए।

श्री अध्यक्ष : आप शीघ्र समाप्त करेंगे अब।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, अब समाप्त करने पर ही हूं। इसी तरह से आपने लेने देने के धन्धे को, ब्याज के धन्धे को नियंत्रित करने का कानून बनाया, लेकिन उस कानून के अमल का मामला भी साफ है। वह इसलिये, क्योंकि आपके कांग्रेस में उन लोगों का वर्चस्व है जो बोरगत का धन्धा करते हैं। कांग्रेस कभी उस पर अमल नहीं कर सकती। और भीखाभाई कल यहां भाषण झाड रहे थे और आदिवासियों और गरीबों की वकालत कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि इन आदिवासियों के लिए सागडी प्रथा के अन्तर्गत कितनी सेवा करवाई और कितने केस रजिस्टर किए गए और कितने चालान पेश किए गए। जीरो। समाज सुधार का मामला चौपट, भूमि सुधार का मामला चौपट। एक लगान माफ करने की बात कही गई। अभी अपोजीशन का संयुक्त रूप से जो फोर्स पडा तो लगान की माफी का एक टुकडा डाल दिया और इसमें भी भेद कर दिया। कुछ लोगों का लगान माफ और कुछ पर लगान रहेगा। यह भेद की नीति छोड दें मेहरबानी करके। लेकिन भेदभाव पैदा करना तो आपका मुख्य काम है। हिन्दू अगर कोई जुलूस निकालेगा, जैनी कोई सवारी निकालेगा, और कोई अपने भगवान की सवारी निकालेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुसलमान ताजिए निकालेंगे तो इजाजत लेनी पडेगी। अगर हिन्दू शादी करता है तो एक औरत से ही कर सकेगा लेकिन मुसलमान अगर शादी करता है तो मर्जी आए जितनी औरतों से कर सकता है।

(विपक्ष की ओर से हियर हियर की आवाजें)

परिवार नियोजन के मामले में भी मुसलमानों पर पाबन्दी नहीं, हिन्दुओं को छेडा जाएगा। यह तो भेदभाव पैदा करने की और साम्प्रदायिक भावनाएं पैदा करने की आपकी खुद की नीति है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : परिवार नियोजन की बात करते हैं, आपके कितने बच्चे हैं?

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खडे हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल यादव।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी): माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष...

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल यादव।

श्री अमृतलाल यादव (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो वाद-विवाद चल रहा है, उसमें मैं भी अपने आपको शामिल करना

Page No.85

(श्री अमृतलाल यादव)

चाहता हूं। अभी तक बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार इसके संबंध में प्रस्तुत किए। मैं भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद देने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसमें मैं भी शामिल होना चाहता हूं क्योंकि मैंने उस अभिभाषण को पढ़ा है। जो छोटी जोतें हैं उनके लिये राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि छोटी जोतों पर लगान नहीं लिया जाएगा। यहां कोई भी व्यक्ति जो जरा भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है वह इस बात पर अपनी प्रसन्नता जाहिर किए बिना नहीं रह सकता और माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता क्योंकि एक महत्वपूर्ण कदम राजस्थान में उठाया गया है। इसकी सराहना न केवल यहां बल्कि राजस्थान के बाहर भी हो रही है।

इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी विषम होते हुए भी हमारे यहां जितने दुर्भाग्य से अकाल पड़े उसके मामले में साहस के साथ और हिम्मत के साथ राजस्थान सरकार ने कदम उठाया और राज्य का लगान माफ करना, जो लोग बेकार हैं उनको काम देना और जो छोटे-मोटे खेती की उन्नति के काम हो सकते थे उन कामों को पूरा करना और जो विकास के काम हो रहे हैं उनको आगे बढ़ाना, ये इतने महत्वपूर्ण काम हैं कि जिनकी वजह से कोई भी जिम्मेदार सदस्य माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सकता।

दूसरा कदम जो आज हिन्दी के बारे में कहा जाता है। सारे देश में इस बात की चर्चा है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिए कुछ विशेष प्रयत्न किए जायं और जल्दी से जल्दी कदम उठाये जायं। मैं समझता हूं कि कोई भी जिम्मेदार सदस्य इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि राजस्थान सरकार ने जिस तेजी के साथ हिन्दी को अपने यहां अपनाने के लिए कदम उठाया है इसलिये कोई भी उनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। तो माननीय अध्यक्ष, मैं इसके लिए राज्यपाल महोदय को धन्यवाद का पात्र समझता हूं। मैं यह मानता हूं कि चुनावों के पहले राजस्थान में जो स्थिति बनी थी वह एक बड़ी भयावह स्थिति बनी थी। यह लगता था कि सामन्ती तत्व और सामन्ती तत्वों के साथ पूंजीवादी तत्व, ये सब मिल कर इस प्रजातंत्र को खा ही जायेंगे, निगल ही जायेंगे, इस बात का डर लगता था। लेकिन राजस्थान के अन्दर आगे जिस तरह से एक साथ सामन्ती तत्वों का और पूंजीवादी तत्वों का, दोनों तत्वों का मुकाबला करते हुए अन्य जगहों की बजाय राजस्थान में जो कामयाबी आज कांग्रेस ने हासिल की वह देश के अन्दर आज तक किसी दूसरी जगह हासिल नहीं हुई है। इस बात का हमको फक्र है और इस बात को मानकर चलते हैं कि जो लोग इस बात पर आक्षेप करते हैं कि जनता ने कांग्रेस को पसन्द नहीं किया वह जरा इस बात को देख लें। अभी तक मैंने उनके भाषणों को सुना। उन्होंने इतना तो मंजूर किया है कि सिंगल मेजोरिटी पार्टी के तौर पर कांग्रेस आई लेकिन कांग्रेस को ज्यादा जनता ने पसन्द नहीं किया। मैं आपसे माननीय अध्यक्ष, यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस को जनता ने नापसन्द नहीं किया। यह ठीक है कि कांग्रेस से इस

(श्री अमृतलाल यादव)

जनता को थोडी बहुत नाराजगी थी और उस नाराजगी का लाभ इन पार्टियों ने उठा लिया, यह दूसरी बात थी। लेकिन आज भी कांग्रेस के लिए लोगों के दिलों में जगह है, पहले भी जनता के दिलों में जगह थी, आज भी है और कल भी रहेगी, इस बात से कोई इन्कार नही कर सकता। मेरे माननीय मित्र अभी भाषण कर रहे थे। मैं माननीय अध्यक्ष, निवेदन करना चाहता हूं कि जो आदमी मैदान में लडता है और लडते 2 सिर कटा लेता है उसको शूरवीर कहा जाता है लेकिन जो योद्धा मैदान को छोड कर चला जाता है उसको शूरवीर नही कहा जाता, उसको भगोडा कहा जाता है। ऐसा भगोडा इंसान क्या लडेगा। क्या तथ्य है और क्या असलियत है यह उसकी समझ में नहीं आ सकता। इतने साल तक तो कांग्रेस के अन्दर रहे, इतने सालों तक तो उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया और आज परिस्थिति विशेष के अन्दर वे कांग्रेस से भाग कर चले गए। माननीय अध्यक्ष, कोई व्यक्ति अगर दूसरे का नुकसान करने के लिए अपना घर जला ले या दूसरे का शगुन बिगाडने के लिये अपनी नाक कटा ले तो क्या किया जा सकता है। कह नहीं सकते कि इसमें उनकी क्या मजबूरी है।

अभी शराबबन्दी की बात कर रहे थे और यह कह रहे थे कि कांग्रेस के सदस्यों से पूछो तो सही कि उनमें से कितने ऐसे हैं जो शराब नहीं पीते। मैं कहता हूं कि मैं एक ऐसा हूं जो शराब नहीं पीता हूं।

(व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाकी तो पीते हैं।

श्री अमृतलाल यादव : कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वे इसको बुरा मानते हैं और आज जिसे बुरा मानते हैं उसको छुडवाने की पूरी 2 कोशिश करते हैं। लेकिन वे माननीय सदस्य चले गये मैं उनसे पूछना चाहता था, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि काणोता हाउस में आपने शराब पार्टी और विधायक जब वहां पर बन्द थे तो उनको बोतलों के बीच में बैठाकर रखा और आज आप शराबबन्दी की बात करते हैं। . . . .

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह शराब नहीं थी वह तो व्हिस्की और ब्राण्डी थी।

श्री अमृतलाल यादव : एक माननीय सदस्य जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, और इस क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है उसकी बहुत सराहना करता हूं, और मैं यह विश्लेषण करता हूं कि यदि वे इस क्षेत्र में आगे भी काम करेंगे तो मैं पूरा सहयोग दूंगा।

(4.20 म. प.)

(श्री केशरनाथ, सभापति पद पर आसीन)

अभी तक का अनुभव यह रहा है कि जो खुद एम. एल. ए. बनकर आये हैं उनमें यह प्रेरणा लें कि जो बोतलों को नहीं समझते थे वे बोतलों के आदी हो गये। आप उधर से प्रयत्न कीजियेगा और आप उधर कितना कर पायेंगे यह समय बतायेगा, और कुछ तरक्की कर पाये तो मुझे बडी खुशी होगी, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि आज कांग्रेस के ऊपर कीचड उछालने वाले लोगों से पूछना चाहता

(श्री अमृतलाल यादव)

हूँ कि उनके एक माननीय नेता श्री राजगोपालाचारी कांग्रेस से नाराज होकर चले गये, लेकिन सारा देश इस बात को जानता है कि उस जैसा महापुरुष भी कांग्रेस से निकलने के बाद देश में अच्छी स्थिति पैदा नहीं कर सका, उसने कांग्रेस से अच्छी पार्टी नहीं दी और कांग्रेस से कोई अच्छी चीज नहीं दी। अगर ऐसा होता तो देश इस बात को एप्रिशियेट करता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बाद और दूसरे लोगों ने भी कांग्रेस को छोड़ा, लेकिन वे कांग्रेस से कोई अच्छी चीज नहीं दे सके। हमारे पूज्य नेता श्री जयप्रकाश नारायणजी थे उन्होंने कांग्रेस को इसलिये छोड़ा कि वे जो अपेक्षा रखते थे वह कांग्रेस में पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने खुद ने इस बात को मन्जूर किया कि कांग्रेस से निकलने के बाद उन्होंने जो पार्टी बनाई, उन्होंने जो प्रयत्न किया उसके लिए उन्होंने खुद ने मन्जूर किया कि उनका वह स्वप्न पूरा नहीं हुआ और उनका वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को मैं मन्जूर करता हूं एक कांग्रेस में के नाते कि जो कांग्रेस 20 साल पहले थी वह आज नहीं है, और जो 10 साल पहले कांग्रेस थी वह बात आज उसमें नहीं है। कांग्रेस में अवसरवादी लोग आये हैं। कांग्रेस में अनडिजायर्ड एलिमेंट आये हैं, लेकिन वे आपकी कृपा से आये हैं। आप लोगों ने पोलिटिकल एडजस्टमेंट ऐसा किया है जिसकी वजह से कांग्रेस को इस बात के लिये मजबूर होना पड़ा, लेकिन कांग्रेस में आज भी वह क्षमता है कि वह देश को जमा हुआ शासन दे रही है, और यहां राजस्थान को जमा हुआ शासन दे रही है। कांग्रेस के अन्दर आज कुछ शिकायतें हैं, लेकिन कांग्रेस आज कम से कम राजस्थान में विकास जैसी चीज को लेकर चल रही है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भूतपूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर साहब जो बहुत ही प्रगतिशील अपने आपको कहते थे माननीय सभापति महोदय, उनके साथ मैं तीन बार दौरे पर गया और इस बात को देखने के लिए दौरा किया कि वे भूमि-वितरण में हरिजनों और भूमिहीनों को प्राथमिकता देंगे।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : मिनिस्टर साहब का नाम बताया जाय।

श्री अमृतलाल यादव : चौधरी कुम्भाराम जी।

.....लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हरिजनों को भूमि देने के बजाय वे तो भूमि ढूंढ रहे थे कोटा के अन्दर जो कि कमाण्ड रेन्ज में हो तो किसी जाट को दी जाय और किसी गंगानगर के व्यक्ति को दी जाय।

इसी तरह से अभी वे प्रगतिशील बातें कह रहे थे लेकिन सीलिंग का कानून विधान सभा में लाने के वक्त में उसको किसने रोका? विधान सभा से पास हो जाने के बाद उसको इम्प्लीमट करने के लिये कितनी देरी हुई, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस तरह से आप देखेंगे कि आपका कहना कहां तक ठीक है? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि किसी बात के कहने में, कथनी में और करनी में बहुत बड़ा अन्तर होता है, लेकिन कोई इधर से उधर बैठ जाने में अन्तर आ गया हो ऐसा आप मान सकते हैं, जनता नहीं मान सकती है। आज

(श्री अमृतलाल यादव)

भी जनता का कांग्रेस के अन्दर विश्वास कायम है, और जो एक परिस्थिति भयकर पैदा हो गई थी और सारी जनता यह चाहती थी कि राष्ट्रपति का शासन हटे और कांग्रेस का शासन आये, और जब कांग्रेस का शासन स्थापित हुआ तो आज सारी जनता में इस बात से इस ओर से उस ओर तक खुशी की लहर फैली हुई है। वह अब जो जनतन्त्र बचाओ समिति बनी थी और जो जनतन्त्र के लिए बोल रहे थे तो आज राजस्थान की जनता ने महसूस किया है और आज वे चौपड पर मीटिंग करके देखें, आज राजस्थान में इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें करके देखें तो उनको सफलता नहीं मिल सकेगी जो कि जनता को गुमराह करके बड़ी बड़ी मीटिंगें करते थे वे आज करें। और मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इससे यह स्पष्ट है कि आज राजस्थान की जनता यह चाहती है कि कांग्रेस की जो सरकार कायम हुई है वह कुछ काम करे। इसमें कोई शक नहीं है कि आज तक कांग्रेस सरकार जिस तरीके से चल रही थी उस तरीके से उसे आगे बढना होगा और नये तरीके से इसको चलना होगा और जनता के दुःख और तकलीफात को दूर करना होगा। एक लोग तो ऐसे होते हैं जो खाली बकवास करते हैं और एक लोग वे होते हैं जिनको काम करना होता है और जो जनता की वास्तव में सेवा करना चाहते हैं। मैं यह मानता हूं कि जनता बात नहीं करना चाहती है वह काम चाहती है और कांग्रेसजन काम करना चाहते हैं और जनता ने इसके लिए उनको सम्मान दिया है। इसलिये हमको आज जनता की तकलीफात को देखने के लिये अगर कोई तरीका ऐसा है जिनसे वे दूर होती हैं तो उनको देखना होगा। जिनसे तकलीफात होती है उन चीजों को दूर करना होगा।

मैं, माननीय सभापति महोदय, एक बात राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं और वह बात यह है कि राजस्थान कैनाल राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उससे लाखों बीघा जमीन इरिगेट होगी। इस राजस्थान का हर चौथा आदमी पिछड़ा हुआ है और भूमिहीन है, और आज राजस्थान सरकार इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकती है कि यह जो सदियों से बेगारी रहा है और सदियों से जागीरदारों और जमींदारों की जमीनें जोतता था वह आदमी आज बेगारी बना रहे, आज भी वह भूमि से वंचित रहे। आप आज पिछडे हुए लोगों को वजीफा मत दीजिये, उनको हाउसिंग के लिए सहायता मत दीजिये उन लोगों को आप, क्योंकि वे भीख मांग कर नहीं खाना चाहते हैं और कमा कर खाना चाहते हैं, तो हर सरकार का यह फर्ज है कि वह उनके लिए अपोर्चुनिटी प्रोवाइड करे, ताकि वह कमाकर खा सके। राजस्थान कैनाल में उन लोगों की जनसंख्या के अनुपात में उन लोगों के लिए जमीन सुरक्षित रखी जाय। आप कोई भी क्राइटेरिया तय करें चाहे वह एक मुरब्बा प्रति परिवार हो चाहे दो मुरब्बा प्रति परिवार हो, लेकिन राजस्थान कैनाल के इलाके में पिछडे हुए लोगों को जो भूमिहीन हैं और हरिजन हैं उनको जमीन दें। अगर उनको जमीनें नहीं मिली तो मैं राजस्थान सरकार को कहना चाहता हूं कि इन भूमिहीनों की समस्या बराबर बनी रहेगी। इस बात को मत भूलिये कि वेस्टेड इन्ट्रेस्ट इस काम को कभी नहीं होने देंगे, लेकिन बहादुरी के साथ राजस्थान सरकार को यह कदम उठाना

Page No.89

(श्री अमृतलाल यादव)

पड़ेगा और उठाना चाहिए, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि उनको आप मुफ्त में दें। जमीनों के आवशन में वे लोग खड़े नहीं हो सकते, पर जमीन की फिक्सड कर दें कीमत, वह 16 या 20 इन्स्टालमेंट हो सकती है, वह कर दें, और जब आप उस आदमी को फाइनल पजेशन दें और उसके बाद जब पानी जमीन पर आ जाय तो उसके दो साल बाद उनसे किश्त वसूल करना शुरू कर दें। मैं गारन्टी करता हूं कि अकेली राजस्थान कैनाल से देश की अन्न समस्या हल होगी और राजस्थान के भूमिहीनों का सवाल हल होगा और उससे राजस्थान सरकार का देश के सामने मस्तक ऊंचा रहेगा और उसको देश का इतिहास याद रखेगा।

इसके बाद मैं वनों के बारे में कहना चाहता हूं। वनों के बारे में सरकार की वही घिसी पिटी नीति आज भी चलती है। ऑफिसर लोग और टेक्निकल लोग आब्जेक्शन इस बात का उठा देते हैं कि साहब इतना जंगल चाहिए क्योंकि इतनी जमीन में जंगल नहीं है इसलिए यह जमीन रिलीज नहीं कर सकते। उनकी मर्जी आये तो वह जमीन को रिलीज कर दें और उनकी मर्जी नहीं आये तो जमीन को रिलीज नहीं करें। मैं सरकार से नम्रतापूर्वक निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज केवल वनों में से आप कूपों को बेच कर, कूपों का आवशन करके आमदनी कर लेते हैं और उसकी खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत बडी आमदनी करली किन्तु मेरी राय में यह एक दकियानूसी और पुरानेपन का विचार है। असल बात यह होनी चाहिए, और यह आज के समय का तकाजा भी है इसलिए आपको यह करना पड़ेगा कि जितना कल्चरेबल लैंड है उस लैंड पर अब केवल घास की बीडें खडी नहीं रह सकती हैं। एक तरफ इन्सान तो भूखा मर जाय और दूसरी तरफ आपकी यह घास की बीडें खडी रहें—अब यह नहीं हो सकता है। बुभुक्षीतम् किम् न करोति पापम्। आज लोग भूख से मर रहे हैं और भूख के कारण पेडों की छाल तक खा रहे हैं उस समय यह घास की बीडें खडी नहीं रह सकती हैं। इसलिए यह घास की बीडों की जमीन तुरन्त भूमिहीन लोगों को दी जायं और जिस जमीन पर खेती हो सकती है ऐसी जमीन पर खेती कराई जाय। ऐसी जमीन पहाडों पर जहां है उस जमीन के ऊपर कार्मशियल क्रोप लगवानी चाहिए और उससे सरकार को आमदनी करनी चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। एक लाख होती है, इस लाख की बहुत सी चीजें बनती हैं, राजस्थान में लाख का चूडा बनाया जाता है। यह लाख आप झरबेरी पर लगावें, जंगल और पहाडों पर लगायें, झाडियों में लगाई जाय तो इस लाख से ही सरकार को बहुत सी आमदनी हो सकती है। एक हमने डाक्यूमेन्ट्री फिल्म बनवाई थी-लेक्स बाई लाख, वह बात इस तरह का काम करने से बिल्कुल सही हो सकती है, आज इस बात को कौन नहीं जानता है।

इसके अलावा डूंगरपुर-बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि डूंगरपुर-बांसवाड़ा का सागवान बहुत मशहूर है। लेकिन आज उसी सागवान का वहां पर एक पेड नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं वहां पर आप कार्मशियल अफारेस्टेशन करें और सागवान और टीक का प्लान्टेशन करें। इसके अलावा कई जगह

(श्री अमृतलाल यादव))

पर रेशम के कीडों का प्लान्टेशन कर सकते हैं। आज बडी अजीब बात है कि जैसलमेर के अन्दर शिव तहसील में घास खडी खडी सूख जाती है। हम इस बात को जानते हैं कि हमारे यहां की जरूरत के लिए हम घास यू० पी० से मंगाते हैं। आज तक शिव तहसील के अन्दर बढ़िया सेवन घास होती है, उसको यहीं पर काम में लाया जा सकता है।

मैं छोटी सादडी का रहने वाला हूं और मेरी यह पर्सनल जानकारी है कि वन विभाग, फारेस्ट डिपार्टमेन्ट ठेकेदारों को घास काटने का ठेका दे देता है। वह घास कटवाते हैं और वहां के लिये जरूरत के माफिक घास बाहर से मंगाई जाती है। क्यों नहीं आप यह कर सकते हैं कि वह घास आप डिपार्टमेंटली कटायें। अगर डिपार्टमेंटली इस काम को करायें तो उससे गरीब आदमियों को घास कटाई की मजदूरी मिलेगी और सरकार को भी घास प्राप्त हो सकेगी। ऐसी चीजें आज बहुत सी चल रही हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में आज बहुत सी जडी बूटियां हैं, जैसे हमारे यहां पर बेलपत्र है, गिलोय है और असगन्द है। यह ऐसी चीजें हैं जो बहुत आवश्यकता की हैं। आज लाखों रुपयों की जडी बूटियां हम बाहर से मंगाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि यह जडी बूटियां हमारे यहां जंगलों में उगाई जायं। इसके अलावा, हरड, बहेडा और आमला हमारे यहां के जंगलों में मिलता है। इन चीजों का प्लान्टेशन हम कर सकते हैं। इन सब चीजों का प्लान्टेशन हमें करना चाहिए और इसके लिए हमको निश्चित रूप से नये

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

से तरीके से सोचना और देखना चाहिए कि हम अपनी वन सम्पदा का विकास करके उसका अधिक से अधिक उपयोग अच्छे तरीकों से करने का विचार रखते हैं जिससे हमें अधिक से अधिक आमदनी हो और भूमिहीनों का सवाल भी इस तरह से हल हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि जो नशाबन्दी की बात है, मैं यह उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं आपके जरिये से कि इस सारे सदन की क्यों नहीं एक एम. एल. ए.ज की समिति बनाई जाय ......

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छी बात है।

श्री अमृतलाल यादव : चाहे इधर बैठने वाले हों और चाहे उधर बैठने वाले हों, कोई भी हों, हम मिल कर कोशिश करें और एक एक व्यक्ति को समझायें और उसको मनायें। हम उनको बतायें कि यह बात ठीक है, इसको आपको छोड़ना चाहिए। इसलिए इस प्रकार से शराब को हमें छुड़ाना चाहिए। लेकिन एक सवाल रहता है, शराबी की कल तक प्रतिष्ठा नहीं समझते थे, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं थी, कल तक जब शराब पीने वाला आपके सामने आता था तो शर्मिन्दा होकर आता था, उसके विपरीत आज यह शराब एक प्रतिष्ठा की चीज बन गई है, यह एक सामाजिक प्रतिष्ठा की चीज बन गई है। आज शराब पीने वाले को, सिगरेट पीने वाले को समाज में ऊंचा समझा जाता है। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं है कि शराब और सिगरेट के कारण ही लाखों, लाखों क्या करोडों और अरबों रुपया इस देश का बर्बाद होता है। मेरी मान्यता है कि यह बुराई केवल एक दूसरे

(अमृतलाल यादव)

पर आक्षेप करने से ही दूर नहीं होगी बल्कि इसके लिए निरन्तर कोशिश करनी होगी। मैं इस बात को मानने वाला हूं, जो कि ठक्कर बापा ने बताई थी। आपने ठक्कर बापा का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने बताया था कि असल कामयाबी तो इस बात में है कि शराब की दुकान में शराब की बोतलें रखी रहें लेकिन उनको कोई पीने वाला नहीं हो। सरकार तो संखिया और जहर भी बेचने देती है लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है जो संखिया और जहर को खाने के लिए खरीदेगा। कौन संखिया और जहर खाकर जान खोता है। इसलिए हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि एक दूसरे पर आक्षेप करने की बात को छोड दें, इस बात को छोड दें कि यह सिस्टम और वह सिस्टम खराब है या अच्छा है। मैं यह मानता हूं कि गारन्टी सिस्टम में बिल्कुल पसन्द नहीं करता हूं। मैं यह जरूर मानता हूं, जैसा गांधीजी ने कहा था यदि एक दिन या एक घंटे के लिए मुझे डिक्टेटर बना दिया जाय तो सारे देश में जो पहला काम करूंगा, वह शराबबन्दी का काम करूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि हमने विदेशों से ऋण लेकर पंचवर्षीय योजनायें बनाई और अफीम का जो लोग सेवन करते थे वैसे आज चीन हमारा शत्रु देश है लेकिन हमने अफीम को स्टेजेज में खत्म किया। इसी तरह से हम शराब को भी स्टेजेज में खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उपयुक्त वातावरण बना कर जो इससे आमदनी होती है उसके और जरिये

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पैदा करने होंगे। इसके अलावा जोलोग टैक्स का इवेजन करते हैं, उसके लिए भी प्रयत्न करना होगा कि वह टैक्स का इवेजन न करे। हमें इस बात को मान कर चलना चाहिए कि राजस्थान सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है वह प्रेक्टीकल कदम हैं। इस दिशा में हम आगे बढने की फिजा पैदा करें तो इस चीज के प्रति सामाजिक घृणा पैदा हो जायगी। इसी तरह से भ्रष्टाचार के प्रति और ब्लेक मार्केटिअर्स के प्रति भी सामाजिक घृणा पैदा हो जायगी। हम विधायक दो करोड जनता के प्रति इस बात की प्रतिज्ञा लेकर आये हैं कि हम राजस्थान के अन्दर शुद्ध सामाजिक वातावरण बनायेंगे। यदि हम समाज में प्रयत्न करके ऐसा वातावरण बनायें तो हमारे व्यक्तित्व का और हमारे कार्यों का समाज पर असर पड सकता है और हम इस देश की, इस राजस्थान के जरिये महान सेवा कर सकेंगे जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री अमीलालजी।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : सभापति महोदय, अभी थोडी देर पहले जब अध्यक्ष महोदय विराजमान थे....

श्री सभापति : इनके बाद में आपको।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं तीन रोज से खडा हो रहा हूं।

श्री सभापति : मैंने अमीलाल जी का नाम ले लिया है।

श्री लादूराम सुलानिया : क्या यह आज भाषण समाप्त कर देंगे।

श्री सभापति : मैंने अमीलाल जी का नाम ले लिया है इस के बाद आप।

श्री जयकिशन (थानागाजी) : अभी हमारी पार्टी की ओर से बहुत कम व्यक्ति बोले हैं, इसलिए हमारी पार्टी का समय बाकी रहता है वह हमें मिलना चाहिए।

श्री सभापति : जरूर देंगे। श्री अमीलाल जी। केवल दस मिनट।

श्री विजयसिंह : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि उनकी पार्टी का समय बाकी है, उसी तरह हमारी पार्टी का समय भी बाकी है।

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय ने जैसा मुझे आर्डर दिया है उसका मैं पालन कर रहा हूं।

श्री अमीलाल (बहरोड) : माननीय सभापति महोदय, अभी दो तीन दिन से गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, उसमें सबसे पहले चुनाव के सम्बन्ध में बहुत कुछ बहस हो चुकी है। यह बात सभी जानते हैं, और खुले मन से यदि कोई वास्तव में सोचे तो यह अच्छी तरह समझा जा सकता है कि जिस तरह चुनाव में हुकूमत का इस्तेमाल किया गया है, और जिस तरह से जो चीजें हुई हैं, उनके इन दिनों के आंकडें लिये जायं तो उनसे स्पष्ट होगा कि वास्तव में चुनाव के दिनों में जिस तरह से अनाज का वितरण हुआ है और विकास कार्य चल रहे थे, मैं तो इस समय यही अर्ज करना चाहता हूं चेअर के जरिये कि यदि गवर्नमेन्ट उसी प्रकार से उन कामों को चलाती रहे तो बहुत ही उत्तम होगा। मैंने यह देखा है कि उन दिनों के अन्दर जितना अनाज विभिन्न जगहों पर पहुंचाया जा रहा था, वह चुनाव के दूसरे दिन से एक चौथाई भी नहीं पहुंचाया जा रहा है। उसी प्रसार से जो विकास कार्य चल रहे थे, पता नहीं कि क्या बात है, वह काम भी वहीं रोक दिये गये। मैं अपने क्षेत्र की ही मिसाल देता हूं। हमारे यहां पर दो सडकों का काम चल रहा था, एक तो भोमपुर से पुदीना और दूसरी माधुरी कलां से कैलसा, जो नारनौल तक जाती है, इन पर फरवरी के महीने में काम शुरू हुआ था। वह काम क्यों बन्द हो गया इसका तो मुझे पता नहीं है, मैं इस बात को सवाल के जरिये पूछूंगा कि क्या वह काम चुनाव के दिनों के लिए ही चालू हुए थे, इसलिए ही वह अब बन्द कर दिये गये ? यदि चुनाव के दिनों के लिए नहीं चलाये गये थे तो अब क्यों नहीं चलाये जा रहे हैं तो यह बात सही है और सब जानते हैं और अगर सच्ची आत्मा और मन से इस पर सोचें तो कौन नहीं जानता कि वास्तव में चुनाव जीतने के लिये ही इन तरीकों को काम में लिया गया। इस पर मैं बहुत ज्यादा न बोल कर मैं उन मुद्दों पर आना चाहता हूं कि दरअसल जो हमारा समाज है और जिस राज्य में हम रह रहे हैं और जिस राज्य से हम उम्मीद करते हैं कि जिस समय हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ था और अंग्रेजों से बडी मुश्किल से हमने अपना पीछा छुडाया था, उस समय हम सोचा करते थे कि जो बुराइयें उस शासन में थीं और जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसे हम जब आजाद भारत में जनता के रिप्रेजेन्टेटिव के रूप में जावेंगे तब दूर करेंगे और हम हमारे देश, प्रदेश की अच्छाई की बातें करेंगे और उन पर विचार करेंगे कि हमारे प्रान्त और देश की किस तरह से उन्नति हो सकती है। मगर हम देखते हैं कि एसेम्बली बनी और हमारे यहां पर विकेन्द्रीयकरण भी हुआ। लेकिन वहा पर क्या होता है, मैं जानता हूं कि क्या होता है क्योंकि मैं इससे पहले प्रधान रह चुका हूं और चुनावों के बाद अभी हटा हूं।

(श्री अमीलाल)

मेरा निजी अनुभव है कि वास्तव में जो आंकडें यहां पर दिये जाते हैं और बताये जाते हैं वे सही नहीं होते हैं। जो आंकडे कागजों में बताये जाते हैं अगर उनको सही रूप से देखें तो आपको मालूम होगा कि जो कार्य होते हैं और जिसके आंकडें दिखाये जाते हैं उसमें रुपये में चार आना काम भले ही कह सकते हैं कि चल सकता हो। मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस समय हम सरकार से यह कहते हैं कि हमें किसानों को खेती के लिये देने के लिये बीजों को आवश्यकता है मगर उस समय हमको बीज नहीं दिया जाता है। बीज यदि उस समय दे दिया जाता तो काफी लाभ किसानों को होता लेकिन उस वक्त बीज दिये जाते हैं जब बिजोरी हो जाती है और कटाई का समय नजर आता है। इसका खास कारण यह है कि हमारे यहां के प्रशासन में कमजोरियें हैं। यदि हम इसके लिये देखें कि हम अपने कार्यों को पूरा कराने में कितने जागरूक रहते हैं और कितने कार्य पूरे होते हैं तो तीन महीनों में या चार महीनों में या हाफ ईयरली आप उन पर विचार करके देखें कि कितने कार्य पूरे किये हैं। इस बात पर प्रशासन में कोई दौर नहीं हुआ है। ठीक है कमेटी को बात करते हैं। कमेटी के सुझाव आते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कमेटी के सुझाव आ जाते हैं मगर फिर भी कागजों पर ही पडे रहते हैं और उनकी कभी पूर्ति नहीं होती है। इसका कारण एक ही है कि जब हम अपनी जिम्मेदारी को निभावेंगे तभी प्रतिनिधि उस पर चलेंगे।

आप देखें कि दरअसल हम यह चाहें कि प्रशासन में कोई गडबडी नहीं हो और अगर हो तो हम उसको पकड लें और अगर हमें नियमों में चलना है और आफिसरों को नियमों के अनुसार चलाना है तो आप आफिसरों से कोई भी अनुचित कार्य नियमों के विरुद्ध न करावें। इसलिये मैं यह कहूंगा कि यदि कोई भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है तो वो व्यक्ति है जो राज्य करते हैं और जिनके हाथों म सत्ता है और सत्ता में अगर वे स्वयं सच्चे हैं तो कोई भी उनके नीचे कार्य करने वाला अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्ट नहीं होगा और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि हम जो राज्य करने वाले हैं उन्हीं में भ्रष्टाचार है। इसलिए सबसे पहले हमको नैतिकता को ऊंचा उठाना चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस महकमे में जाते हैं और जिधर भी देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि यदि सच्ची बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आया यह बात सच भी होगी। इसलिए यदि आपको अपने को और समाज को ऊपर उठाना है या कृषि को ऊपर उठाना है और जो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 80 प्रतिशत किसान रहते हैं अनाज के मामले में स्वावलंबी हो सकते हैं।

आज हम किस प्रकार से बाहर से अनाज मंगाते हैं और किस तरह से उसका वितरण होता है यह डिफिकल्टी हमारे सामने आई। आज हर जगह नाम तो काश्तकारों के उत्थान का और हरिजनों के उत्थान का लेते हैं और किताबों में भी लिख देते हैं और योजना में भी लिख देते हैं कि इतना कार्य हुआ लेकिन वास्तव में कितने कार्य आप उनके लिए करने जा रहे हैं और कितने कर पाये हैं यह नहीं कह सकते। क्या आपने इसका कभी विश्लेषण करके कभी पिछले 20 सालों में देखा है। आज कभी भी इसके बारे में चर्चा होती है तो ज्यादातर लोग

(श्री अमीलाल)
यह कहते हैं कि इसका तो क्या है यह अभी शुरूआत की बात है। योजनाऐं पूरी होंगी तब कोई लोग भूखे नहीं रहेंगे। तो जो राज्य करने वाले आदमी हैं वे इस प्रकार की दलीलें देते हैं।

मेरी समझ में नहीं आता कि वास्तव में जिन लोगों को जो गांवों में रहते हैं और आज आप जिनके लिए भूमि एलाटमेन्ट की बातें करते हैं उन शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की हालत को कभी आपने देखा है। जिनके घर में 15 : 15 आदमी हैं और वे आज एक झोंपड़े में पड़े हैं। इससे भी बुरी हालत उन लोगों की है और हमारे वरिष्ठ नेता श्री शोभारामजी ने खुद ने इसको देखा है कि वहां उस इलाके में कितने आदमी रहते हैं। आज वे लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं हालांकि उनकी जमीन बहुत उपजाऊ है। हमारे मुख्यमन्त्री भी वहां पधारे थे और उन्होंने भी उनकी हालत को देखा था।

हरियाना हमारे पास ही पडता है। रोज हम लट्टू वहां पर लगते हुए देखते हैं, वहां पर लोगों को एक महीने में एक किलो चांवल, एक किलो चीनी और 15 किलो नाज मिलता है और हर गांव में बिजली है। मगर हमारे यहां पर उनको बिजली भी नहीं दी जाती है। मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो यह कहूंगा कि हमारे ब्लोक के पैसे कम कर दिये जायें तो भी किसान को कोई दुख नहीं होगा, काश्तकारों को तो आप इतनी चीजें दे दीजिये। उनको आप तीन चीजें दे दीजिये। खेती के लिए खाद, बीज और पानी। अगर आप तीन चीज काश्तकार को मोहिया कर देते हैं तो काश्तकार ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर सकता है। इससे सबको फायदा होता है। वहां के लोग मैं कहूंगा कि इतने मेहनती हैं और वहां की जमीन भी बहुत अच्छी है। मैं यहां तक निवेदन करूंगा कि अगर आप इसका प्रबन्ध करदें वहां के काश्तकारों के लिए तो वह इलाका अकेला आपको 3 खुराक दे सकता है। लेकिन होता क्या है कि उनको सहूलियतें नहीं मिलती।

कुछ समय पहले महाराजा हरिश्चन्द्रजी, विद्युत मन्त्री थे, पधारे थे। एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि आपका नाम हरिश्चन्द्र तो है ही मगर आपके वचन भी वैसे ही निकलेंगे जैसे हरिश्चन्द्र के निकलते थे। आप कृपया बतावें कि हमारे यहां बिजली कब तक आ जावेगी। उन्होंने कहा कि दिवाली तक आ जावेगी। मगर फिर भी वहां पर बिजली नहीं आई है। नाम बिजली का हो जावे कि बिजली है बहरोड से मांडल बिजली पहूंचाने की स्कीम है....

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

मगर इसके बीच में जितने गांव आते हैं उनमें कहीं बिजली नहीं आती है। आप चाहे जितने गांवों को कम्पेक्ट एरिया में दें मगर उसको पूरा करें।

गवर्नर ने कृषि में हरिजनों के रहने की और न कोई उनके लिए ऐसी योजना रखी है जिससे यह पता लगे कि किस तरह से कृषि की उन्नति उनको करनी है। कितना रुपया वास्तव में उन पर खर्च करके कृषि की उपज को बढ़ा सकते हैं। दो बातें मेने हरिजनों के लिए कही, एक तो रहने की और दूसरी कृषि की।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मिलिट्री में जो केज्यूल्जटीज हुई हैं वे सबसे ज्यादा

(श्री अमीलाल)
बहरोड में हुई है। मगर वहां पर अलाटमेन्ट के बारे में मुकदमे चल रहे हैं किसी को अलाटमेन्ट का कब्जा नहीं मिला है। मुकदमों में फंस रहे है। अगर किसी को जमीन मिली हो तो आप देखलें, जहां तक मेरी जानकारी है किसी को जमीन नहीं मिली है। एक राजपूत लेडी है उसको एलाटमेन्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा किसी की टांग टूट गई तो किसी की आंख गई तो किसी का हाथ चला गया, क्या उनके लिए आपने कोई प्रावधान रखा है? आपने उनके लिए न तो कोई प्रावधान रखा है न कोई भूमि उनको अलाट हुई है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि विशेष तोर से इसके लिए भी आपको कुछ न कुछ रखना चाहिए। (समय-समाप्ति सूचक-घंटी) सभापति महोदय, एक बात और मैं अपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि पोल्ट्री और डेयरी फार्म के लिए जितना पैसा दिया जाता है और फण्ड अलाट किया जाता है वह वास्तव में उन लोगों को दिया जाने के लिए होता है जिनको मोनिट्री हेल्प दी जाने को हो। मगर यह पैसा भी सही रूप से काम में नहीं लिया जाता। अगर इस पैसे का भी सही उपयोग किया जावे तो काफी उन्नति हो सकती है।

मैं तो पंचायत समितियों के लिए कहूंगा कि या तो इनको बिल्कुल ही तोड दिया जावे या जो अलाटमेन्ट किया जाता है उसको ठीक ढंग से काम में लिया जावे।

चौथी बात मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल्स पंचायत समितियों को दे रखी हैं, उन प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स और लेडीज टीचर्स को इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के नीचे रख दिया जाय, क्यों कि आज उनसे जिस तरह के काम लिए जाते हैं, जिस तरह की सेवायें ली जाती हैं, वह बडा ही शोचनीय विषय है, बडी नाजायज सेवायें उनसे ली जाती हैं, इसलिए इन टीचर्स को इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के नीचे दे दिया जाय तो अच्छा रहेगा।

शिक्षा के बारे में मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि वास्तव में वही अंग्रेजों वाला उसूल चल रहा है कि बस बाबूजी बन जाओ। शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में मैं कोन्क्रीट सुझाव देना चाहता था पर समय नहीं है इसलिए फिर कभी मौका आयेगा तब निवेदन करूंगा। इस समय मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह शिक्षा का जो सिस्टम आज है, वह देश को आगे ले जाने वाला नहीं है, केवल बाबू बन जाते हैं और प्रधानजी के पीछे, मिनिस्टरों के पीछे लगे रहते हैं। बेरोजगारी के इस समय में किसी का एक छोरा नोकरी में लग गया तो वह 5 साल के लिये तो बिक ही गया।

बस इस समय मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ क्योंकि समय नहीं है, फिर किसी मौके पर निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : श्री रामकुमार।

श्री रामकुमार (सपोटरा) : माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अपने अभिभाषण में प्रस्ताव रखा है, उसका मैं खडा होकर समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ इन्सान का पता लगाना हो तो पास रह कर या साथ रह कर देख सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं संयुक्त दल के

(श्री रामकुमार)
साथ रहा हूं, संयुक्त दल के काणोता हाउस में रहा हूं····

राष्ट्रपति तक के यहां गया हूं। माननीय सभापतिजी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसी मैनें नीति और रीति वहां पर देखी, उनको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय सभापतिजी, हमारे संयुक्त दल के नेता और सदस्य इस तरह का आरोप लगाते हैं कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स ओयर शिड्यूल्ड कास्ट के लोग बिक गये, कांग्रेस ने खरीद लिया, मुखाडिया ने दबा दिया, मदेरणा साहब ने धमका दिया और व्यास जी ने चिपका लिया····

श्री देवीदत्त : वह तो सही ही कहते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : चुप रहो बैठ जाओ····

(शोरगुल)

श्री रामकुमार : मैं समझता हूं यह बात गलत है और निरर्थक है। मैं यहं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सदस्य इस प्रकार के आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में शराब अन्धा-धुन्ध चलती है, कांग्रेसियों ने शराब सस्ती कर दी, पर काणोता हाउस में शराब पानी की तरह बहती थी·····

(शोरगुल)

(विरोधी पक्ष के अनेकों माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे शोरगुल)

श्री देवीदत्त : यह बिका हुआ व्यक्ति है।

(दोनों पक्ष के कई माननीय सदस्य एक साथ लगातार 8 मिनट तक साथ-साथ बोलते रहे, शोरगुल)

एक माननीय सदस्य : गद्दार है, बिका हुआ है, अगर जरा भी ईमानदारी है तो इस्तीफा दे कर चुनाव लडो, तब पता चल जायगा।

(शोरगुल)

श्री विजयसिंह (नसीराबाद) : अपने नेता से पूछो····

(अश्रव्य–शोरोगुल)

कांग्रेस के कई माननीय सदस्य : इनको बोलने दो।

(शोरोगुल)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर प्लीज, इनको बोलने दीजिये।

(शोरोगुल, दोनों पक्ष के माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

एक माननीय सदस्य : अरे इज्जत होती तो कुंए में डूब मरते।

(शोरोगुल)

श्री सभापति : ऑर्डर ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त : दो लाख में बिका हुआ है।

(शोरोगुल)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त : बिका हुआ आदमी है, जनता के साथ धोखा किया है, उस क्षेत्र की जनता ने जिस पार्टी के लिए वोट दिया उसके साथ गद्दारी की है सत्तारूढ दल में जाकर उप-मन्त्री पद लेने के लिए जनता के साथ गद्दारी की है।

(शोरोगुल) (दोनों पक्षों के माननीय सदस्य निरन्तर साथ साथ बोलते रहे, बैठ जाओ, चुप रहो की ध्वनियां)

श्री देवीदत्त : स्तीफा देकर कांग्रेस से चुनाव लड कर देखो तो तुमको और तुम्हारे नेताओं को पता चल जाय।

(शोरोगुल)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया इनको बोलने दीजिये।

(शोरोगुल)

श्री देवीदत्त : स्तीफा दो और फिर जीत कर आओ।

(भयंकर शोरोगुल)

श्री सभापति : सदन की बैठक कल प्रातः काल 8 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सायंकाल 5 बजे सदन की बैठक दिनांक 9-5-67 के प्रातः 8 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 8 मई, 1967)

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्धि 3	शुद्धि 4
5	8	-ाज्य	राज्य
6	8	श्री देनीदत्त	श्री देवीदत्त
"	नीचे से 5	प्रश्न पूछ हैं	प्रश्न पूछा है
10	1	श्री प्रद्युर्म्नसिंह	श्री प्रद्युम्नसिंह
"	13	श्री श्रवणलाल	श्री श्रवणलाल
14	1	पापुलेशन क	पापुलेशन के
18	अन्तिम से 3	दे ख	देखा
33	9	का आधा	का आधार
45	शीर्षक	शासकाय	शासकीय
48	17	महोदय न	महोदय ने
"	24	की ओार	की ओर
51	अन्तिम	स समस्या	इस समस्या
55	अन्तिम से 3	महोदय न	महोदय ने
57	4	महोदय क	महोदय के
"	8	बोस वषा	बीस वर्षो
65	अन्तिम से 2	कांग्रेस क	कांग्रेस के
"	अन्तिम	नता	नेता
66	1	सकते ह	सकते हैं
69	शीर्षक	राज्यपाल म. क	राज्यपाल म. के
"	अन्तिम से 2	दने	देने
72	16	ब ा	बड़ा
75	11	पैटा	पैदा
76	18	मानन	मानने
"	25	स्पीकर क	स्पीकर के
77	9	लॉ ऑर्डर	लॉ एण्ड ऑर्डर
80	11	जनत	जनता
82	10	छुपा रखा	छुपा रखो
"	अन्तिम से 2	चौहान	चव्हाण
86	अन्तिम	व्यव	व्यक्त

1	2	3	4
89	3	क्षत्र	क्षेत्र
91	12	हुई ह ।	हुई है।
93	14	रखन	रखने
94	14	आधकारियों	अधिकारियों
,,	17	पड रहने	पडे रहते
97	3	कितन कुओं	कितने कुओं
113	28	बदलत हैं	बदलते हैं
116	19	आदमी क साथ	आदमी के साथ
125	27	वह उनम नहीं	वह उनमें नहीं
125	30	फेमिन सम्बध के में	फेमिन के सम्बन्ध में
129	5	आस आ जाए	
134	7	एक मल कारण	एक मूल कारण
148	29	जिस जिस कांग्रेस	जिस कांग्रेस
151	18	घाल्टी	बाल्टी।
160	22	खश के टट्टी	खश की टट्टी
165	30	लेता है उनसे	लेता है उससे
173	22	कांग्रेस में के नाटे	कांग्रेस मैन के नाते
179	22	वेल पत्र हैं	बील पत्र हैं
179	28	आमला	आंवला
181	17	सिस्टम में	सिस्टम में
183	अन्तिम	उसी प्ररसर से	उसी प्रकार से
186	7	हाथों म	हाथों में
188	28	दोब्ते मेने	दो बातें मैंने
190	25	राज्यपाल महोदय ने जो अपने अभिभाषण में प्रस्ताव रखा है	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है
191	8	ओयर	और